असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 अगस्त, 2016

षोडश विधान-सभा सोमवार,तिथि 01 अगस्त,2016 ई0
तृतीय सत्र 10 श्रावण,1038(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर-काल

महोदय, अभी प्रश्नोत्तर-काल है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के लगभग एक दर्जन जिले नेपाल के तराई में भारी बारिश के कारण राज्य में भी भारी बारिश हो रही है, उसके कारण राज्य के लगभग एक दर्जन जिले, 62 प्रखंड, 2200 गांव और 30 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और राहत कार्य नगन्य है महोदय और इससे 28 लोगों की मृत्यु हो गई है और मृत लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है । उनको कबीर अंत्येष्ठि में सरकार का प्रावधान है कि उनको राशि देने का, वह भी नहीं दिया गया है । महोदय, एक मिनट, राहत शिविरों में बच्चों के लिए दूध नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, उनके जाने के बाद 28 तारीख को उन्होंने आदेश दिया था कि पका हुआ भोजन दिया जायेगा, कहीं महोदय पका हुआ भोजन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ चूड़ा दिया जा रहा है । आपके माध्यम से महोदय, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमलोगों ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, हमारे माननीय सदस्यों ने दिया है, हम चाहेंगे महोदय, हमारा आपसे आग्रह होगा कि जनता के हित में, राज्य हित में बाढ़ और सुखाड़, एक ओर जहां महोदय, बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हैं । दक्षिण बिहार में महोदय, एक दर्जन सुखाड़ से प्रभावित हैं । समय पर डीजल की सबसीडी नहीं मिली है । आपसे आग्रह होगा महोदय, हमलोगों ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है, आपका आदेश हो, स्वीकृति हो, हम चाहेंगे महोदय कि सभी कामों को रोक कर सरकार बाढ़ और सुखाड़ पर पहले चर्चा कराये ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0- 1 ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमने कहा है कि आप समय पर, नियमावली में जो निर्धारित समय है, उसपर आप उठाईयेगा तब न हम संज्ञान लेंगे । अभी तो माननीय सदस्यों का प्रश्न-काल है । यह माननीय सदस्यों का प्रश्न-काल है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, उससे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बाढ़ और सुखाड़ । महोदय, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आपसे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि राज्य के जो 30 लाख प्रभावित लोग हैं, उसके लिए हमलोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया है बाढ़ और सुखाड़ पर, आप इसपर स्वीकृति प्रदान करके, सभी कामों को रोक करके सरकार बाढ़ जैसे विषय और सुखाड़ पर चर्चा कराये ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विराधी दल, प्रश्न काल को स्थगित करके किसी समस्या का समाधान नहीं होगा ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, प्रश्नकाल से यह बड़ा मुद्दा है, 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 28 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहां पर नाव का प्रबंध नहीं है, राहत कार्य चलाया नहीं जा रहा है, खाने का प्रबंध नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय का प्रबंध नहीं है, दवा नहीं है, बच्चों को दवा नहीं दिया जा रहा है । मवेशियों के लिए चारा का प्रबंध नहीं है और आवश्यकतानुसार नाव का इन्तजाम नहीं है । महोदय, तटबंध टूट रहे हैं और टूटने की स्थिति में है ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल महोदय, क्या आपको लगता है कि सदन का कार्य बाधित करने से उनको रिलीफ मिल जायेगा ? नहीं मिलेगा । आप सदन का कार्य अकारण बाधित कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, कटिहार जिला में महानन्दा का जो बांध था, प्रशासन के सामने बांध को काटा गया । इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं, पूर्णिया जिला में, महिषी में इन सब जगहों में जो हालात हैं, ...

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-1 ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1 (श्री अचमित ऋषिदेव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर उत्तर, तौजी नं0-148, खाता नं0-1841, खेसरा नं0-3080, रकवा 7 एकड़ में स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमवद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2 (श्री मेवालाल चौधरी)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड अन्तर्गत सरौन, जोरारी, मिल्क जोरारी, बनगामा गॉव को तारापुर थाना से हटा कर असरगंज थाना से संबद्ध करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपलोग बैठ जाईए न । हम आपकी सब बातों को सुनेंगे, पहले आप माननीय सदस्यों को बैठाईए न ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, आपका आदेश हो, सभी कामों को रोक करके भाजपा के माननीय विधायकों ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसपर चर्चा कराने के लिए आप तैयार हों, क्योंकि वहां काफी दु:खद स्थिति है, बाढ़ पीड़ितों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है । 30 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, तटबंध टूटने पर है , वहां पर न तो दवा का प्रबंध है, न पानी का प्रबंध है, न शौचालय का प्रबंध है, न रोशनी का प्रबंध है, काफी दु:खद स्थिति है । आपसे आग्रह होगा कि जो भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, उसपर सरकार सभी काम को रोक कर चर्चा कराये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-3 ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 28.01.2016 को तैयार प्राथमिकता सूची के अनुसार जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मुरहरा के ग्राम-उतरापट्टी, नारायणपुर पंचायत के सलेमपुर एवं सेसम्बा पंचायत के सेसम्बा कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची के क्रमश: क्रमांक 10,19 एवं 20 पर स्थित है।

प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमांक 1, 2 एवं 3 की योजना में कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है ।

2. कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, प्रश्नाधीन गांव हमारे इलाके के हैं । माननीय मंत्री महोदय, उस गांव को जानता हूँ और वह काफी संवेदनशील है । इसलिए महोदय, सरकार यह बतावे कि कब तक प्रश्नाधीन कब्रिस्तान की घेराबंदी करायेगी ? सरकार स्पष्ट बताये कि प्रश्नाधीन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कब तक करायेगी महोदय ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : जैसा मैंने बताया कि प्राथमिकता सूची में वह नीचे है । कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमिटी है, जो प्राथमिकता सूची तय करती है । एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल हो गया है और वह जैसे आयेगा, उसमें काम होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-4 (श्री महबूब आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई प्रखंड के इमादपुर गॉव में स्थित कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न सं0-5 (श्री अनिल सिंह)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

टर्न-2/अंजनी/दि0 01.08.201

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-6-श्री सुदामा प्रसाद

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड-1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-3- वस्तुस्थिति यह है कि हिलसा थाना कांड संख्या-89/15 दिनांक 20.02.2015 धारा 341/354(बी)/504 भा0द0वि0 में कांड के नामजद अभियुक्त गुलशन पासवान के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के धारा-41(क) के तहत कार्रवाई की गई है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 296/15 दिनांक 30.06.2015 समर्पित किया गया है ।

एस0सी0/एस0टी0 थाना, बिहारशरीफ में पीड़िता के परिजनों पर एस0सी0/एस0टी0 थाना बिहारशरीफ कांड संख्या-16/15 दिनांक 01.03.2015 धारा 147/149/447/341/323/504/506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराया गया था । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड को असत्य कोटि का पाया गया है । इस कांड में अतिम प्रतिवेदन संख्या 21/15 दिनांक 07.09.2015 असत्य समर्पित किया गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या–7,श्री मुजाहिद आलम

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–8,श्री विजय कुमार सिन्हा

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–9, डॉ0 रामानुज प्रसाद

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के चकदरिया सुल्तानपुर कब्रिस्तान एवं दिघवारा प्रखंडान्तर्गत वार्ड नं0–11 बरबन्ना कब्रिस्तान जिला स्तर पर संधारित 237 कब्रिस्तानों की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–10, श्री संजय सरावगी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–11, श्री मिथिलेश तिवारी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–12, श्री सदानन्द सिंह

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, किसी भी हवाई अड्डा से व्यवसायिक हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाता है ।

भारत सरकार की नई सिविल एभिएशन पॉलिसी के अंतर्गत रिजनल कनेक्टीविटी स्कीम का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसपर राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं । रिजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अंतर्गत देश के सभी हवाई अड्डों, जो उपयोग में लाये जा सकते हैं, को शामिल किया गया है, जिसमें भागलपुर हवाई अड्डा भी सम्मिलित है । रिजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त भागलपुर में नागरिक वायु सेवा प्रारंभ किये जाने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बता सकेगी कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया कबतक समाप्त करेगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम का ड्राफ्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिला है और उस सिलसिले में बैठक भी हुई है, आगे भी बैठक होकर जो फाइनल होगा, तब माननीय सदस्य के मामले पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–13, श्री अचमित ऋषिदेव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थानांतरित हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल, हम आपसे बार–बार कह रहे हैं कि आप सभी माननीय सदस्यों को अपनी अपनी सीट पर बैठाइए । हम आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं । पहले आप अपने सभी माननीय सदस्यों को बैठाइए और तब बोलिए । हम आपकी बात सुनना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–14, श्री मो0 नेमातुल्लाह

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड–1– वस्तुस्थिति यह है कि पटना नगर अंतर्गत मैनपुरा पंचायत के सदाकत आश्रम के पश्चिम स्थित प्रश्नगत कब्रिस्तान का मौजा–मैनपुरा, थाना सं0–2, खाता–769, प्लॉट नं0–606, रकवा–71 डी0 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम कब्रिस्तान दर्ज है ।

खंड–2– प्रश्नगत कब्रिस्तान में रकवा 57.33 डी0 तीन तरफ से चाहरदिवारी के अन्दर है तथा शेष रकवा 13.67 डी0 कब्रिस्तान के पूरब एवं उत्तर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है ।

खंड–3– प्रश्नगत कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमण वाद सं0–05, वर्ष 2016–17 प्रारम्भ कर अंचल कार्यालय, पटना सदर द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, 3 कठ्ठा जमीन जो है, वह कब्रिस्तान के सामने कब्जा कर लिया गया है, जो जाते हैं जनाजा लेकर वे श्मशान के अन्दर नहीं जा सकते हैं, उनको काफी घूमकर जाना पड़ेगा तो सरकार अमिक्रमण को कब मुक्त करायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि तीन कठ्ठा जमीन अतिक्रमण है, इसको देखवा लीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कार्रवाई की जा रही है, अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया है, कार्रवाई हो रही है, मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई हो रही है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- श्रीमती सुनीता सिंह चौहान

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड-1 एवं 2, वस्तुस्थिति यह है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा में थाना का सृजन वर्ष 2014 में किया गया है । थाना भवन निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है क्योंकि भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

खंड-3- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, शिवहर को निदेश दिया गया है ।

(व्यवधान)

टर्न-3/शंभु/01.08.16

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-16/श्री मदन मोहन तिवारी

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है।

2-वस्तुस्थिति यह है कि बेतिया से मंझौलिया प्रखंड की दूरी लगभग 14 कि0मी0 है। मंझौलिया जाने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है।

3- उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड स्तर पर अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने की वर्तमान में नीति नहीं है। थाने स्तर पर मिस्ट टेक्नोलॉजी आधारित अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु सरकार की नीति है, जिसके लिए मिस्ट टेक्नोलॉजी आधारित अग्निशामक वाहन की चेचिस क्रय कर ली गयी है। इस पर बॉडी के फैब्रिकेशन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फैब्रिकेशन होने के बाद मंझौलिया थाने पर मिस्ट टेक्नोलॉजी आधारित अग्निशामक वाहन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-17/श्री दिनेशचन्द्र यादव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत बनमा इटहरी ओ0पी0 के रूप में अधिसूचित नहीं है, बल्कि पुलिस शिविर के रूप में कार्यरत है। यह ओ0पी0 प्रखंड कार्यालय परिसर अंतर्गत विकास भवन के चार कमरों के भवन में कार्यरत है। भू-अर्जन हेतु 27 लाख 63 हजार 683 रू0 मात्र की राशि विमुक्त की गयी है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

बलवाहाट ओ0पी0 के रूप में अधिसूचित नहीं है, बल्कि पुलिस शिविर के रूप में कार्यरत है। यह वर्तमान में ग्रामोद्योग बापू सेवा आश्रम के चार कमरों के भवन में कार्यरत

है। इसके भू-अर्जन हेतु 63 लाख 62 हजार 152 रू0 मात्र की राशि विमुक्त की गयी है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

कनरिया ओ0पी0 अधिसूचित ओ0पी0 है, जो वर्तमान में मध्य विद्यालय, कनरिया के परिसर अंतर्गत तीन कमरों वाले सामुदायिक भवन में कार्यरत है। भूमि का चयन कर लिया गया है। अधिग्रहण हेतु नये अधिनियम के तहत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

चिरैया पुलिस शिविर के रूप में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय परिसर अन्तर्गत तीन कमरों के भवन में कार्यरत है। इसके भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि का सीमांकन कराया जा चुका है। भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है।

श्री दिनेशचन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत संतोषप्रद जवाब दिया। इसी जवाब में दो ओ0पी0 है बनमा इटहरी और बलवाहाट इसमें राशि तो दे दी गयी, लेकिन कहा गया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और हम समझते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चली आ रही है। राशि दी गयी है, जमीन नहीं होगा तो फिर वह ओ0पी0 किस तरह से बनेगा। इसमें सरकार जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करावे। दूसरी बात है कनरिया ओ0पी0 और चिरैया ओ0पी0- जहां कहते हैं कि जमीन चिन्हित कर लिया गया है, राशि उसको बाद में देंगे और आश्चर्यजनक बात है कि वह ओ0पी0 विद्यालय भवन में चल रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है तो हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उन चारों ओ0पी0 का भवन बनवा दे ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण जल्दी करवा दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अभी प्रक्रिया चल रही है जल्द ही इसपर कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-18/मो0 नेमतुल्लाह</u>

श्री अब्दुल गफूर,मंत्री : महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु रिवोलविंग फंड के रूप में वित्तीय वर्ष-2006-07 से 2015-16 तक कुल 3 करोड़ 35 लाख 61 हजार रू0 उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को अब तक 2 करोड़ 13 लाख 11 हजार एवं शिया वक्फ बोर्ड को 82 लाख 50 हजार दिये गये हैं।

3- आंशिक स्वीकारात्मक है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराये गये 2 करोड़ 13 लाख 11 हजार में से 1 करोड़ 7 लाख 50 हजार की चार योजनाएं ली गयी जिसमें से 80 लाख 50 हजार की तीन योजनाएं 6 लाख 58 हजार मात्र से वक्फ नं0-2353, बाजार गली, शेखपुरा में बाउंड्री का निर्माण तथा बालू भराई का कार्य, 22

लाख 54 हजार 800 मात्र से बीबी जानकी करबिगहिया,पटना वक्फ स्टेट नं0-465 बी के मार्केट का प्लास्टर तथा मरम्मति कार्य तथा 51 लाख 37 हजार 200 मात्र से तकिया जमाल शाह, दानापुर वक्फ स्टेट नं0-658 में 18 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण की जा चुकी है तथा 27 लाख से वक्फ नं0-1061 बाढ़ में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है।

बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा उपलब्ध निधि 82 लाख 50 हजार से पटना सिटी स्थित कमरून्निसा बेगम वक्फ स्टेट में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना में लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा 2006-07 से 2011-12 तक दी गयी राशि कुल 1 करोड़ 5 लाख 61 हजार डी0सी0 विपत्र समर्पित करने हेतु कोषागार में चालान के माध्यम से जमा किया गया।

4-उपर्युक्त खण्ड-3 में उत्तर सन्निहित है।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, 2007 से पेंडिंग है। यह फ्लोटिंग फंड होता है जिसमें वक्फ प्रोपर्टी का विकास होता है। वह 2007 से पेंडिंग है। 40 लाख 61 हजार रूपया 2015 में सरेंडर कर दिया गया। 65 लाख रूपया 2016 में सरेंडर कर दिया गया और जो भी योजनाएं ली गयी है उसकी विस्तृत जानकारी सदन को देना चाहेंगे माननीय मंत्री जी। इसलिए यह पैसा खर्च करने के बजाय उसको हर साल सरेंडर किया जाता है, इसका क्या मतलब ? यह फ्लोटिंग मनी है, वक्फ प्रोपर्टी के विकास के लिए सरकार पैसा देती है।

ड0 अब्दुल गफूर,मंत्री : कोई रूपया नहीं सरेंडर किया गया, लेकिन माननीय विधायक का कहना है तो हम इसको देखवा लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो माननीय सदस्यों को अपने-अपने आसन पर भेजकर सदन को व्यवस्थित करके आप कहिये । अगर आप कहना चाहते हैं तो पहले सदन को व्यवस्थित कीजिए।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, मैं सारी बातों को रख चुका हूँ- 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 62 प्रखंड प्रभावित है, 2200 गांव प्रभावित है और राहत कार्य नहीं चल रहा है। मेरा कार्य स्थगन है, आपसे आग्रह है कि सरकार सहमत हो कार्य स्थगन पर बहस कराने के लिए।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, कार्य स्थगन की चर्चा किस समय होगी यह भी नियमावली में प्रावधानित है। यह तो माननीय सदस्यों का समय है ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, जो हालात पैदा हुए हैं.....

अध्यक्ष : अभी तो कार्य स्थगन की सूचना या बात करने का तो कोई वक्त नहीं है । अगर कुछ कहना चाहते हैं तो पहले सदन में व्यवस्था ला दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, इसीलिए तो पहले हमलोगों ने कार्य स्थगन दिया था, आपसे आग्रह है क्वेश्चन से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाढ़ और सुखाड़। आप सदन की बैठक स्थगित करके अपने चैंबर में बुलाइये लोगों को।

अध्यक्ष : इसके लिए तो हमको नियमावली बदलना होगा न । कार्य स्थगन के लिए जो समय निर्धारित है आप उसी समय कह सकते हैं । अभी तो माननीय सदस्यों, आपके भी कई माननीय सदस्यों का प्रश्न है।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : वह तो महोदय है.....

अध्यक्ष : जो विधान सभा में माननीय सदस्यों ने प्रश्न डाले हैं वह भी महत्वपूर्ण हैं । इसलिए हम चाहते हैं, आसन चाहता है कि सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी विचार हो और आप भी अपनी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपने सही कहा- महोदय, पूर्व में भी सभी कामों को रोककर सरकार ने बहस कराया है। हम चाहेंगे कि सरकार इसपर घोषणा करे।

अध्यक्ष : आप समय पर इस बात को उठाइयेगा और जरूर हम सरकार से कहेंगे कि आपकी बात पर विचार करे।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो और कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है वह क्वेश्चन से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाढ़ और सुखाड़ का मुद्दा, राज्य की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तटबंध टूट गया है, नाव का प्रबंध नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, नास्ता और भोजन का प्रबंध नहीं है, मुआवजा नहीं दिया गया है जो मृत हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, ये लोग हताशा में हैं इनको कुछ कहने से असर पड़नेवाला नहीं है। ये लोग भी आ जाएं यहां।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आसन के अनुरोध को मानें या न मानें, जो सदन के हित में है, माननीय सदस्यों के हित में है वह तो आसन कहेगा।

अशोक/ टर्न-4/01.08.2016

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 19 (श्री प्रमोद कुमार)</u>

(माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सख्या-20(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : खंड-1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-2: वस्तुस्थिति यह है कि उक्त गॉव के रास्ते झाखंड एवं सोन से अपराधियों के आने को रोकने हेतु थाना के द्वारा सघन गश्ती एवं निगरानी रख कर अपराध की स्थिति को नियंत्रण में रखा जाता है ।

खंड-3: वस्तुस्थिति यह है कि खैरा से बडेम ओ.पी. की दूरी लगभग 4 कि.मी. है ।

खंड-4: बडेम क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को देखते हुए गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के अधिसूचना संख्या 9711 दिनांक 20.11.2014 द्वारा बडेम ओ.पी. को अधिसूचित किया गया, जो वर्त्तमान में कार्यरत है । कोईरीडीह में ओ.पी. खोलने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिये, हम तो सुन ही नहीं पाये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि अभी ओ.पी. खोलने का विचार नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ कि मैंने जो प्रश्न किया है, कोईरीडीह की दूरी 15 कि.मी. है नवीनगर थाना से और खैरा थाने से 16 कि.मी., जबकि बडेम ओ.पी. की दूरी खैरा थाना से मात्र दो कि.मी. है । बेडम ओ.पी. का क्या औचित्य है जबकि कोईरीडीह झारखंड ऐरिया में पड़ता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा करायेंगे दूरी के आधार पर, वे दिखलवा लेंगे रिपोर्ट मंगवा लेंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-21 (श्री भोला यादव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : खंड-1 : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम- हुसैनाबाद(अरैला) नैयाम के प्रश्नगत कब्रिस्तान पर अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

खंड-2 : उपर्युक्त प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री भोला यादव : महोदय, सुनाई कुछ पड़ा ही नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि डी.एम. और एस.पी. मिलकर प्रायरिटी बनाते हैं, इसके लिये वे बोलेंगे उसको उसमें डालने के लिए ।

श्री भोला यादव : ठीक है, ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-22(श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : खंड-1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 : स्वीकारात्मक है ।

श्री मो. शकील अहमद अंसारी, उर्दू टंकक को कार्यालय आदेश संख्या-22/रा., दिनांक 28.06.2003 के द्वारा जन्दाहा प्रखण्ड, वैशाली में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में श्री अंसारी ने दिनांक 22.08.2005 को अपना योगदान कर कार्यरत हैं ।

खंड-3 : श्री मो. शकील अहमद अंसारी, उर्दू टंकक(उच्चवर्गीय लिपिक) के स्थानान्तरण मामले पर आगामी जून माह में विचार किया जाएगा ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, सुनाई नहीं पड़ा ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-23(डा0 शकील अहमद खॉ)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

(इस अवसर पर भरतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में अभी भी नारे लगा ही रहे थे)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-24(श्री विनय वर्मा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज प्रखंड के नोतनवा पंचायत का पंचमवा कब्रिस्तान हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलनता के आधार पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है ।

प्रश्नगत कब्रिस्तान को प्राथमिकता सूची में शामिल कराने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–25(डॉ शकील अहमद खॉ)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

तारांकित प्रश्न संख्या–26(श्री राघव शरण पाण्डेय)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

तारांकित प्रश्न संख्या– 27(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : खंड–1 : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में अपराध एवं हत्या के कारण मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी सखुआ पंचायत का वृंदावन गॉव थोड़ा संवेदनशील है ।

खंड–2 : वर्ष 2013 में वृन्दावन गॉव में पुलिस पिकेट की स्थापना की गई, जिसमें 1–4 सशस्त्र बल कार्यरत है, जो वृन्दावन गॉव में अपराधिक घटना एवं विधि– व्यवस्था को नियंत्रित रखता है ।

खंड–3 : वस्तुस्थिति यह है कि वृन्दावन गॉव में पुलिस पिकेट कार्यरत है । वृन्दावन गॉव का पैतृक थाना मुरलीगंज से मात्र 10 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है ।

वर्तमान में वृन्दावन गॉव में अपराधिक घटना एवं विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है एवं वृंदावन गॉव में तत्काल ओ.पी. खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय,

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, बराबर वहां घटना होती है, आज तक 10 हत्याकाण्ड हो गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वहां पर जल्द से जल्द ओ.पी. खुलवाने की कृपा की जाय, बराबर वहां हत्या होती रहती है, जांच करवा कर देख लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम फिर आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो भी कहना चाहते हैं, जो नियम में उसके लिए समय प्रावधानित है, आप उस समय कहेंगे, सरकार को आसन चाहेगा कि सरकार विचार करे, लेकिन अभी तो आपके भी

माननीय सदस्यों का प्रश्न है जो बिना विचार के लैप्स करता जा रहा है । इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन जनता का है, जनता के लिए है महोदय, इस राज्य की जनता, 30 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुये हो, 28 लोग मरे गये हों, एक दर्जन जिला बाढ़ के चपेट में हो, शिवरों में लोगों को खाना नहीं मिल रहा हो, फिर क्या औचित्य है सदन चलाने का ? आपसे आग्रह करता हूँ, आपके आदेश का सम्मान करता हूँ, आगे भी करता हूँ, आप सरकार को आदेश दें कि इस पर चर्चा हो, हमने जो कार्य स्थगन लाया है, अन्य सदस्यों ने लाया है, इस राज्य की जनता महोदय बाढ़ में फंसा हुआ हो, खाना नहीं मिल रहा हो, हाहाकार की स्थिति है, राहत नहीं चलाया जा रहा हो

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं मैं अपके विषय के महत्व को नहीं घटा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि वह सब कहने के लिए आपकी नियमावली में समय का प्रावधान किया गया है और आप जो कह रहे हैं कि सदन जनता का है, तो ये सारे प्रतिनिधि जनता के लिए हैं, आप जो सवाल करते हैं वह जनता के लिए ही करते हैं, इसलिए अन्य प्रश्नों को होने दीजिए, आप समय पर अपनी बात कहेंगे, जरूर आसन चाहेगा कि आपकी बातों पर सरकार गौर करे, अभी तो सदन को चलने दीजिए इसलिए माननीय सदस्य, सब अपनी जगह पर जायं ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, जहां लोगों की जान जा रही है, लोग तड़प रहे हैं ।

(व्यवधान)

टर्न-5:ज्योति
01-08-2016

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 28 (श्री सदानन्द सिंह)</u>

श्री विजेंद्र प्रसाद यादव,मंत्री : पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया है महोदय ।

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित हुआ ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 29 (श्री नीरज कुमार)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विभाग की अधिसूचना संख्या 532 दिनॉक 07-04-16 द्वारा मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है जिसके सदस्य माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, मंत्री, ग्रामीण विकास तथा मंत्री राजस्व एवं भूमि

सुधार विभाग है । उस कमिटी के प्रतिवेदन में ये मामले हैं । उस सब कमिटी की अनुशंसा के बाद कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 30 (श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सड़क के दोनों ओर के अस्थायी अतिक्रमण यथा – सब्जी दुकान, ठेला, अस्थायी शेड, चाय दुकान आदि को हटाकर सड़क अतिक्रमणमुक्त कर दिया गया है और अब लोगों के आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, खड़गपुर नगर पांचायत को जमीन की उपलब्धता है उसके बावजूद भी बहुत बड़ा इनक्रोचमेंट है महोदय, और सरकार द्वारा अतिक्रमण को हटा दिया जाय तो यातायात की सुविधा होगी, लोगों को बहुत परेशानी होती है इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण कबतक हटा जायेगा ताकि यातायात में असुविधा नहीं हो ।

अध्यक्ष : अतिक्रमण हटाने के लिए कह रहे हैं कबतक हटा दिया जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : रिपोर्ट आयी है अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 31 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1– आंशिक स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत कब्रिस्तानों की घेराबन्दी अभी नहीं हो सकी है जिसके कारण यदा कदा जानवरों के प्रवेश की सम्भावना रहती है ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि डोभी प्रखंड के नेहुटा कब्रिस्तान जिला में प्रखंडवार निर्मित प्राथमिकता सूची में 12वें नम्बर एवं आमस प्रखंड के सिहुली गांव में कब्रिस्तान 8वें नम्बर पर है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राथमिकता सूची से दोनों प्रखंड में 7वें नम्बर पर स्थित कब्रिस्तान का चयन घेराबन्दी हेतु किया गया है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीतियाँ है ।

जिला समाहर्ता और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जा रहा है वे इसको देखें ।

अध्यक्ष : ये जिला समाहर्ता और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे रहे हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सिंहुली बहुत बड़ा गांव है पूर्व से कब्रिस्तान जो बना हुआ था वह भी धवस्त हो चुका है महोदय , यह बहुत ही आवश्यक है इसलिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सबों से आग्रह है कि जो भी कहना है पहले सीट पर तो जाईये । आखिर आप सीट पर नहीं जाईयेगा तो हम आपकी बात कैसे सुनेंगे, सब आदमी

एक साथ बोल रहे हैं । इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि अपनी सीट पर चले जाईये, जो कहना है वह सीट पर जाकर कहिये ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/विजय /01.08.16

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016"

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2016" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष: पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो ।

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा ।

क्या माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या?

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, पुराने अधिनियम में जो पांच एकड़ भूमि धारित करने वाले भूमिहीन परिवार को....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य बिहार राजकोषीय का है, आप दूसरे विषय भूदान वाले पर आ गए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: महोदय, तीनों हमारा ही है । 14वें वित्त आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम राशि राज्य सरकार को दी गई है ।

अध्यक्ष: विजय जी, आप पहले सिद्धांत पर विमर्श के लिए प्रस्ताव मूव कर दीजिये । ''मैं प्रस्ताव करता हूं कि'' इस फौरमेट में पहले प्रस्ताव मूव कर दीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो । "

महोदय, 14वें वित्त आयोग में केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकतम राशि राज्य सरकार को दी गयी है । सरकार अनावश्यक खर्चो को इस विधेयक के माध्यम से रोकने के बजाय महोदय यह बढ़ाने वाला होगा । केन्द्र से मिली राशि को हम खर्च नहीं कर पाते हैं । महोदय, इस विधेयक के माध्यम से जो हम टैक्स बढ़ा रहे हैं आम जनता पर इसका भार जो गरीब लोगों पर बढ़ेगा महोदय उसके अंदर जो प्रावधान किया गया है उसका जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा । हम महोदय बहुत सारे अनावश्यक खर्च को रोक कर इसको हमलोग जनता पर बढ़ने वाले भार को रोक सकते हैं । महोदय अच्छा होता कि बिहार जैसे गरीब राज्य की गरीब जनता की जनप्रतिनिधि सरकार ये जो अपने को कहती है राजकीय कोष को बढ़ाने के लिए जो विधेयक बार बार लाती है बार बार संशोधन करती है टैक्स बढ़ाने का काम करती है ये जबकि अपना अनावश्यक खर्च को रोक कर जनता को राहत दे सकती है ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब जनमत जानने का प्रस्ताव ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मा0 सदस्य द्वारा प्रस्ताव नहीं मूव किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016" दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो ।"

यह प्रस्ताव तो मूव ही नहीं हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि,

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2016" पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खण्डशः लेता हूं ।

अध्यक्ष: खंड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
''खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
''खंड 1 इस विधेयक का अंग बने''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,
''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,
''नाम इस विधेयक का अंग बने''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: अघ्यक्ष महोदय, जैसा कि और माननीय सदस्यगण ।

अध्यक्ष: अभी प्रस्ताव कर दीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,
" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो''

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 जो लाया गया है हम केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और केन्द्र की सरकार धन्यवाद की पात्र है कि राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में जो पहले 3 परसेंट था उसे भारत सरकार ने बढ़ाकर साढ़े तीन परसेंट कर दिया है । अब राज्य का दायित्व है इस वर्ष और इसके बाद के वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा न हो ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः यह कौन धन्यवाद देने की बात है । महोदय यह धन्यवाद देने की कौन बात है ? जी.डी.पी. के हिसाब से जो हमारी बढ़ोत्तरी है उसी के आधार पर यह है । यह तो एक्ट में प्रोवीजन है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः महोदय, हम विजेन्द्र बाबू को धन्यवाद नहीं दे रहे थे । धन्यवाद भारत सरकार को दे रहे थे अच्छा कदम है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः प्रेम बाबू को वित्तीय मामले में कितनी जानकारी है इसीलिए मैंने कहा कि इसमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है यह तो एक्ट में ही है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्रेम बाबू अभी जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं । अभी तो जानकारी मान लीजिये ।

माननीय मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय और माननीय नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि यह व्यवस्था संवैधानिक है और जब संविधान का निर्माण किया गया, पारित किया गया उसी में यह व्यवस्था की गई कि एक फाइनेंस कमीशन होगा ओर फाइनेंस कमीशन जो है वह अपना हर पांच साल में एक फाइनेंस कमीशन बनेगा और वह अपना रिपोर्ट देगा ।

...क्रमशः ...

टर्न–7/01.8.2016/बिपिन

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्रीः क्रमशः उसका मकसद यह था कि भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी जो है अगर हमारे पास ऋण लेने की जरूरत है तो ऋण की व्यवस्था करें हम या हमारे पास जो राशि हमारी बच गई है उसको हम खर्च करें तो फाइनान्स कमीशन का जो रिपोर्ट आता है उस आधार पर भारत सरकार भी यह बिल लाती है और राज्य सरकार भी अपने यहां बिल लाती है । महोदय, भारत सरकार में 2004 से यह चालू हुआ और हमारे यहां 2006 से यह व्यवस्था चालू की गई, मगर मुझको यह समझ से यह परे लगा नेता विरोधी दल जी, कि जो व्यवस्था सांवैधानिक है और जो फाइनान्स कमीशन के रिकोमेंडेशन के आधार पर यह हमारा अधिकार है रेगुलेट करने का फाइनांस को या राज्य में जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलानी है उसके लिए अगर हमको ऋण की आवश्यकता है ऋण लेने का तो इसमें मुझको लगा कि

सिद्धांत का विचार और जनमत जानने के लिए विचार, हो सकता है कि माननीय सदस्य की मंशा ऐसी नहीं रही हो, मगर मुझको लगता है कि जानकारी के अभाव में इन्होंने जनमत जानने का और सिद्धांत पर भी विचार का प्रस्ताव दिया जो मुझको लगता है कि तर्कसंगत नहीं था और चूंकि अब तो नेता विरोधी दल ही बोल रहे हैं कि यह बहुत अच्छा है, भारत सरकार ने इसमें यह बढ़ोत्तरी की है । भारत सरकार ने नहीं बल्कि फाइनान्स कमीशन जो रिकोमेंडेशन करता हैं उसी के आधार पर भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी अपने यहां लाती है बिल । महोदय, जैसा कि मालूम है कि बिहार राजकोषीय उत्तदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम-5, 2006) से लागू किया गया था । अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें 2006-07 के आरंभ से राजस्व घाटा की स्थिति होने पर राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम-से-कम 0.1 प्रतिशत् कमी कर दी थी और वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त कर देना था । इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखना था । वित्तीय वर्ष 2006-07 के आरंभ में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3 प्रतिशत् से अधिक होने पर इस अनुपात में प्रतिवर्ष कम-से-कम 0.3 प्रतिशत् की कमी लानी थी और वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पादन के 3 प्रतिशत् तक लाया जाना था । इस बार के रिकोमेंडेशन में है कि तक साढ़े तीन तक कर सकते हैं जो फाइनान्स कमीशन का रिपोर्ट है । महोदय, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य में संशोधन बिहार राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2009 (बिहार अधिनियम-3, 2009) से किया गया जिसमें वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत् एवं वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत् के स्तर पर बनाए रखना था। पुनः बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम-2, 2010) से संशोधन करते हुए वर्ष 2008-09 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत् तक तथा वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पादन के 4 प्रतिशत् एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत् स्तर पर बनाए रखने का नियम बनाया गया था । बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2010 (बिहार अधिनियम-25, 2010) में से यह संशोधन हुआ था कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत् तक होना था और वर्ष 2011-12 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत् राजकोषीय घाटा बनाए रखना है । बिहार राज्य में राजस्व बजट की स्थिति 2004-05 से लगातार रही है । राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2008-09 में 3.5 प्रतिशत् की

अधिसीमा के विरूद्ध 1.76 प्रतिशत्, वर्ष 2009-10 में 4 प्रतिशत् के विरूद्ध 3.24 प्रतिशत्, 2010-11 में 3.5 के विरूद्ध 1.95 प्रतिशत् एवं 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक 3 प्रतिशत् के विरूद्ध क्रमशः 2011-12 में 2.43, 2012-13 में 2.23 प्रतिशत्, 2013-14 में 2.43 प्रतिशत्, 2014-15 में 2.78 प्रतिशत्, 2015-16 में 2.48 प्रतिशत् की अधिसीमा में रहा है । जो अधिसीमा निर्धारित है उसके अंतर्गत ही यह प्रस्ताव है महोदय। माननीय सदस्यगण अवगत होंगे कि राजकोषीय घाटे की सीमा तक की ऋण उगाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है । ऋण उगाही की अधिसीमा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को देखते हुए उसका 3 प्रतिशत् तक ऋण अनुमान्य किया जाता है । ऋण की राशि अधिक प्राप्त होने से राज्य में पूंजीगत् व्यय में और वृद्धि की जा सकती है । 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में राज्यों के राजकोषीय परिवेश एवं राजकोषीय समेकन रोडमैप के अध्याय में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत् की वार्षिक अधिसीमा को कुछ शर्त्तों के साथ अधिकतम जो 4 प्रतिशत् का है, उसको हमने 3.5 प्रतिशत् तक वृद्धि करने की अनुशंसा की है । भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनान्स-1 डिविजन) के पत्र संख्या-40(6)पी.एफ.-1/2009- वोल0-II दिनांक- 17मई 2016, महोदय, यह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको रख देता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्रीः मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत यह बिल लाया गया है, इसलिए जो माननीय सदस्य इसपर अपना प्रस्ताव लाए हैं जनमत जानने का और माननीय सदस्य, सिद्धांत पर विचार होने का, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि यह संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक-2016 स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-08/कृष्ण/01.08.2016

<u>बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन)विधेयक,2016</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री (डा0)मदन मोहन झा,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

"बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन)विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन)विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री (डा0)मदन मोहन झा,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री (डा0) मदन मोहन झा,मंत्री : महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार भूदान (संशोधन)विधेयक,2015 पर विचार हो। "

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केशरी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव विधेयक के सिद्धांत पर विचार होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन)विधेयक,2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो । "

महोदय, भूदान यज्ञ एक पवित्र कार्य शुरू हुआ था और जिस महापुरूष द्वारा यह महान कार्य जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था, उस उद्देश्य पर कहीं न कहीं ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है । महोदय, समाज के अंदर भूदान यज्ञ के माध्यम से एक समरसता का भाव पैदा किया गया था, अमीरी और गरीबी को कम करने के लिये, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, भूदान यज्ञ के माध्यम से जमीन लेकर गरीबों के बीच बांटने का काम सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बना था । महोदय, आजादी के बाद हमलोग कितना सुखी थे, बिहार कितना धनाढ्य क्षेत्र था, यह साबित करता है कि 5 एकड़ जमीन जिसके पास थी, वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था, वह भूमिहीन माना जाता था । महोदय, आज हमारी स्थिति कितनी बद से बदतर हुई

कि एक एकड़ जमीन जिसके पास है, वह भूमिहीन माना जा रहा है । महोदय, सदन को माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूदान यज्ञ में कितनी भूमि प्राप्त हुई ? उसमें कितनी योग्य भूमि थी और योग्य भूमि में कितनी भूमि वितरित हुई ? वितरित की गयी भूमि में कितनी भूमि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के माध्यम से स्वीकृति दी गयी और कितने को दखल-कब्जा दिलाया गया ? महोदय, आज भी अंचल कार्यालय में भूदान का पर्चा लेकर लोग भटकते मिल रहे हैं । सच्चाई है महोदय, सभी माननीय सदस्य हमलोग बैठे हैं । लोग आते हैं, कहते हैं कि पर्चा मेरे हाथ में है, जमीन हमको मिल नहीं रहा है । चक्कर लगा रहे हैं, उनकी उम्र बीत गयी, एक पुश्त के बाद दूसरा पुश्त उस पर्चा को लेकर घूम रहे हैं । महोदय, सरकार यह बताने की कृपा करें कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम का क्या हुआ ? उसका क्या हुआ ? सदन को जानने का यह अधिकार है । वह जानना चाहती है कि यह लौली पॉप जो हम कानून बना देते हैं, महोदय, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, माननीय पटना उच्च न्यायालय में इस अधिनियम के विरूद्ध आदेश पारित किया तो सरकार अपील में क्यों नहीं गयी ? सरकार चुप होकर क्यों बैठ गयी ? यह सदन जानना चाहता है । सरकार सिर्फ कानून बनाकर घोषणा करे और कानून को लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी है महोदय ? सदन यह भी जानना चाहता हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि इस पर विमर्श हो संशोधन का, आपसे यही आग्रह है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केशरी एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या नहीं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूभ करूंगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

" बिहार भूदान यज्ञ(संशोधन) विधेयक,2016 दिनांक 31 जनवरी,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । "

महोदय, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सच्चाई को हकीकत में जमीन पर जा कर देखे और जनमत जानने का प्रयास करे कि सच्चाई क्या है । महोदय, सरकार जांच करा ले कि आज बहुत सारा मामला हाईकोर्ट के अदंर गया है और जो कानून हम बना रहे हैं, इसकी क्या परिणति होगी, उसका लोगों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिये इस पर जनमत जानने का प्रयास किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचिारित हो ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"कि बिहार भूदान यज्ञ(संशोधन) विधेयक,2016 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डश लेता हूं :-

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूं। प्रभारी मंत्री ।

श्री (डा0) मदन मोहन झा ,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"बिहार भूदान यज्ञ(संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : इस पर कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 सदन में लाया गया है। महोदय इस विधेयक का जो उद्देश्य है, वह यह है कि गरीब परिवारों को सरकार विकासात्मक योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु अधिनियम की धारा 2 (डी) में संशोधन किया जाना इस संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य है । वास्तव में आजादी के बाद ऐसा महसूस किया गया कि देश और राज्य में अमीरी और गरीबी की जो खाई थी और बहुत लोगों को काफी जमीन हुआ करता था और हम सबों के पूर्वज, खास करके विनोवा भावे जी के प्रयास से एक अच्छी शुरूआत हुई थी, एक अच्छी पहल थी और उसका परिणाम हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वेच्छा से जमीन दान देने का काम किया था । लेकिन राज्य सरकार को निश्चित तौर पर चिन्ता करनी चाहिए, सदन को माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि जो उद्देश्य था पूर्व के दिनों में और अभी जो लाया है, इस अधिनियम में 5 एकड़ तक भूमि धारित करनेवाले को भूमिहीन माना गया था और आज आप चाह रहे है कि राज्य सरकार ने इस में संशोधन के लिये जो विधेयक लाया है उसमें 1 एकड़ या उससे कम जो हो, उनको भूमिहीन मानने का प्रस्ताव है ।

क्रमश :

टर्न-9/राजेश/1.8.16

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल, क्रमश:- बहुत अच्छा प्रस्ताव था लेकिन जो उद्देश्य था भूदान का,जमीन जो प्रस्ताव किया राज्य सरकार ने,उसमें कितने लोगों को दिये गये,क्या उसके परिणाम आये,कितने लोगों का कब्जा आज है नहीं है,आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इसपर कब्जा नहीं हो पाया है,उससे वे काफी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं,तो महोदय हम कहना चाहते हैं और सरकार को बताना भी चाहिए कि बिहार में भूमि विवाद निराकरण का क्या हुआ ? क्या यह जो लाया गया था महोदय जनता का विश्वास ले करके तथा माननीय उच्च न्यायालय ने उस अधिनियम को खारिज कर दिया महोदय और राज्य सरकार को अपील में जाना चाहिए था,इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि सरकार कानून बनाकर घोषणा न करके उस कानून को लागू कराने के लिए इस विधेयक की उपयोगिता को सिद्ध करने का काम करें,जो राज्य के हित में होगा।

अध्यक्ष:- वैसे आप संशोधन को उचित मानते हैं ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल:- जी। अच्छा कदम है और इसमें महोदय हम चाहते हैं जो उद्देश्य था भूदान यज्ञ का वह साकार कैसे हो,राज्य सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए

और बड़ी संख्या में आज जिनको जमीन दी गयी थी,उनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी।

श्री जीतन राम मांझीः- अध्यक्ष महोदय,बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक,2016 सदन में विचार के लिए उपस्थापित है,इस संबंध में कुछ वस्तुस्थिति को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यह बात सही है कि भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा एक अच्छा पहल किया गया था और उस पहल के तहत ऐसे लोग जो गरीब हुआ करते थे जिनके पास जमीन नहीं थी,उनको भूमि देकर उनको संतुष्ट करें या उनको या उनको सामान्य श्रेणी में लाने का हम प्रयास करें। हमें जैसा कि पता है लगभग 8 लाख एकड़ भूदान यज्ञ कमिटी को जमीन मिली तो जमीन मिलना और जमीन का डिमांड संपुष्ट होना और जमीन पर कब्जा होना ,यह तीन मुद्दा है। हम समझते हैं कि अगर पहले सोचा जाय तो जितनी जमीन मिली है यहाँ भूदान में अभी तक हमलोग देखते हैं चाहे जंगल का क्षेत्र रहा हो,नदी का क्षेत्र रहा हो,श्मशानघाट का क्षेत्र रहा हो,चाहे किसी दूसरे की जमीन को भी दान लोग कर दिये हैं,इसके चलते आये दिन अजीब प्रकार की बात हुआ करती है। इसलिए डिमांड संपुष्टि का प्रावधान था कि हम डिमांड संपुष्ट करके देखें कि वाकई में वह जमीन किसकी है और कैसी है। इस संदर्भ में जैसा कि हमें पता है कि अभी जितनी जमीन मिली है,उसका आधा जमीन का डिमांड संपुष्ट नहीं किया गया है। इसलिए उस जमीन की पहले डिमांड संपुष्टि हो जानी चाहिए और तीसरी बातें इसमें है महोदय कि आज कब्जा जिसको दिया गया पर्चा,वह कब्जा उसपर नहीं है और भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा,यह कोई हमारा आलोचना या शिकायत नहीं है लेकिन आये दिन हमलोगों के सामने यह बात आते रहती है कि हमें पर्चा मिला हुआ है,पर्चा हम रखे हुए हैं लेकिन हमें जमीन कहाँ है, कैसी हैं,यह हमको नहीं बताया गया है। दूसरी बात यह है कि जमीन हमें मिली है लेकिन कब्जा उन्हीं का है जिन्होंने दान दे दिया है, एक पिता ने तो दान दिया,उनके पुत्रों ने कुछ कहा लेकिन उनके पौत्र ने कहा कि दादा जी दान दे दिये तो उससे क्या है,वे उसे मानने को तैयार नहीं है तो इस तरह की सारी समस्याएँ उसमें आती है,इसलिए सरकार इस संबंध में विशेष धयान नहीं दी जिसके चलते ये सारी बातें आती हैं,इसलिए हमारा सजेशन है कि इन तीनों मुद्दों को देखते हुए जमीन के डिमांड को संपुष्ट कराया जाय,संपुष्ट करने के बाद जिनको-जिनको हमने दिया है,उनको कब्जा दिलावें,ऐसा भी बहुत जगह हुआ है कि शिड्यूल कॉस्ट के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को भूदान की जमीन मिली,पर्चा है लेकिन किसी कारण से वे बाहर चले गये,वहाँ पर है नहीं,वहाँ पर रह नहीं रहे हैं तो उस जमीन पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो जमीन लोगों ने दिया है तो इस प्रकार के जमीन को,भूदान में मिली जमीन को भी एक एकड़ नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी हैं,जिसमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं,तो उसको भी एक्जामिन करके भूदान की जमीन

को वितरण करने की बात किया जाय और लोगों को उसपर कब्जा दिलाया जाय और इसके लिए जब तक कि या भूदान यज्ञ कमिटी क्रियाशील हो या बिहार सरकार इसके लिए कोई अलग से कमिटी बना करके एक्जामिन करें कि कितनी जमीन है,कितना संपुष्ट हुआ,कितने को दिया,कितने को कब्जा नहीं हुआ और कितने ऐसे जमीन है जो बेसहारा बनी हुई है उसका कोई कहने वाला नहीं है कि वह जमीन किसकी है और उसमें जो भूदान को दिया गया है दान यह उनके कब्जे में है जिसके चलते आज अनेक तरह की बातें आ रही हैं,हम यही सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक कमिटी बनावें या सरकार अपने स्तर से क्रियाशील हो करके भूदान यज्ञ का जितना जमीन है,उसका संपुष्ट करावें डिमांड और फिर जिनको कब्जा मिला है,नहीं मिला है,उनको कब्जा दिलावें या किसी पर किन्हीं का दावा नहीं है,कहीं बाहर चले गये हैं तो नये वहॉ पर कोई शिड्यूल कॉस्ट के लोग या उस क्वालिफायड तबके में है तो उनको कब्जा दिलाया जाय,यही हमारा इसमें कहना है।

श्री विद्यासागर केशरी:- अध्यक्ष महोदय,अभी बिहार भूदान यज्ञ(संशोधन) विधेयक,2016 जो अभी पास कराया जा रहा है,उसके संबध में कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जमीन हमारे अररिया जिला में है जहॉ भूदान के माध्यम से जमीन भूधारियों द्वारा दी गयी थी,माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो जमीन पहले दी गयी थी तो आज की वस्तुस्थिति ऐसी रही कि लड़के नहीं मान रहे हैं,उनके पोते नहीं मान रहे हैं कि हमारे दादा जी जमीन दिये थे,अब हम इस परिस्थिति में नहीं है,इस काबिल नहीं है कि हम अपना जमीन दान दें तो आज जो देखा जा रहा है कि जो जमीन दान दी गयी थी उसका बेजाप्ता बुक-2 रजिस्टर में इन्द्री है और वह सारी जमीन पुन: भूधारी के नाम से आवंटित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो रेकर्ड रुम है,रेकर्ड रुम से भी जो भूदान में जमीन जो दी गयी थी उसका जो आकलन था,रेकर्ड रुम में जो रखी गयी थी,वह प्रति भी रेकर्ड रुम से गायब प्रतीत होती है,ऐसा हमारे संज्ञान में आया हुआ है, हमारे अररिया जिला में, बहुत सारे पर्चाधारी अपने पर्चा को ले करके इधर-उधर भटक रहे हैं,दूसरी तरफ जो भूधारी हैं,उस जमीन को आनन-फानन में बेचने का काम कर रहे हैं,उनकी रसीद कुछ कटी हुई है,उनके नाम से जो खतियान आना चाहिए था,वह खतियान उपलब्ध है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री केशरी जी यह सब सुझाव तो आप लिखकर दे सकते हैं। अभी तो बिल है भूमि की जो सीमा पहले पॉच एकड़ थी उसको अब एक एकड़ करने की बात है उसमें कुछ कहनी हो तो कहना चाहिए।

श्री विद्यासागर केशरी:- यह अच्छा सुझाव है कि पॉच एकड़ जमीन जो पूर्व में बताये जाते थे कि पॉच एकड़ जमीन वाले भूधारी कम जमीन वाले माने जायेंगे और आज जो एक एकड़ या

उससे कम भूमि वाले ही भूमिहीन के गणना में आते हैं तो यह सरकार का एक अच्छा सुझाव है,हम इसको मानते हैं।

अध्यक्षः- ठीक है। माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह जी।

श्री सदानंद सिंहः- अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा कि यह संशोधन विधेयक सिर्फ एक इशू के लिए लाया गया है कि कुछ लोग पॉच एकड् वाले भी,चार एकड़ वाले भी,तीन एकड; वाले भी, भूमिहीन कहते थे और भूमिहीन की परिभाषा एक एकड् से कम या एक एकड़ तो मात्र इस उद्वेश्य के लिए यह संशोधन है,इसलिए इसमें कोई विस्तृत बात का कोई स्कोप नहीं है,इसको स्वीकृत कर देने में हम समझते है कि कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्षः- ठीक है। अब प्रभारी मंत्री अपना स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखें।

श्री मदन मोहन झा,मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता विरोधी दल प्रेम बाबू, हमारे माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझीजी,हमारे माननीय श्री सदानंद सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं,आप सुन ही लिये हैं,इसमें कोई बड़ी बात नहीं है .....(व्यवधान)

अध्यक्षः- उन्होंने सुझाव दिया ही है लेकिन आपके संशोधन को सबने सराहा है।

श्री मदन मोहन झा,मंत्रीः- जी। और इस संशोधन में कोई ऐसी बात है भी नहीं,हमने भूमिहीन की सीमा को पॉच एकड़ से घटाकर एक एकड़ किया है। हमारे प्रेम बाबू ने इसके बारे में बताया है कि कितना जमीन हमें मिला है,मुझे 6 लाख 48 हजार 551 एकड़ भूमि करीब मिली थी, जिसमें हमने दो लाख 48 हजार बॉट दिया है और दूसरी बात है जहॉ तक जमीन के बेदखल-कब्जा की बात है तो हमलोगों ने ऑपरेशन दखल देहानी एक कार्यक्रम चलाया है,जिसके चलते जिन लोगों के पास जमीन हैं और वे अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें हम दखल दिलाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं।

क्रमशः

टर्न-10/सत्येन्द्र/1-8-16

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्री(क्रमशः)और आगे जो एक रैयतों की बन्दोबस्ती का सवाल है बिहार भूमि निराकरण के बारे में आपलोगों ने चर्चा किया है उसके द्वारा हमलोग उच्च न्यायालय में हार गये थे । हम उच्चतम न्यायालय उसके लिए पेटिशन किया है और मैं समझता हूँ कि जिस चीज के लिए आपलोग चिन्तित हैं, सरकार भी काफी चिन्तित है इसलिए आपलोगों के बात पर इसमें समायोजन किया गया है इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें और इसे पास होने दें।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन)विधेयक,2016

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्री:अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन)विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री(डॉ0)मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री(डॉ0)मदनमोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो ।'

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा,श्री विजय कुमार खेमका,श्री संजीव चौरसिया,श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह,श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विद्यासागर केशरी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन)विधेयक,2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।'

अध्यक्ष महोदय,हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि सिलिंग ऐक्ट की धारा 45(बी) के बारे थोड़ा विस्तार से सदन को बतलायें कि

45(बी) है क्या और 45(बी) को खत्म करने का जो फैसला लिया गया है अध्यक्ष महोदय तो सिलिंग ऐक्ट में संशोधन के बाद कोर्ट और लैंड ट्रिव्यूनल में कोई केस दर्ज नहीं होंगे और न ही कोई सुनवाई होगी। महोदय इस पर बहुत ही गंभीरता से विचारने की आवश्यकता है । नया नियम लागू होने के बाद महोदय किसी भी कोर्ट में लंबित मामला खुद ब खुद खत्म हो जायेगा और कलक्टर कमिशनर के यहां सिलिंग के जो भी मामले लंबित हैं वह स्वतः समाप्त हो जायेगा । अब इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होगा महोदय, इसका असर बड़ी जोत वाले राज्य के एक लाख से अधिक किसान परिवार के लोगों को होगा ही, इससे लाखों भूमिहीन परिवार भी प्रभावित होंगे । ये बड़ा ही गंभीर राज्यहित में लाया गया है लेकिन पहले सदन को विश्वास में लेना आवश्यक है महोदय और सदन को पूरी बात बतानी चाहिए कि इसका कुपरिणाम क्या निकलेगा । महोदय, हम इसको खत्म नहीं कर के इसका समय सीमा तय कर देते, समय निर्धारित कर देते, धारा 45(बी)को हम समय सीमा में निर्धारित कर देते कि जो अपील का समय है वह एक समय सीमा के अन्दर पूरा करे । आज लम्बा लटक जाता है, कोर्ट में मामला जाता है वर्षों वर्ष तक पुस्त दर पुस्त गुजर जाता है परिणाम होता है कि थक हार कर के लोग बैठ जाते हैं और हमको लगता है कि सरकार की भी चिन्ता यही है कि ये लम्बा न खीचें तो जब लम्बा न खींचे तो इसकी समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने दिनों के अन्दर जैसे स्पीडी ट्रायल के तहत में आप तय कर देते हैं तो स्पीडी ट्रायल के रूप में इस जमीन का अपीलीय निष्पादन का समय सीमा तय हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता । एक आग्रह और है महोदय जो हमारे मन के अन्दर शंका है और हम समझते हैं इस सदन को स्पष्ट बताना चाहिए कि जो सी0ओ0 के माध्यम से निर्णय दे दिया गया और महोदय उस जमीन पर कब्जा जाकर के जिनका भी हो जिनके पक्ष में हो कर लिया और बाद में वो हाईकोर्ट से जितेंगे और तब जाकर खाली करायेंगे तो महोदय इसका दुष्परिणाम सामाजिक तनाव और किस रूप में उभरेगा, बिहार के अन्दर गलत तथ्य के लोग निगेटिव मानसिकता के लोग किस रूप में बिहार के ये सामाजिक तानाबाना को छिन्न-विछिन्न करेंगे महोदय इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको स्पष्ट किया जाय और सदन को विश्वास में लिया जाये ।

अध्यक्षः अब मैं जनमत जानने का प्रस्ताव लेता हूँ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा,श्री विजय कुमार खेमका,श्री संजीव चौरसिया श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हाः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'बिहार भूदान यज्ञ(संशोधन)विधेयक,2016 दिनांक 31 जनवरी,2016 दिनांक 31 जनवरी,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।'

महोदय,मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सरकार एक बार जांच करा ले । एक साधारण सी बात यह है कि जो नीचे के लोग निर्णय दिये महोदय और हाईकोर्ट में जाकर के वो मामला टूट गया, खारिज हो गया तो हाईकोर्ट में जब खारीज होगा तो उसका दुष्परिणाम के लिए जिम्मेवार कौन होंगे ? उसका जो नाकारात्मक भाव से समाज की शांति भंग होगी उसकी जिम्मेवारी किस पर तय की जायेगी इसलिए जनमत जानना आवश्यक है महोदय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन)विधेयक,2016 दिनांक 31 अगस्त 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2,3,4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि

खंड 2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

खंड-1 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-11/मधुप/01.08.16

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : इसपर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे !

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन के संबंध में जो विधेयक लाया गया है, इसपर विस्तार से माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने चर्चा की है । हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि 45 बी. के प्रावधान को समाप्त करने के बजाय अपील निष्पादन की जो समय सीमा है, उसकी सीमा निर्धारित किया जाय इससे भू-धारी और पर्चाधारी दोनों का भला होगा । महोदय, हमारा सरकार से यही आग्रह है कि 45 बी. को समाप्त करने की जो बात हो रही है उसके बजाय सरकार एक समय सीमा के अन्दर में इसपर विचार करे, वह ज्यादा बेहतर होगा । यह पर्चाधारी और भू-धारी दोनों के हित में होगा ।

अध्यक्ष : सरकार ने तो इसमें समयसीमा भी प्रक्रिया के एक स्तर पर दिया है । संशोधन विधेयक के नाम में ही है - अधिकतम सीमा निर्धारण । संशोधन के मूल में है - अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन ।

और कोई माननीय सदस्य !

श्री विद्या सागर केसरी : महोदय, सी0ओ0 को बहुत ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है जिससे लग रहा है कि इसका दुरूपयोग हो सकता है चूंकि बहुत सारे लोग अपने गॉव-शहर से दूर जाकर बस जाते हैं । उस परिस्थिति में जो परिवार में सदस्य रहते हैं उन्हीं को मानकर सी0ओ0 उनके नाम से जमीन आवंटित करके जो रेस्ट जमीन है, वह सीलिंग ऐक्ट के तहत दे दी जाती है । बाद में झमेला उत्पन्न होगा जब उनके परिवार के लोग आयेंगे, हाईकोर्ट में अपील के लिये जायेंगे । हाईकोर्ट जब संशोधित करके मामले को खारिज करके देती है, उस स्थिति में पूर्व के जो हमारे विधायक ने बताया कि उसपर एक गंभीर मामला उत्पन्न हो जायेगा, राज्य में अफरा-तफरी भू-धारी और पर्चाधारी के बीच में आ जायेगी तो उस परिस्थिति में मैं चाहूँगा कि सरकार इसपर एक बार पुनर्विचार करे और अधिकतम सीमा कम से कम छः महीना दे ताकि लोग उस सीमा के अन्दर अपने अधिकार का उपयोग कर सकें । महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आवश्यक कानून है । सीलिंग के अन्तर्गत जो मामले तय किये गये, निष्पादित हुये और अनेक अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक गये और उसके बाद भी हमारे ऐक्ट में एक प्रावधान है कि सब जगह से उसके निष्पादन के बाद भी राजस्व मंत्री के यहॉ अगर वे अपील कर देंगे तो फिर से मामला री-ओपेन हो जाता है । सिर्फ उसी को समाप्त किया जा रहा है कि अब किसी भी प्रकार से जो कानूनी प्रक्रिया है इसकी, जो जिस स्तर का अधिकार है उस स्तर पर निष्पादित

होने के बाद, उच्चतम स्तर पर निष्पादित होने के बाद अब कोई माननीय मंत्री के यहाँ अपील करके इस पूरे मामले को फिर से लटका देता है, वह स्थिति नहीं रहे । यानी जो अंतिम तौर पर, उच्चतम स्तर पर न्यायालय में फैसला हो गया, अब इसके बाद कोई मंत्री के यहाँ अपील करके इस मामले को री-ओपेन नहीं करायेगा । इसी से छुटकारा दिलाने के लिये यह लाया गया है । आप देखियेगा राजस्व मंत्री के यहाँ अपील हुआ, राजस्व मंत्री ने कहा कि ठीक है, इसकी सुनवाई देखा जायेगा । वर्षों-वर्ष पड़ा हुआ है मामला । सीलिंग के कानून के मुताबिक जो सीलिंग से फालतू जमीन डिक्लेयर हो गया उसको वितरित किया जाता भूमिहीनों के बीच में, वह काम रूक जाता है और यह मामला अँटका रह जाता है । इसलिये यह गरीबों के हित में कानून है कि अब कहीं भी अपील करके फिर से नये सिरे से, यह एक विडम्बना थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह प्रावधान था । हमलोगों ने यह महसूस किया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिये । मूल उद्देश्य इसका यही है कि अब किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के उच्चतम स्तर तक जाकर जो फैसला हो गया, अब उसके बाद फिर सरकार के मंत्री के पास एक अपील दायर करके फिर से मामले को कोई चाहेगा कि इसको री-ओपेन करा ले, वह कराना सम्भव नहीं होगा । इसका मकसद मात्र यही है । इसलिये हम सबसे अपील करेंगे कि इसको इस परस्पेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष : मतलब कि सरकार न्यायहित में अपने अधिकार घटा रही है । माननीय मंत्री ।

डॉ0 मदन मोहन झा, मंत्री : सरकार अपना पावर छोड़ रही है । इसलिये कम से कम हम समझते हैं कि इसमें 10 हजार एकड़ जमीन हमको मिलने वाला है जिसको हम गरीब में बाँटेंगे । आपलोग भी यही चाहते हैं इसलिये आपलोग अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे !

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, अभी चार महीना पहले 31 मार्च को संभवत: मुझे जो याद पड़ रहा है इस सदन के अंदर बिहार में शराबबंदी के संबंध में विधेयक आया था और आप जानते हैं, देश इस बात का गवाह है प्रदेश तो इसका गवाह है ही, सम्पूर्ण सदन ने बिहार के अंदर शराबबंदी लागू हो, इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये थे और जो विधेयक सरकार की ओर से लाया गया था, उसका समर्थन भी किया था । लेकिन महोदय, केवल चार महीने बीते हैं और चार महीने में कौन-सी ऐसी आफत आ गई, कौन-सी ऐसी कठिनाई आ गई कि चार महीने में ही एक अलग से विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ गई, पुराने विधेयक को निरस्त करने की जरूरत पड़ गई ? मेरी समझ से परे है ।

महोदय, शराबबंदी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय डंडा चला दें और बंद हो जाय । महोदय, यह आदत है, लत है और जो लत होती है, डंडे के जोर पर लत को दूर नहीं किया जा सकता है ।

...क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/01.08.2016

श्री नन्द किशोर यादव : (क्रमशः) इसका एहसास आप सबको है । महोदय, शराबबंदी के बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इसको भोगा हूँ । मैंने अपना दामाद खोया है इस शराब के कारण, 32 साल के उम्र में मेरी बेटी विधवा हो गई महोदय, मैं इसके दर्द को समझता हूँ , मैं इसकी कठिनाई को समझता हूँ । उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी आदत, लत जो होती है, उसको आप डंडे के जोड़ पर दूर नहीं कर सकते हैं । बहुत सारे लोग हैं, जिनको अनेक प्रकार की लत है । बैठे हैं, मेरे मित्र ललन जी, पान खाने की आदत है इनको महोदय, जर्दा खाने की आदत है महोदय, कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, नहीं छोड़ पा रहे हैं महोदय । मुझे भी पान खाने की आदत थी महोदय, 24 साल कोशिश की इसको छोड़ने की, नहीं छोड़ पाये । इधर 2000 में छोड़ पाये महोदय ।

अध्यक्ष : अभी वाला है कि छोड़ दिये ?

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, इलाईची वाला है, इलाईची कोई लत नहीं है । इलाईची भी एक प्रकार का लत है महोदय । इलाईची भी लत है महोदय, नहीं छोड़ पा रहे हैं महोदय । मैं सब लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ । केवल शराब का सवाल नहीं है महोदय, मैं लत की बात कर रहा हूँ । कई लोग ऐसे हैं सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष में भी होंगे, जिनको अनेक प्रकार की लत है महोदय । छोटी-छोटी चीज है, मैं कई लोगों का नाम नहीं लेना चाहता , मैं उनको असमंजस में नहीं डालना चाहताा, मैं जानता हूँ कि किसी को खैनी का लत है, किसी को पान का लत है, किसी को पान-पराग का लत है, किसी को और कुछ का लत है । महोदय, लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते हैं, कठिनाई के कारण, जैसा मैंने कहा कि लत कोई अचानक डंडे के जोड़ पर छोड़ाया नहीं जा सकता और 4 महीने हुए, आपने कानून बनाया, बिहार के अन्दर शराबबंदी का कानून बनाया, बड़े सख्त कानून थे महोदय, कानून कोई मामूली नहीं था । उस कानून में जो प्रावधान किये गये थे, उन प्रावधानों का जिक्र मैं करूँगा आपके सामने तो आप देखेंगे कि इतने सख्त कानून थे कि भयानक कोई आदमी शराब पीता हुआ पकड़ा जाय तो उसको 10 साल तक सजा हो सकती है, 8 साल तक सजा हो सकती है, सजा हो सकती है महोदय । लेकिन अचानक 4 महीने में क्या हो गया, फिर से एक नया कानून आ गया । इस कानून में और कुछ जोड़ने की कोशिश की गई है महोदय और मुझे

बड़ा आश्चर्य हो रहा है , अभी मैं रोज अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, अभी शराबबंदी के कानून के बारे में सत्तारूढ़ दल में एकता नहीं है । मेरी तो अपेक्षा थी कि अगर समाचारपत्रों के समाचार पर विश्वास करे, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्यों पर विश्वास करें तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने देखा है अखबारों में, आप कह रहे हैं कि साहेब ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है, उसपर प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा लेकिन महोदय है क्या, मैं सोचता था कि अखबारों को पढ़ने के बाद मैं समझता था कि सरकार इस विधेयक को पेश करते समय ही या तो इसको वापस ले लेगी या इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करेगी कि हम किन-किन प्रावधानों को लागू नहीं करेगी, लेकिन महोदय सरकार की ओर कोई इस प्रकार की घोषणा दिखाई नहीं पड़ी है । मैं जानता हूँ कि सरकार कहेगी कि इसमें इस बात का प्रावधान है कि बाद में हम इसको नोटिफायड करके अलग कर देंगे । महोदय, इसपर कौन विश्वास करने वाला है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून में जो नया विधेयक आया है महोदय, इस नये विधेयक में अनेक ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिन प्रावधानों को स्वीकार करना महोदय संभव नहीं है । यह कैसा कानून है , यह किस प्रकार का तालिबानी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है । आप बात कर रहे हैं बार-बार गरीबों की हित की बात कर रहे हैं, आप इसको सामाजिक आन्दोलन का नाम दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि इसका सामाजिक आन्दोलन होना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए । सामाजिक आन्दोलन का मायने क्या होता है । क्या अर्थ होगा इसका, सामाजिक आन्दोलन के नाम पर जिस प्रकार से आपने इस कानून को बनाने की कोशिश की है, यह समाज को जोड़ने वाला कानून है क्या ? मैं दो प्रकार की बात कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की नीयत आपकी होती, अगर सामाजिक आन्दोलन बनाने की सोच आपकी होती तो दो प्रकार की धारायें इसमें होनी चाहिए थी । एक धारा होनी चाहिए थी शराब बनाने वालों के लिए, अवैध शराब बनाने वालों के लिए, मिलावट करने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए और दूसरा कानून होना चाहिए था शराब पीने वालों के लिए । मैंने कहा आपसे यह लत है, शराब पीने की लत दो दिनों में छूट नहीं सकती है, 4 दिनों में छूट नहीं सकती है और शराब पीने की लत, चूँकि है लत और आपने बढ़ाया । 10 सालों के अन्दर आपने लोगों को शराब पीने का लत लगाया और अब आप कहते हैं कि अचानक बन्द कर दो चूँकि कानून लागू हो गया । आपके अन्दर अगर आप वास्तव में शराबबंदी चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते तो शराब पीने वालों के लिए अलग कानून बनाना चाहिए था । महोदय, मैंने देखा है माननीय उप मुख्यमंत्री का ब्यान है, शायद इनके पार्टी के बड़े नेता का ब्यान है । जब कोई शराब पीयेगा ही नहीं तो कानून के धारा में जेल कहां जायेगा ? अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ । अगर शराब उपलब्ध नहीं होगा बिहार के अन्दर तो वह पीयेगा कैसे ? महोदय, शराबबंदी के

कानून में शराब पीने वालों के ऊपर जिस प्रकार का धाराओं का इस्तेमाल करने का आपने सोच बनाया है, वह विपरित सोच है । आपको चाहिए था कि बिहार के अन्दर शराब उपलब्ध नहीं हो । अगर शराब आ रहा है दूसरे प्रदेशों से तो इसमें किसका दोष है, आप क्यों नहीं रोक पाये, क्यों नहीं शराब आने पर रोक लगा पा रहे हैं ? जितनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हो रही है, वह तो केवल नमूना है महोदय लेकिन जितने बड़े पैमाने पर शराब बिहार के अन्दर आ रहे हैं, आप इसको रोकने में असफल हो पा रहे हैं । जब आप फेल हो रहे हैं, जब बिहार के अन्दर शराब आने से रोकने में आप विफल हो रहे हैं, आपकी धज्जी उड़ रही है तो आप उसका दंड उन गरीब लोगों को देना चाहते हैं जो लत के कारण मजबूर होकर के एक गिलास शराब पीना चाहते हैं । अपनी विफपलताओं को छिपाने के लिए डंडे का जोड़ लगाना चाहते हैं और किस-किस पर चलाना चाहते हैं । आपने बड़ा शोर किया था, याद करिए मुख्यमंत्री जी आप, आपको पूरी जानकारी है । महोदय, आपने क्या कहा था, मुझे आज भी याद है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपने शराबबंदी की घोषणा की थी , लोगों ने कहा था कि शराब के दुकानों में जो लोग रोजगार हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा ? आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, दूध का बुथ स्टॉल खोलेंगे । लोगों को लगा था कि यह बहुत बढ़िया सोच है मुख्यमंत्री जी । आपने यह भी कहा था कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो जायेंगे, उनके लिए रोजगार के साधन के लिए विचार करेगी सरकार । कितने दूध के बुथ स्टॉल खोले गये ? एक भी नहीं, क्यों, इसलिए कि आपके मन के अन्दर शराबबंदी सामाजिक आन्दोलन नहीं था, आपके मन के अन्दर शराबबंदी के नाम पर देश के अन्दर राजनीति करने का भाव था, इसलिए आपने इस काम को किया । अब आप विचार करिए कि जो नौजवान बेरोजगार हो जायेगा, जो सालों से लगातार काम कर रहा है, चाहे कोई भी काम करता हो, चाहे वह गलत या सही जो भी हो, बेरोजगार होकर क्या करेगा ? आज अवसर मिल गया उसको, आज होम डिलिवरी हो रही है महोदय । मैंने देखा है, मैंने टेलीविजन के चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन देखा है, इस पटना शहर के अन्दर और बिहार के दूसरे स्थानों पर होम डिलिवरी हो रही है । होम डिलिवरी कौन रोकेगा, होम डिलिवरी रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, उस व्यक्ति की जो केवल पीता है, शराब अगर हमारे घर में बरामद हो गया तो हम इसलिए दोषी है कि हम पीते हैं, आप दोषी नहीं है कि बिहार के अन्दर शराब नहीं आये, इसको नहीं रोक पा रहे हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है, आपकी पुलिस नहीं रोक पाती है और आप इसके लिए दोषी नहीं हैं और कैसा कानून बनाया आपने ? आपने बढ़िया अभियान चलाया था माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वास्तव में शराबबंदी का उद्देश्य पूरा करना था तो आपकी अच्छी कोशिश की थी, मैं इसकी सराहना करता हूं उसकी, जो आपने महिलाओं के अन्दर जागृति पैदा करने का काम किया था । स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को

आपने प्रेरित किया था । शराबबंदी के बारे में आपने जागरूकता लाने का काम किया था। यह एक अच्छा काम था । जो नया कानून बनाया आपने, उसमें महिलाओं का क्या हश्र होने वाला है, आपको पता है ? किस युग में रह रहे हैं आप, आपने कानून बना दिया, 18 साल से उम्र के ऊपर के सभी लोग दोषी हो जायेंगे, अगर घर में कोई चीज बरामद हो गई तो । आपकी क्या अपेक्षा है, आप क्या समझते हैं । इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कोई पत्नी कभी नहीं चाहेगी उसके रहते हुए उसका पति जेल के सिकंजे में बन्द हो जाय । आपकी सोच क्या है, आप सोचते हैं कि महिलायें पकड़ी जा रही है, गया में एक महिला पकड़ी गई, आपको चिन्ता हो रही है । अगर आप सोचते हैं कि महिलाओं को जेल जाने के डर से पुरूष स्वीकार कर लेंगे कि मैंने शराब पीया है तो यह आपकी गलत फहमी है । आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं, यह भारत देश है । भारत की सभ्यता और संस्कृति नारी अपनी पत्नी को भगवान का रूप मानती है । वह कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति जेल में जाय, अपने जेल जाना पसन्द करेगी । आप महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं और महिलाओं को अन्दर करने की बात करते हैं । महोदय, विचार करिए कि हमारे घर में कोई शराब का बोतल लाकर रख देता है, खाली बोतल और पुलिस को लग जाय कि हमारी मंशा शराब पीने की है । क्या होगा, मेरी बेटी 18 साल की, 20 साल की, नहीं कह पायेगी कि मेरे पापा शराब पीते हैं और आपका कानून मेरी 18 साल, 20 साल की बेटी को जेल के शिकंजों में बन्द कर देगा । यह कौन सा कानून है, यह भय का माहौल बनाना चाहते हैं देश के अन्दर, ये भय का माहौल बनाकर के कोई इस प्रकार के कानून को लागू करके कोई शराबबंदी कर सकता है क्या ? कहीं हुआ है क्या दुनिया में, कहीं हुआ है देश में लेकिन आपको तो पता नहीं, शराबबंदी के नाम पर आपको कौन सा नशा चढ़ गया है महोदय, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ..... क्रमशः.....

टर्न–13/अंजनी/दि0 01.08.2016

श्री नंद किशोर यादव.....क्रमशः.... : जिस प्रकार की चीजें आपने इसमें लागू किया है, उसको वापस ले लीजिए । उचित नहीं है, राज्य के लिए उचित नहीं है, देश के लिए भी उचित नहीं है । ऐसे काले कानून आपातकाल में लागू किये गये थे, ऐसे काले कानून लोगों पर पहरा, लोगों का मुंह बंद करना, यह आपातकाल की देन है । लगता है कि संगत का असर आप पर हो रहा है मुख्यमंत्री जी, उसके कारण आप गलत कानून ला रहे हैं । आप तो समाजवादी धारा के लोग हैं, समाजवादी धारा के लोगों ने ओपेन बहस करने की अनुमति देने का काम किया था । आपके सभा में होता क्या था ? अगर आपके समाजवादी लोगों का सम्मेलन होता था तो उसमें सबको बोलने की छूट होती थी, विचार

व्यक्त करने की छूट होती थी और आज बाप शराब पीने का आदि है तो बेटी को जेल में बंद कर देने की कौन-सा कानून लागू करना चाहते हैं । कौन- सी धारा में आप लागू करना चाहते हैं । आप तो बड़े समर्थक थे आजादी के उन दिवानों का, जो देश हित की बात करते थे, उन दिवानों की आप चर्चा करते थे, आप गले लगाने का काम करते थे लेकिन आज क्या हालत है परिवार का ? क्या परिवार में बाप-बेटे में एकता है, सबमें है क्या ? हम सब भी अपने परिवारों के बारे में विचार करें, कितने ऐसे बाप हैं, जिसके 20 साल का, 25 साल का बेटा हमारे कहने पर चलता है । क्या परिवार के लोग तनाव में नहीं हैं क्या ? अगर बेटा 25 साल का है और शराब की लत उसका लग गयी हो तो बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ आपको सूचना नहीं देगा, क्यों देगा ? क्या अपने बेटे को जेल में जाने हेतु कोई बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, चाहे जैसा भी बेटा हो, कोई चाहेगा कि मेरा बेटा जेल के सीकचों में बंद हो जाय, भले ही उसका लीवर शराब से खराब हो रहा हो, यह माँ-बाप कभी नहीं चाहेगा और सूचना नहीं देगा, नहीं तो आपका कानून जेल के सीकचों में बंद कर देगा । यह आप कौन-सा कानून लाना चाहते हैं ? आप कह रहे हैं कि लोग बच जाते हैं, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, चार महीने में बच जाता है । महोदय, मैंने पहले भी कहा कि यह जो शराब की लत है, अगर शराब की लत को दूर करना है तो चार महीने में दूर नहीं होगा, समय लगता है । आपने प्रावधान किया है कि अगर पत्नी कहेगी तो पति को नशा मुक्ति केन्द्र में भर्त्ती करेंगे । यही ठीक था और व्यवहारिक भी है, अच्छी सोच है, लेकिन जरा आप विचार कीजिए तो आपने जो प्रावधान कर दिया, आप कहते हैं कि गरीबों का बड़ा कल्याण हो जायेगा, उनकी आमदनी बढ़ जायेगी, बचत होगी उनकी । कैसे वचत होगी, यह आप बताइए तो जरा ? लत तो छूटेगी नहीं, जल्दी छूटेगी नही, छूट तो जायेगी, मैं इसको मानता हूँ । उपलब्धता समाप्त करने का दायित्व आपका था और जिम्मेवारी डाल रहे हैं उनको जो पीने वाले है । जरा आप इसपर विचार कीजिए । एक गरीब बाप, जिसका बेटा शराब के लत के कारण बिगड़ रहा है । महोदय, बोलने दीजिए । विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो कब बोलने का अनुमति देंगे महोदय । यह विधेयक तो जीवन-मरण का सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव जी, आपने जब-जब चाहा, जितना-जितना चाहा है, बोला है तो यह आशंका आपके मान में क्यों पैदा हो रही है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, अभी तो बहुत चीज बाकी है, अभी तो सिद्धांत पर ही चर्चा हो रही है । महोदय, मैं कह रहा था कि आज परिवार के अन्दर क्या हो रहा है महोदय? आज जो स्थिति है, जब इन्होंने नशा विमुक्ति केन्द्र की बात कही थी तो बहुत अच्छा प्रावधानिक बात थी, अच्छी बात थी । होना तो यही चाहिए था कि एक साल तक ऐसे पीने वालों को नशा विमुक्ति केन्द्र में डाालने का कोशिश करना चाहिए था और जो लोग शराब बनाने का काम कर रहे हैं, जो शराब बेचने का काम कर रहे हैं,

उनपर शक्ति करने का काम करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ? आप विचार कीजिए कि एक गरीब का बेटा, उसका परिवार शराब से बर्बाद हो रहा है, मुश्किल से उसकी आमदनी दस हजार रूपया भी नहीं है, उसमें से दो हजार का शराब पी जाता है और आपने कानून बना दिया कि अगर आप शराब पीओगे तो आठ साल-दस साल जेल में रहना पड़ेगा । जरा आप विचार कीजिए कि जिस गरीब परिवार में परिवार का केवल एक मुखिया कमाने वाला हो और उसको आप सीकचों में बंद कर देंगे, आठ साल-दस साल जेल में बंद कर देंगे तो उस परिवार के भरण-पोषण का क्या होगा, क्या कभी आपने इसपर विचार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ? आपने नहीं विचार किये हैं, जो परिवार बर्बाद होंगे । आप लोगों को तोड़ने का काम करेंगे इस नये कानून से, आप इस पूरे परिवार को तोड़ने का काम करेंगे, घर-घर में झगड़ा लगाने का काम करेंगे, उन निर्दोष लोगों को जेल के सीकचों में बंद करने का काम करेंगे । अधिकार आपने किसको दे दिया ? छोटे पुलिस अधिकारियों को । आपने कहा कि तीन महीने में सबक सीख लिया, यह-यह कानून में विसंगति थी तो आपने यह भी देखा होगा कि पुलिस के अधिकारियों ने किसी के गाड़ी में जबर्दस्ती बोतल रखकर उसको जेल में बंद करने का कोशिश करने का काम किया । आप कहेंगे कि हमने कानून में सजा तीन महीने से तीन साल कर दिया । महोदय, यह सजा का सवाल नहीं है, सजा की मात्रा कितनी है, उसका सवाल नहीं है, सजा की मात्रा से अपराध कम नहीं होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सजा की मात्रा से अपराध कम होते तो देश के अंदर हत्या बंद हो जाती, सजा की मात्रा से अगर अपराध कम होते तो बलात्कार की घटना देश के अंदर घट जाती । सजा की मात्रा बढ़ने से अपराध में कमी नहीं हुई है, यह प्रवृत्ति है । यह लत है, यह आदत है । यह लत, आदत और प्रवृत्ति केवल सजा की अवधि बढ़ाने से दूर नहीं होती मुख्यमंत्री जी । आपको इसका अहसास जरूर होना चाहिये था । मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से जो कानून लाया है, उससे अगर सबसे ज्यादा किसी को क्षति होनेवाला है, तो वह गरीबों को होने वाला है । जो बड़े लोग हैं, जो सम्पन्न लोग हैं, उनके पास पैसा है, पैसा उझल देंगे, छूट जायेंगे, बच जायेंगे और जो चर्चित होंगे, जो अखबारों में हाई लाईट होंगे, वही जेल जायेंगे । मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री जी, मैं आपके ही साथ काम करते थे, कहते थे कि थाना के भ्रष्टाचार को रोकना हमारे बस की बात नहीं है और जिस मुख्यमंत्री के मन में यह बात बैठी हो थाना के भ्रष्टाचार को रोकना उनके बस की बात नहीं है, उस थाने के लोगों को इतना बड़ा अधिकार दे देना.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यह तो अनैतिकता की पराकाष्ठा है कि आप मेरे मुंह में ऐसी बात डालते हैं, जो मैंने कभी कहा ही नहीं है । मैंने कब कहा कि थाना के भ्रष्टाचार को रोकना मेरे बस की बात नहीं थी । मैं तो दूसरे संदर्भ में, पूरे देश की जो पुलिस व्यवस्था

है, रेल में जो टी0टी0 का काम है, जेल में जो वार्डन का काम है, उसपर एक मजाक जो आजादी के दिनों से ही किया जाता है, उसका मैंने जिक्र किया और आप कितना अनैतिक ढ़ंग से किसी भी बात को रखते हैं, वह अच्छी बात नहीं है । अगर मैं साढ़े सात वर्षों के आपके कही हुई बातों को अगर मैं जिस दिन मर्यादा छोड़ दूँ और आप लोग जो साढ़े सात साल में जो मेरे सामने कहते रहे, उसका अगर मैं उल्लेख करूँ तो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहियेगा । यह गलत बात है .....

श्री नंद किशोर यादव : माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका गुस्सा स्वभाविक है, जब परत-दर-परत बातें खुलती हैं तो आदमी परेशान होता है.....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, आप ऐसी बात करियेगा, जिसका न कोई संदर्भ है और न कोई तुक है । मैं कौन-कौन सी बात आप लोगों के बारे में बताऊं, क्या-क्या बात आप मेरे सामने बोले हुए हैं, यह कोई तरीका है क्या ? राजनीति में, हम आपसे मर्यादाहीन आचरण नहीं सीख सकते हैं । आपलोगों से हम मर्यादाहीन आचरण नहीं सीख सकते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, और सुन लीजिए । बड़ी अच्छी बात आपने कही ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर जारी रखें ।

श्री नंद किशोर यादव : आपने अच्छी चर्चा छेड़ दी माननीय मुख्यमंत्री जी । आपने नैतिकता और अनैतिकता की चर्चा छेड़ दी है । मुझे बहुत अच्छा लगा महोदय । आपके इस बिन्दु में कई ऐसी चीजें दिखायी दे रही हैं, आप लगातार शराबबंदी के बारे में दूसरे राज्य में घूमने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं और सभी जगह आप चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने यहां भी शराबबंदी कीजिए । आापको अधिकार है, आप किसी भी राज्य में जाकर अपनी बात कह सकते हैं लेकिन कौन-सी नैतिकता है महोदय ? कौन-सी नैतिकता है कि अपने राज्य में शराब बनाईए और अपने राज्य से शराब बाहर बेचने के लिए भेज दीजिए और दूसरे राज्य में जाकर शराबबंदी की बात कीजिए, यह कौन-सी नैतिकता है ? महोदय, यह क्या हो रहा है ? यह कौन-सी नैतिकता है ? बाहर जाकर राजनीतिक भाषण दीजिए और अपने राज्य में शराब बनाने का काम कीजिए । नये कानून में आपने क्या किया ? आपने कहा, आपने यह नहीं कहा लेकिन आप अगर करते तो हम उसका स्वागत करते कि शराब के जो यहां कारखानें जो इस प्रदेश के अन्दर लगे हैं, उसको एक निश्चित समय-सीमा में बंद करना होगा । अगर आप ये करते तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन आपने क्या प्रावधान किया ? आपने प्रावधान कर दिया कि शराब पीओगे तो दस साल तक जेल जाओगे लेकिन आपने दूसरा प्रावधान कर दिया कि जो शराब के कारखाने पहले से चल रहे हैं, जिनको लाईसेंस हैं, उनको रिनुअल करने का अधिकार सरकार के पास हो गया, कलेक्टर

के पास हो गया, यह कैसा कानून है ? यह किस प्रकार का कानून है, कौन-सी नैतिकता है .....

क्रमशः.....

टर्न-14/शंभु/01.08.16

श्री नन्दकिशोर यादव : क्रमशः..... एक गरीब आदमी अगर आपकी गलती के कारण शराब उसको उपलब्ध होता है, कोई गलती से, दुश्मनी से उसके घर में शराब की बोतल फेंक देता है तो वह जेल जायेगा और दूसरी ओर शराब बनाने की खुली छूट आपके राज्य में मिलेगी, यह कौन सा कानून लाना चाहते हैं ? यह कौन सा सिद्धांत लागू करना चाहते हैं आप ? महोदय, पुलिस को जिस प्रकार अधिकार आपने दिया है, यह तो लगता है जंगल कानून लागू कर रहे हैं आप, दोस्ती भी आपको वैसे ही लोगों से है जो जंगल का कानून लागू करना चाहते हैं, पुलिस के हाथ में ऐसा डंडा देना चाहते हैं । क्या हाल होगा आपको अनुभव है ? आपने इमरजेंसी देखा है, आपने झेला है, आपातकाल झेला है और ऐसी स्थिति बिहार में फिर से पैदा होने की स्थिति पहुंच गयी है और ऐसी चीजों का उपाय डंडा से नहीं था, जिसका उपचार सामाजिक आंदोलन से था, लेकिन सामाजिक आंदोलन से जिन चीजों को दूर किया जा सकता था उसको लाठी के जोर पर जबर्दस्ती आप दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं और नुकसान केवल होना है गरीबों का, नुकसान होना है कमजोर वर्गों का, नुकसान होना है महिलाओं का, परिवार टूटना है और आप वाहवाही लूटना चाहते हैं ? क्या तीर मार लीजिएगा, कौन सा शिगूफा छोड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि इस पूरे कानून में पूरे कानून के बारे में तालिबानी कानून है यह, काला कानून है यह। यह बिहार को ऐसी चीजों में धकेलनेवाला कानून है जहां बिहार का गरीब छटपटा के रह जायेगा, जेल की सींखचों में बंद होगा, परिवार बिखर जायेगा, लेकिन शराबबंदी आप लागू नहीं कर पायेंगे, चूंकि आप रोक नहीं पा रहे हैं शराब बिहार में लाने से। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ चूंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। महोदय, सरकार जहां बाहर में एक तरफ घोषणा करती है कि हम ताड़ी पर प्रतिबंध लागू नहीं करेंगे, यहां सरकार घोषणा करती है कि भांग पर प्रतिबंध नहीं लागू करेंगे और जो बिल ला रही है उसमें सभी चीजों पर प्रतिबंध की बात की गयी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आप जल्दबाजी में हैं, दबाव झेल रहे हैं और दबाव में जल्दीबाजी में जो बिल लाये हैं आप, आप वापस ले लीजिए और विचार कर लीजिए। मेरा आग्रह होगा, आप तो ज्ञानवान आदमी हैं, मैं जानता हूँ लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके जैसा विचारवान आदमी कैसे दबाव के कारण, केवल सत्ता को बचाने के कारण ऐसे लोगों के दबाव को झेलने का काम कर रहा है। ऐसे प्रावधानों को स्वीकार करने का काम कर रहा है जो आपको कहीं से भी उचित नहीं लग सकता है, लेकिन आप अगर

यह कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे आप कर रहे हैं ? कैसे आप स्वीकार कर रहे हैं, कैसे इसको पेश कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि बिहार के हित में, बिहार के गरीबों के हित में इस कानून को वापस ले लीजिए, कानून आपका पहले से लागू है। शराबंदी वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, शराबबंदी के समर्थक हम रहे हैं, हमने समर्थन किया है इसका, आज भी हम इसके समर्थक है, लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान आप किये हैं फिर से विचार कीजिए– जैसे ताड़ी पर विचार कर रहे हैं, जैसे भांग पर विचार कर रहे हैं, वैसे ही ये जो काला कानून है लोगों के घर के अधिग्रहण का कानून, 18 साल से ऊपर के बच्चों को जेल में बंद करने का कानून, इस सब कानून पर फिर से विचार कीजिए। आप एक हफ्ते के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर फिर से हाऊस बुलाइये, फिर से प्रस्ताव लाइये, सर्वदलीय बैठक कीजिए, हम सब उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस काले कानून का समर्थन नहीं करेंगे। मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी, जिद मत कीजिए। अब जिद आपकी रह कहां रही है, आपकी जिद तो अब टूट रही है, आपकी जिद तो दबाव में बदल रही है। इसलिए इसमें भी जिद मत कीजिए, बिहार के हित में अगर आप इस प्रकार के कानून को ठीक से लाने का काम करेंगे जो सब लोगों को स्वीकार हो तो आपका कद बढ़ेगा और आप जो घूमघूमकर प्रचार कर रहे हैं उसमें भी आपकी बात का वजन बढ़ेगा और नहीं करेंगे तो आपकी बात का कोई वजन नहीं होगा और यह सिद्ध होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो किसी के दबाव में काम नहीं करता था, अब कुर्सी की खतिर दबाव में झुकने का काम कर रहा है। यह इमेज मत बनने दीजिए मुख्यमंत्री जी। इसी सलाह के साथ मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस विधेयक को वापस लीजिए और फिर से विचार करके, सम्यक रूप से विचार करके इस प्रस्ताव को पेश कीजिए।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री नन्दकिशोर यादव, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री जिवेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री राणा रणधीर द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

अध्यक्ष महोदय, माननीय नन्दकिशोर जी बता रहे थे कि बजट सत्र में ही संशोधन विधेयक पुराने वाले विधेयक पर आया था और उस समय भी हमलोगों ने कहा था कि जनमत के लिए भेजिए, लेकिन सरकार हड़बड़ी में थी और उन्होंने उसको लागू कर दिया।

अध्यक्ष : आपने समर्थन दिया था।

श्री संजय सरावगी : जी, सर्वसम्मति से हुजूर क्योंकि हम शराबबंदी के पक्ष में थे, अभी भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन चार-पांच महीने के अंदर यह जो काला कानून लाया गया, यह अपने आप में विरोधाभाषी कानून है। जहां हम शराबबंदी के लिए कड़े कानून ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने राज्य में एक माह में 1.66 लाख लीटर शराब दूसरे राज्यों में बनाने का काम कर रहे हैं, अपने आप में यह विरोधाभासी कानून है, पीनेवाला नहीं पिलानेवाला हमारा राज्य बन रहा है और भी बहुत सारे ऐसे कंट्राडिक्ट्री प्रावधान है, जिसपर निश्चित रूप से आगे बोलूंगा, लेकिन इसको 31 जनवरी, 2017 तक जनमत के लिए जनता के बीच परिचारित किया जाय और उसमें जो आपत्ति आये उस आपत्ति पर विचार करके फिर इस विधेयक पर विचार हो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

''यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।''

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अंदर दे।''

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति बना दी जाय या प्रवर समिति बना दी जाय। इतना विरोधाभाषी विधेयक है यह। महोदय, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक व्याख्या की है- मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 25 जनवरी, 1978 को। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंस्टीच्वेशन की व्याख्या की है उसके खिलाफ भी यह विधेयक है यह मैं आपको बताना

चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा- The procedure prescribed by the Low has to be Fair, just and its reasonable not fanciful यानी काल्पनिक मन के आधार पर कर सकते हैं Oppressive दमनकारी और Arbitrary अध्यक्ष महोदय आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस के अंदर The fundamental right in part third of the constitution represent the basic value criticise by the people of the country seas the Vedic times and they are calculated to protect the ***dignity*** of the individual and create conditions in which every human being can develop his ***personality*** to fullest extent.

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है-

The natural Law right were meant to be converted into our constitutionally ***recognised*** fundamental right. So that they are to be found within it in not outside to take a country view would involved a conflict between the Natural Law and our constitutional Low, adverse between Natural Law and our constitutional Low would be disaster. It would be defect on the basis purpose of our constitution

वही मैं बोल रहा हूँ, आपलोग सुनिए, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा इसको फिर विधायिका का अपमान होगा, सुन लीजिए पहले- इसीलिए चाह रहे हैं आपलोग कि विधायिका का अपमान हो। अध्यक्ष महोदय, आप कस्टोडियन हैं। महोदय, हमेशा नेचुरल लॉ और कंस्टीच्वेशनल लॉ में हारमोनियस होना चाहिए, लेकिन यह सरकार अपने आप इसको डायवोर्स करा रही है। A divorce between Natural Law and our Constitutional Low would be distreses. It would defeat one of the basic of our Constitution.किसी भी व्यक्ति के सजा के तहत जो कानून में प्रावधान हो उसे फांसी पर भी लटका दिया जाय, अगर कानून में प्रावधान हो लेकिन किसी की डिगनिटी नहीं ली जा सकती है। आप पुलिस को 24 घंटा में कभी घर में घुसा दीजिए, कभी परिवार को जेल भेज दीजिए, लेकिन डिगनिटी पर कभी भी आक्षेप नहीं लगना चाहिए। क्रमशः.....

टर्न-15/अशोक/01.08.2016

श्री संजय सरावगी : क्रमशः कानून ऐसा बनना चाहिए अध्यक्ष महादेय और अध्यक्ष महादेय जब वैदिक काल से चला आ रहा है, महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में जो भर्डिक्ट दिया है, वह मैं उसको पढ़ रहा हूँ । लेकिन आप जो कानून बना रहे हैं, रात दिन कभी भी पुलिस घर में घुस जाय, इस कानून के द्वारा पूरा बिहार जेले में बंद हो जायेगा । पुलिस को तलवार दे दिया गया अध्यक्ष महोदय, अगर कोर्ट इस केस को सेट एसाइड कर दिया तो विधायिका के प्रतिष्ठा का अनादर होगा इसलिए आप कस्टोडियन हैं अध्यक्ष महोदय । महोदय, इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कम्पनी चला रहा है, तो कम्पनी का कर्मचारी कोई जो है अगर शराब पी लेता है,

शराब का बोतल फेंक देता है तो कर्मचारी का मालिक जेल चला जायेगा, कम्पनी का मालिक जेल चला जायेगा अघ्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें यह प्रावधान है अघ्यक्ष महोदय लेकिन अघ्यक्ष महोदय सरकारी, आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकारी कम्पनियों को मुक्त कर दिया गया, अगर उस कम्पनी का कोई कस्टोडियन आइ.ए. एस., आई.पी.एस. है तो इस पर यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन आम जनता अगर कम्पनी का मालिक है अध्यक्ष महोदय तो उस पर यह कानून लागू हो जायेगा अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : चलिये अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री संजय सरावगी :अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूँ, हम अगर भूस्वामी हैं, हम अगर किराये पर दिये हुये किसी को और किरायेदार के वहां जो अगर घर में बोतल फेंक दी जाय अध्यक्ष महोदय तो भूस्वामी का परिसर निलाम हो जायेगा और इसमें यह भी प्रावधान है कि भूस्वामी के परिवार के सभी लोगों को जेल भेज दिया जायेगा जो बालिग होगा अध्यक्ष महोदय- कैसा कानून है महोदय, और अध्यक्ष महोदय यह काला कानून है अघ्यक्ष महादेय । मैं तो कहता हूँ अघ्यक्ष महोदय अगर शराबबंदी लागू कर दिया जाय तो यह जो कानून बन रहा है यह जनता पर लागू नहीं कर के जिस थाना क्षेत्र में शराब मिले उसके थाना प्रभारी पर यह सारा कानून इम्पोज कर दिया जाय तो शराबबंदी हो जायेगी अध्यक्ष महोदय । क्या आप चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि पूरे बिहार को जेल भेज दीजिए, इसमें प्रोभिजन है कि कहीं रैपर मिल जाय, कहीं रैपर मिल जायेगा किसी के घर में फेंका हुआ तो उसका पूरा परिवार का आजीवन कारावास की सजा हो जायेगी अध्यक्ष महोदय । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कानून को प्रवर समिति को इस निदेश के साथ भेजा जाय कि वह छह महीना के अन्दर रिपोर्ट दे दे, महोदय सरकार इसे प्रतिष्ठास्वरूप नहीं बनाये, इज्जत पर नहीं ले महोदय कि इसको वापस नहीं ले सकते । प्रवर समिति को भेज दिया जाय, पूर्व में भी विधान सभा की प्रवर समित वर्ष 1990-91 में बनायी थी जिसमें जो प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रवर समिति ने सबों को सुनी और उसके बाद जो अनुशंसा आई, उसको लागू की गई अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, चुनी हुई सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और मेघालय की सरकार को अपदस्थ किया, हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को बहाल किया ..

अध्यक्ष : विनोद जी ।

श्री ललन पासवान : महोदय, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : अब इस पर क्या एक मिनट ?

श्री ललन पासवान : यह जो कानून बना है । यह पूरे विधान सभा परिसर के मालिक अध्यक्ष एवं सेक्रटरी है, दोनों मालिक हैं, यदि कैम्पस में अगर एक बोतल शराब फेंकी जायेगी तो आपा स्वयं जेल जायेंगे एवं सेक्रटरी साहब जेल जायेंगे- यह कानून में है ।

अध्यक्ष : ललन जी, यह तो तब ही न होगा जब आप बोतल ला के रखियेगा ।

श्री ललन पासवान : हम क्यों रखेंगे । कोई भी रख सकता है ।

अध्यक्ष : अगर आप बोतल ला करके नहीं रखियेगा तो ऐसा नहीं होगा । ठीक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 " पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खंड-2 में चार संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मैं मूभ करूंगा ।

अध्यक्ष : मूभ करिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड(16) के तृतीय पंक्ति के शब्द अथवा के बाद शब्द "ताड़ी" को विलोपित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, ताड़ी जो है, सरकार ने भी घोषणा की थी कि ताड़ी को विलोपित करेंगे । ताड़ी को समाप्त करेंगे लेकिन फिर कानून में देख रहे कि ताड़ी शब्द है तो इनके कथनी और करनी में सरकार का अन्तर दिख रहा है । तो सरकार के मुखिया, बड़े भाई जो है गठबंधन के, उनका अखबार में बयान आया, माननीय मंत्री जी का बयान आया कि नहीं ताड़ी को हम विलोपित करेंगे और फिर ताड़ी को, जो हैं कानून में बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिय ताड़ी को इस कानून से विलोपित किया जाय, यही मेरा कहना है । सरकारी ने जो घोषणा की है उसे वह लागू करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड(16) के तृतीय पंक्ति के शब्द अथवा के बाद शब्द "ताड़ी" को विलोपित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, अपना संशोधन मूभ करेंगे?

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं मूभ करूंगा ।

अध्यक्ष : मूभ करिये ।

टर्न-16-ज्योति

01-08-2016

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड (34) को विलोपित किया जाय ''

अध्यक्ष महोदय, मैंने विधेयक के खण्ड-2 के उप खण्ड (34) को विलोपित करने का संशोधन का प्रस्ताव दिया है । अध्यक्ष महोदय, इसमें भांग शब्द का जिक्र है । अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और घर घर से महिलाएं पुरुष जो भी लोग हैं जो शंकर भगवान का पूजन करते हैं वह भांग ले जा करके शंकर जी पर चढ़ाते हैं और शंकर जी उससे प्रसन्न होते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं भांग से- भांग शब्द से भी अगर पहरा लगा दिया जाय, उसपर भी कानून बना दिया जाय तो फिर ये तो शंकर जी नाराज हो जायेंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, और इस कानून के तहत पता चलेगा कि कल शंकर जी की भी गिरफ्त्तारी का वारंट निर्गत हो जायेगा ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : शंकर भगवान की चिन्ता मत करिये हमलोग जानते हैं बेल पत्र चढ़ता है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : मुख्यमंत्री जी भांग भी चढ़ता है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप यह भी जानते होंगें कि आपकी पार्टी में कौन कौन भांग खाते हैं। ये भी आप जानते होंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से भांग श।ब्द को हटाया जाय यह मेरा प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड (34) को विलोपित किया जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूभ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड (46)(i) के द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति के शब्द समूह ''(इसमें ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छेदना और उन वृक्षों से ताड़ी निकालना शामिल है)'' को विलोपित किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, जो नया कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष हैं उसको अगर कोई छेड़ता है या उस वृक्ष को छेड़ता भी है तो या उस वृक्ष से कोई ताड़ी भी निकालता है तो सेम कानून लागू होगा जो शराब पीने वाले पर लागू होगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह काला कानून है, गरीबों के हित में कानून नहीं है इसलिए सरकार इस विधेयक के खंड 2 का जो उपखंड 46 (i) है उसको वापस ले ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड (46)(i) के द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति के शब्द समूह ''(इसमें ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छेदना और उन वृक्षों से ताड़ी निकालना शामिल है)'' को विलोपित किया जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : जी मूभ करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 के उप खंड (69) को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, इसमें ताड़ी की परिभाषा दी गयी है मैं पढ़कर सुना देता हूँ ताड़ी से अभिप्रेत है नारियल, ताड़, खजूर तथा किसी अन्य प्रकार के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया खमीर युक्त या खमीर मुक्त रस तो अध्यक्ष महोदय, नारियल का रस हमलोग निकालेंगे तो शराब पीने वाले सेक्शन में जेल चले जायेंगे, अगर नारियल का पानी पीयेंगे तो अध्यक्ष महोदय, शराब तो सब लोग रोज पीते होंगे मैं तो नारियल का पानी रोज पीता हूँ ।

अध्यक्ष : संजय जी, नारियल का पानी तो लोग नारियल के फल से पीते हैं, नारियल के पेड़ से नहीं।

श्री संजय सरावगी : नारियल अध्यक्ष महोदय, वृक्ष से निकलता है, नारियल अगर निकालेंगे अध्यक्ष महोदय, तब ही न पानी निकलेगा । जब नारियल ही नहीं निकालेंगे तो पानी कहाँ से

आयेगा ? अध्यक्ष महोदय, 69 को पढ़ा जाय पेज नं0 9 में है , इसको जरा पढ़ा जाय । अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनावे और इसको वापस ले अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड–2 के उप खंड (69) को विलोपित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड–3 में एक संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूभ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड–3 को विलोपित किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, अभी विस्तार से बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय, और पूरे बिहार के उन गरीब जनता के लिए भी यह अध्यक्ष महोदय, जिसको पुलिसिया राज के कानून से बचाने की आवश्यकता इस सदन की जिममेवारी है अध्यक्ष महोदय, नहीं तो आपकी इजाजत हो महोदय, तो दो पंक्ति में कहना चाहूंगा कि –''रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। ये बिहार को मदारी के रुप में नचाना चाह रहे हैं और इसतरह के कानून का प्रावधान करवा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं न, ये साढ़े सात वर्ष एन0डी0ए0 सरकार में बिहार की जनता के हित में चिन्ता करते रहते थे चिन्तित रहते थे, क्या हो गया है महोदय ? क्या हो गया है आज कि आज इसतरह से पुलिसिया राज मौलिक अधिकार पर हमला– आज सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आज किसी की सराफत और सज्जनता की राजनीति करने वाले लोगों की ईज्जत पर हमला जब पुलिस जा करके करेगी, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को झूठे केस में फंसायेगा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में सब पहुंच नहीं पायेगा, सामन्तवादी लोग उन गरीबों को जमीन अभी जो भूदान के माध्यम से दिया और शराब का बोतल शराब रखवा कर उसको बेदखल करवा देगा, उसके जमीन को खाली करवा देगा, उस सामन्तशाही लोगों से कैसे लड़ेगा वह गरीब ? क्या होगा इसका परिणाम महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा महोदय , इस कानून पर पुनः विचार हो, यह कानून बिहार के दुर्भाग्य को आज लिखेगा महोदय, जो इसमें भागीदारी करेंगे वो भी इस बिहार के दुर्भाग्य में शामिल होंगे महोदय, इस

दुर्भाग्य से बचाया जाय । आप इस सदन के संरक्षक हैं महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस दुर्भाग्य, इस काले कानून से इस जंगल राज के कानून से बिहार को बचा लें महोदय, अगर यह कानून सही है तो महोदय, अगर जो शराब इस बिहार के अंदर मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिम्मेवारी तय करें, वहाँ के एस0पी0 का, वहाँ के जिलाधिकारी का और वहाँ के थाना प्रभारी का और महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेवारी तय हो कि इस बिहार के अंदर दारु, शराब आती कहाँ से है, कैसे आती है ? आज शराब बनाने की इजाजत दे रहे हैं महोदय, शराब दूसरे राज्य में आप बिक्री करने की बात कर रहे हैं महोदय, यह कर्मचारी काम करेंगे, जो कर्मचारी कार्य करतें हैं उसको गिफ्ट में भी आज सदन के अंदर आप लाते हैं कि गिफ्ट में दिया जाय उत्पाद विभाग के अधिकारी को खुद आपने पुलिसिया राज कायम करने का छूट दिया है परोक्ष रुप से दे दिया है महोदय, यह जिम्मेवारी आप तय करें महोदय और इस काला कानून से इस सदन को, इस राज्य को बचा लें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-4 से 12 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-4 से 12 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 से 12 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-13 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री राघव शरण पांडेय अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री राघव शरण पांडेय : जी, महोदय । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-13 के उप खंड (1) के प्रथम परन्तुक को विलोपित किया जाय । ''

महोदय, इस विधेयक में इतने विरोघाभाष हैं जिनमें से एक के लिए मैंने संशोधन मूभ किया है । एक ओर तो किसी घर में शराब की एक बोतल मिल जाय तो उस घर के मालिक के साथ साथ हर व्यक्ति जेल चला जायेगा । जेल ही नहीं जायेगा कन्भीक्शन के बाद कम से कम दस साल की सजा होगी, वह घर औक्शन हो जायेगा यदि आदतन अपराधी हो तो उसका कनफाईनमेंट और एक्सटर्नमेंट भी होगा ।

क्रमशः

टर्न-17/ 01.08.16/विजय ।

श्री राघव शरण पांडेयः क्रमशः दूसरी तरफ इस सेक्सन में नवीकरण की बात कही गयी है । जब इस शराब से इतना परहेज है और होना ही चाहिए । उस दिन गौरव की बात थी जिस दिन इस सदन में एनाउंस हुआ था कि यहां टोटल प्रोब्हीशन लागू होगा । लेकिन आज जिस तरह से यह विधेयक लाया गया है यदि बिना किसी संशोधन के यह विधेयक पारित हो जाता है तो मैं कहता हूं इस सदन के लिए शर्म की बात होगी । और इसलिए यह संशोधन मैं पेश कर रहा हूं नवीकरण का प्रावधान । जहां भी प्रोब्हीशन लागू हुए हैं अमेरिका में कंस्टीच्युशलन अमेंडमेंट लाकर 1919 में प्रोब्हीशन लागू किया गया था और वहां पीने पर प्रतिबंध नहीं था बल्कि बनाने, ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था । यहां इसके नवीकरण की बात क्यों कही गयी है यह समझ में नहीं आता, यह विरोधाभास है । एक बात और कहना चाहूंगा समाप्त करने के पहले यह कानून जो अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैकोनियन कानून है । और ये ड्रैको साहब कौन थे 1707 सेंचुरी में एथेंस में एक लेजीस्लेचर थे । उस समय कानून कोडीफायड वहां नहीं था । कानून को कोडीफाइड करने का उन्होंने काम किया और उनकी पहली मान्यता थी कि अपराध अपराध होता है । कोई भी अपराधी को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए । इसलिए कैबेक्स चुराने वाले को भी उन्होंने मृत्यु दंड का प्रावधान किया । बड़े लर्नेड आदमी थे, बड़े ज्ञानी थे, कई भाषाओं के जानकार थे लेकिन इतना बंटाधार कर दिया इस तरह का कानून बना के, इतने कठोर कानून बनाकर के कि उसी देश में सारे ड्रैकोनियम कानून को समाप्त कर दिया और नये सिरे से कानून लाया गया केवल मर्डर का उनका कानून छोड़ कर बाकी सभी कानूनों को रीपील कर दिया गया । इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह बिल इस तरह से जिस तरह से लाया गया है इसको पास न किया जाय तो निश्चय ही एक गौरव की बात है इस तरह का काला कानून बनाना एक शर्म की बात है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,

''विधेयक के खंड-13 के उप खंड (1) के प्रथम परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-14 और 15 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,

''खंड-14 और 15 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-16 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा: मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

''कि विधेयक के खण्ड-16 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मादक द्रव्यों के परिवहन को विनियमित करने के संदर्भ में जो कहा गया हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी जानना चाहेंगे कि जब यहां उत्पादन होगा और जब यहां से दूसरे राज्य तक जायेगा तो परिवहन के कार्य में जहां भी उसके अंदर अगर भ्रष्ट पदाधिकारियों के माध्यम से किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो दोष किस पर मढ़ा जाएगा । किस तरह वहां के पुलिस पदाधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा या जहां पर उत्पादन होता है वहां पहुंचेगा कैरी फारवर्ड जहां से होगा वहां से होगा या इसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे हम आपके माध्यम से चाहते हैं यह स्पष्ट होना चाहिए संशोधन होना चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खण्ड-16 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड–16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–16 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः खण्ड–17 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव, श्री संजय सरावगी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक के खण्ड–17 को विलोपित किया जाय ।"

महोदय, इस विधेयक के खंड–17 में जो उल्लेख किया गया है उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको । इसमें आसवनी, मद्य निर्माणशाला, आदि की अनुज्ञप्ति का नवीकरण का सवाल रखा गया है महोदय । कहा गया है कि परन्तु कलक्टर केवल उन मादक द्रव्यों का जो इस अधिनियम की धारा–3 में राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित है, अनुज्ञप्ति अथवा परमिट जैसा हो निर्गत कर सकेगा । कलक्टर किसी विनिर्माणशाला, आसवनी, शीरा कारखाना, मद्य निर्माणशाला, बॉटलिंग प्लांट के मौजूदा अनुज्ञप्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नवीकृत अथवा परमिट निर्गत, जैसा हो कर सकेगा ।

महोदय, हमने यह विषय इसलिए रखा मैं इसलिए इसे डिलीट करना चाहता हूं महोदय बहुत जोर शोर से यह बात कहा कि हम पूर्ण नशाबंदी लागू करना चाहते हैं और जब पूर्ण नशाबंदी लागू करना चाहते हैं महोदय तो हम चाहते हैं कि कोई शराब न पीये । शराब पीये शराब की कोई चीज बरामद हो जाय, खाली बोतल भी बरामद हो जाय, बोतल बरामद छोड़िये महोदय पुलिस को लग जाय कि यह शराब पी सकता है तो तब भी उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान इस राज्य में हुआ हो महोदय । वहां अगर शराब बनता हो, बनाने का लाइसेंस का नवीकरण होता हो महोदय तो यह बहुत दुखद है । महोदय, मैनें पहले भी कहा सिद्धांत के विमर्श पर बोलते हुए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद घूम रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं उन प्रदेशों को भी आह्वान कर रहे हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आप अपने यहां शराब बंदी कीजिये । विचित्र है कि जहां दूसरे राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री जाकर कहता हो उनको प्रेरित करता हो कि आप भी नशाबंदी लागू करिये और वही मुख्यमंत्री अपने राज्य में शराब बनाकर के उन राज्यों में भेजने का काम करता हो जहां शराब बंदी की बात करता हो यह विचित्र है । और इसीलिए आपसे आग्रह होगा कि जो संशोधन मैंने लाया है मैने इसलिए लाया है यह ठीक है कि कारखाना लगा है पहले लगा है तो अचानक एक झटके में बंद नहीं हो सकता तो

सरकार समय सीमा तय कर ले दो साल पांच साल किंतु उसके बाद उस लाइसेंस का नवीकरण नहीं होगा ये फैसला कर ले सरकार तो हमें स्वीकार होता महोदय । लेकिन सरकार ने अपने हाथ में ये स्वतंत्र अधिकार रख लिया है और इस अधिकार के कारण यहां शराब बनते रहेंगे और शराबबंदी के कानूनी चक्कर में लोग बरबाद होते रहेंगे । महोदय यह विसंगति है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि धारा को डिलीट किया जाय ताकि बिहार के अंदर कोई भी चीज चाहे शराब जैसी जरूरी चीज है वह न बन सके और न लाइसेंस का नवीकरण हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक आप सबों की सहमति से आज के सभा की कार्यावधि विस्तारित की जाती है ।

(सभा की सहमति हुई)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खण्ड-17 को विलोपित किया जाय ।''

मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है ...

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, महोदय, पक्ष में बहुमत है । पक्ष में बहुमत है महोदय । पक्ष में बहुमत है ।

अध्यक्षः ठीक है । बैठ जाइये । हम इसको फिर से रखते हैं सदन के समक्ष ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खण्ड-17 को विलोपित किया जाय ।''

मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है ...

श्री नंद किशोर यादवः महोदय, पक्ष में बहुमत है । गिनती करा लिया जाय महोदय । वोटिंग करा लिया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है । घंटी बजायी जाय ।

(घंटी)

टर्न-18/01.8.2016/बिपिन

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहें ।

अध्यक्ष : अब मैं प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-17 को विलोपित किया जाए ।''

अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत...

श्री नन्द किशोर यादव: पक्ष में बहुमत है महोदय, पक्ष में बहुमत है महोदय ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी: गुप्त मतदान कराया जाए महोदय ।

अध्यक्ष : अब खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया होगी ।

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह मतदान की प्रक्रिया नहीं है । अगर आप खड़े होने में नारे लगाएंगे तो इससे आपकी संख्या गिनने में विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को दिक्कत होगी । नारे से तो संख्या बढ़ती-घटती भी नहीं है ।

(व्यवधान)

(खड़े होकर गिनती की गई)

अब बैठ जाएं ।

अध्यक्ष : अब जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गए)

(खड़े होकर गिनती की गई)

अब बैठ जाएं ।

अध्यक्ष : खड़े होकर मतदान का फल निम्न प्रकार है -

प्रस्ताव के पक्ष में यानी कि ''हॉं'' के पक्ष में 46, और प्रस्ताव के विपक्ष में यानी कि ''ना'' के पक्ष में 150 ।

अत: यह प्रस्ताव 46 के विरूद्ध 150 के मतदान से अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-18 से 25 तक में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी और श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी: हुजूर, पहले मेरा है ।

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी ।

टर्न-19/कृष्ण/01.08.2016

श्री संजय सरावगी : हुजूर, मैंने प्रस्ताव दिया था कि विधेयक के अध्याय-4 जो मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी और परमिट के नवीकरण से संबंधित है, को पूर्णत: विलोपित किया जाय । लेकिन इसमें छपा है 18 से 25 तक । महोदय, हम शराबबंदी की बात करते है लेकिन दूसरे राज्य में 8 लाख 66 हजार लीटर शराब प्रतिमाह दूसरे राज्य में भेजते हैं और 2 लाख 33 हजार लीटर बीयर प्रतिमाह दूसरे राज्य में भेजते हैं । हुजूर, इससे हमारे राज्य की गरिमा पूरे देश में गिर रही है । जब सरकार के मुखिया जाकर दूसरे राज्य में कहते हैं कि शराबबंदी कानून अपने यहां भी लागू कीजिये । देखिये कहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू कीजिये और दूसरे राज्य में शराब और बीयर भेजते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

" विधेयक के खंड-18 से 25 तक को विलोपित किया जाय । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

" विधेयक के खंड-18 से 25 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 से 25 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-26 से 29 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

" विधेयक के खंड-26 से 29 तक इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-26 से 29 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड 30 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूभ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"विधेयक के खंड 30 के उपखंड (छ) के स्पष्टीकरण के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह "परिवार अथवा उस परिवार" को विलोपित किया जाय। "

अध्यक्ष महोदय, इसस विधेयक में जहां-जहां परिवार शब्द का इस्तेमाल है, सबको विलोपित कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

तो मेरा यह कहना है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके मां-बाप और उसके भाई-बहन का क्या दोष है ? इसलिए इस विधेयक से परिवार शब्द को तो विलोपित करवा ही दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"विधेयक के खंड 30 के उपखंड (छ) के स्पष्टीकरण के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह "परिवार अथवा उस परिवार" को विलोपित किया जाय।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

खंड 30 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड 31 में कोई संशोधन नहीं है ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

खंड 31 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड 32 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 32 के उप खंड (3) को विलोपित किया जाय ।

महोदय, एक विचित्र कानून बनाने की कोशिश की जा रही है । महोदय, इस कंडिका में देखेंगे । जब मार्च,2016 में कानून बना था, उस कानून में इस

बात का प्रावधान किया गया था कि किसी परिसर में अगर इस प्रकार के सामान पाये जाते हैं जो शराब से जुड़े हुये हैं, शराब बनाया जाता हो, कोई पीनेवाला हो, उस परिसर के मालिक पर मुकदमा करने की व्यवस्था थी । लेकिन अभी जो संशोधन किया जा रहा है, मैं आप को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, जहां कोई अपराध किसी परिवार द्वारा दखल किये गये स्थान अथवा परिसर अथवा मकान में कोई मादक द्रव्य अथवा शराब पाया जाता है, उपभोग किया जाता है, बनाया जाता है, बिक्री की जाती है अथवा वितरण किया जाता है अथवा परिवार द्वारा अधिभोग कर रहे मकान में कोई मादक द्रव्य अथवा शराब पाया जाता है या उपभोग किया जाता है, कथित रूप से हुआ हो, तो यह अनुमान किया जायेगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के सभी सदस्य जो स्थान या परिसर का उपभोग कर रहे हैं अथवा रहे हैं, को ऐसे अपराध की जानकारी है, महोदय, यह कैसा कानून है ? महोदय, मैंने पहले भी जिक्र किया है, परिवार टूट रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इनके बहुत सारे दोस्त हैं जो बाबू जी की बात नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे मालूम नहीं हैं ।

(व्यवधान)

आप मानते हैं । महोदय, आज जो समाज के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है । आप जरा विचार कीजिये, किसी के जवान बेटे को दारू पीने की लत लग जाय और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप, उसकी 65 साल की बूढ़ी मां, बेटा उसकी बात नहीं मानता है और वह किसी कारण से शराब पीता है जो सरकार सरकार की नाकामी के कारण उसको उपलब्ध होता है, उस बूढ़े मां-बाप को आप जेल के सीखचों में बंद कर देंगे आप ? किसी के बाप को शराब पीने की आदत है, उसकी 19 साल की, 20 साल की बेटी अपने बाप को शराब पीने से रोक नहीं पाती है, पुलिस को खबर नहीं कर पाती है, तो क्या आप 19 साल की उसकी बेटी को जेल की सीखचों में बंद कर देंगे ? यह कौन-सा कानून है महोदय ? महोदय, ठीक ही मेरे एक मित्र ने कहा है कि इस कानून के बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा । ऐसा कोई कानून बनता है ? जो आदमी अपराध करता है, उसको जितना दंड देना है, आप दीजिये कौन मना करता है ? लेकिन जो अपराध नहीं करता है, उसकी मां, उसका बाप , उसका बेटा, उसकी बेटी इसको कहीं इस प्रकार से दंडित किया जाता है ? केवल इसलिए कि केवल उसने एक जाम छलका लिया । महोदय, जाम की बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन महोदय, जिस प्रकार के ये कानून बनाये गये हैं, यह कानून विकृत मानसिकता का परिचायक है । कोई सरकार इस प्रकार का कानून नहीं बना सकता है कि अपराध कोई करे और दंड उसका बेटा-बेटी, उसका मां-बाप भोगे । इसलिए महोदय, हमने इस बात का जिक्र किया है, जब कानून

पहले से बना हुआ है, जिस मकान के अंदर अगर ऐसे अपराध होते हैं तो उसपर पहले से कानून बना हुआ है 31 मार्च के कानून में । सारे परिवार के लोगों को जेल भेजने की तैयारी यह विकृत मानसिकता का परिचायक है । तानाशाही मानसिकता का परिचायक है । पूरे बिहार को एक जेल खाने में तबदील करने का परिचायक है । इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस कानून को निरस्त किया जाय, डिलिट किया जाय, किसी भी हालत में यह कानून बिहार के हक में नहीं है, बिहार के लोगों के हित में नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

विधेयक के खंड 32 के उप खंड (3) को विलोपित किया जाय ।

जो इसके पक्ष में हैं हां कहें,

जो इसके विपक्ष में हैं, वे ना कहें ।

मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, पक्ष में बहुमत है । पक्ष में बहुमत है ।

अध्यक्ष : मैं इसे फिर से लेता हूं !

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 32 के उप खंड (3) को विलोपित किया जाय ।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें ।

श्री नन्द किशोर यादव : पक्ष में बहुमत है । महोदय, पक्ष में बहुमत है । बहुत गंभीर मामला है। 18 साल के बेटा-बेटी को ये लोग जेल भेजेंगे ।

क्रमश :

टर्न-20/राजेश/01.08.2016

अध्यक्ष:- मैं इसे फिर से लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि:-

''विधेयक के खण्ड-32 के उप खण्ड-(3) को विलोपित किया जाय''

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें,

जो विपक्ष में है वे नॉ कहें।

मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है .....

श्री नंद किशोर यादव:- महोदय, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष:- इसकी कोई सीमा होगी कि नहीं होगी ।

श्री नंद किशोर यादवः- सीमा होगी महोदय लेकिन पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्षः- यह लास्ट । चलिये घंटी बजायी जाय ।

(घंटी)

अध्यक्षः- मैं इस प्रस्ताव को लेता हूँ।

प्रश्न यह है किः-

''विधेयक के खण्ड-32 के उप खण्ड-(3) को विलोपित किया जाय''

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विपक्ष में हैं वे नाँ कहें ।

मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है.....

श्री नंद किशोर यादवः- महोदय,पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्षः - ठीक है। खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया होगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो जाय।

अब जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में है, वे माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो जायं।

माननीय सदस्यगण, खड़े होकर मतदान का फल निम्न प्रकार है:-

प्रस्ताव के पक्ष में 45 एवं

प्रस्ताव के विपक्ष में 153 है।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-21/सत्येन्द्र/1-8-16

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि -

"खंड-32 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-32 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः खंड-33 से 39 तक कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि -

"खंड-33 से 39 तक इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-33 से 39 तक इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः खंड-40 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

'विधेयक के खंड 40 को विलोपित किया जाय ।'

अध्यक्ष महोदय, खंड 40 में यह प्रावधान किया गया है अवैध विज्ञापन के लिए शास्ति। जो कोई किसी मीडिया में जिसमें फिल्म और टेलीविजन शामिल है अथवा किसी सामाजिक मंच से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करने वाला कोई चीज मुद्रण करता है, प्रकाशित करता है, विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन वर्षों के कारवास से, जिसको बढ़ाकर पांच वर्षों तक किया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे बढ़ाकर 10 लाख रू0 किया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ बात यह हो रही है, सरकार ने यह व्यवस्था किया है इस विधेयक में कि इस राज्य में शराब बनाया जायेगा और शराब बनाकर के दूसरे राज्य में बेचा जायेगा। दूसरी तरफ अगर उसी शराब के रैपर को भी छापने का किसी प्रेस वाले ने अगर छाप दिया और वह छापाखाना में पकड़ा गया तो वह दंड का भागी होगा और उस पर इस प्रकार की दंडनात्मक कार्रवाई होगी कि वह जेल जायेगा । अध्यक्ष महोदय, यह हमलोग के समझ से परे हैं कि जब इस राज्य में शराब बनाने की अनुमति है तो उस शराब के बोतल पर जो रैपर छपेगा उसको यहां किसी प्रेस में छापने की भी अभिव्यक्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये कानून सही नहीं है, ये जन विरोधी कानून है इसलिए यह संशोधन हमने दिया है इसको विलोपित करना चाहिए।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि -

"विधेयक के खंड-40 को विलोपित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत किया।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि -

"खंड-40 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-40 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-41 से 57 तक कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"खंड-41 से 57 तक इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-41 से 57 तक इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः खंड-58 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

'विधेयक के खंड-58 को विलोपित किया जाय ।'

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो खंड 58 है इसमें बहुत ही गंभीर कानून का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, 302 जो किसी का मर्डर होता है, किसी की हत्या होती है या किसी का बलात्कार होता है अध्यक्ष महोदय, हत्या अगर किसी घर में हुई या बलात्कार किसी घर में हुआ तो यह सबसे दंडनीय और सबसे संज्ञेय अपराध माना गया है। अध्यक्ष महोदय कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस घर में हत्या हुई या जिस घर में किसी का बलात्कार हुआ है तो उस घर को या उस घर के सम्पति को सरकार जप्त कर ले, सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। ये उस 302 में भी ये प्रावधान नहीं किया गया है। अघ्यक्ष महोदय,ये जो 58 नं0 है इसमें कहा गया है कलक्टर को अधिकार दिया गया है कि अगर शराब का बोतल या शराब पीने वाला कोई व्यक्ति किसी भूखंड पर या किसी घर में पाया गया तो उसका जो घर है, उसका जमीन है उसका अधिग्रहण कर लिया जायेगा तो अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा काला कानून आज बिहार की जनता इस विधान-सभा की कार्यवाही देख रही होगी और आज बिहार की जनता को इस बात का अफसोस होगा कि महागठबंधन को क्यों वोट दिया, क्योंकि आज बिहार की जनता के ऊपर यह काला कानून लादा जा रहा है। हमलोगों की स्थिति है हम सदन में कम संख्या में है, हम विरोध कर सकते हैं लेकिन हमारी संख्या उतनी नहीं है कि इस कानून को हम पास कराने से रोक सकते हैं। महोदय,मैं कहना चाहूंगा, यह सदन जब खत्म होगा और जब महागठबंधन के नेता क्षेत्र में जायेंगे तो बिहार की जनता आपसे सवाल करेगी कि हमसे क्या भूल हुई जिसकी ये सजा हमको मिली और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और जब वोट का समय आयेगा तो जनता के पास आप जाकर कहियेगा, जनता के बीच आप जाकर कहियेगा कि हमको माफी दे दो हमसे भूल हो गयी। ये जनता नहीं मानेगी । इसलिए आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि एक बार तो कम से कम अंतरात्मा से इस विधेयक के इस संशोधन का समर्थन करिये। अभी आप सत्ता में है आपको लगता होगा कि पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी लेकिन सत्ता से हटते देर नहीं लगता है इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो 58 नम्बर इस विधेयक का अंश है, इसको पूर्णतः विलोपित किया जाय। इस कानून को पास नहीं किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड 58 को विलोपित किया जाय।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-58 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-58 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खंड-59 से 61 तक कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-59 से 61 तक इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-59 से 61 तक इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः खंड-62 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'विधेयक के खंड-62 के पांचवीं पंक्ति के शब्द 'अधिहरण' को विलोपित किया जाय।'

अध्यक्ष महोदय,खंड-62 में प्रावधान है कि मादक द्रव्य उस परिसर विशेष या उसका हिस्सा इस अधिनियम के अधीन इस अपराध को करने के लिए किया जाता है या किया जा रहा है तो तत्काल उस परिसर को सीलबंद कर सकेगा और अधिग्रहण के लिए कलक्टर के पास प्रस्ताव भेज सकेगा। अध्यक्ष महोदय कहीं कुछ बोतल मिल जाय,रैपर मिल जाय तो इसका मतलब उसका अधिग्रहण सरकार जो है उसको अधिहरण कर लेगी। यह काला कानून है अध्यक्ष महोदय, इसको जो है सरकार को वापस लेना चाहिए यही मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-62 के पांचवीं पंक्ति के शब्द 'अधिहरण' को विलोपित किया जाय।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-62 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-62 इस विधेयक का अंग बना!

टर्न-22/मधुप/01.08.16

अध्यक्ष : खण्ड-63 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी सदन में अनुपस्थित ।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-63 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-63 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-64 से 82 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-64 से 82 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-64 से 82 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-83 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राघव शरण पांडेय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री राघव शरण पांडेय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खण्ड-83 के द्वितीय पंक्ति में शब्द 'सत्र' के स्थान पर शब्द 'विशेष' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह इसलिये कह रहा हूँ कि 83 और 84 में इसके ट्रायल का प्रावधान है । जब विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है तो 83 में जो सत्र न्यायालय शब्द लिखा गया है, उसके बदले में विशेष न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खण्ड-83 के द्वितीय पंक्ति में शब्द 'सत्र' के स्थान पर शब्द 'विशेष' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-83 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-83 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-84 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राघव शरण पांडेय अपना संशोधन मूव करेंगे !

श्री राघव शरण पांडेय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

विधेयक के खण्ड-84 में उप खण्ड(4) के बाद एक नया उप खण्ड (5) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''(5) किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है ।''

महोदय, यह इसलिये कह रहा हूँ कि कई ऐसे अपराध हैं जो आई0पी0सी0 के अंदर भी अपराध हो सकते हैं, किसी और कानून के अंदर भी अपराध हो सकते हैं और इस कानून के अंदर भी अपराध हो सकते हैं । यदि विशेष न्यायालय को वह शक्तियॉं नहीं रहेंगी तो इससे त्रुटि होगी, विलम्ब होगा । इसलिये यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खण्ड-84 में उप खण्ड(4) के बाद एक नया उप खण्ड (5) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''(5) किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-84 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-84 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-85 से 100 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-85 से 100 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-85 से 100 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल जलील मस्ताव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016'' स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये तो हम बोलेंगे । आप ही से तो एक दिल लगा है । आप नहीं रहते हैं तो बोलने का मजा ही नहीं आता है, मुख्यमंत्री जी । क्योंकि बाकी किसी में तो कोई दम ही नहीं है जो हमारी बात को पूरा कर सकता है, आप ही में तो थोड़ा है । इसीलिये आप रहते हैं तो बोलने की इच्छा करती है ।

अध्यक्ष : माननीय नन्द किशोर बाबू, आपको क्या आता है, वह तो आप जानिये लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका ही सुनकर मजा आता है । आप बोलते हैं, वे आ जाते हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : खाली हमारी बात मान लेते तो उनको और मजा आता लेकिन मानते ही नहीं हैं तो हम क्या करें !

महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि यह जो नया विधेयक आया है, विसंगतियों से भरा हुआ है और विसंगतियों से ही भरा हुआ नहीं है बल्कि यह सरकार के अंदर के विरोधाभास को भी बार-बार झलका रहा है । मैंने कहा कि अनेक प्रकार के बयान आ रहे हैं । अभी पूरे विधेयक को आप देखिये तो इसके शुरू में ही लिखा है - बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिए विधेयक ।

महोदय, बार-बार इसमें शराब और मादक द्रव्यों का जिक्र किया जा रहा है । लेकिन शराब और मादक द्रव्यों की परिभाषा क्या है ? महोदय, सामान्य परिभाषा दूसरा है लेकिन इस विधेयक के अंदर शराब की परिभाषा क्या है, मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ । महोदय, यहाँ खण्ड-2 में परिभाषाएँ दी गई हैं, उसमें शराब के बारे में दिया गया है कि शराब का क्या अर्थ होता है । खण्ड-2 के 44 में देखिये आप - 'शराब' से अभिप्रेत है देशी अथवा पारंपरिक शराब....

(व्यवधान)

थोड़ा कटु हो जाता है । क्या करेंगे, सच कटु होता ही है । महोदय, शराब से अभिप्रेत है देशी अथवा पारंपरिक शराब, भारत में बनी विदेशी शराब, विदेशी शराब अथवा कोई निर्मित अथवा घटक चाहे ठोस, अर्द्ध ठोस, द्रव, अर्द्ध द्रव, कई चीजें हैं । शराब का अर्थ है देशी अथवा पारंपरिक शराब, यह शराब से अभिप्रेत एक शब्द है । महोदय, देशी अथवा पारंपरिक शराब के बारे में क्या कहा गया है इस विधेयक में, मैं आपको बताना चाहता हूँ । महोदय, देखा जाय, 16 में कहा गया है - ''देशी अथवा पारंपरिक शराब'' से अभिप्रेत है

- महुआ, चावल, गुड़, शीरा अथवा अनाज से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट; अथवा
- प्रच्छन्न स्पिरिट अथवा अति निष्क्रिय ऐल्कोहल से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट; अथवा ताड़ी अन्य-अन्य चीज ।

..क्रमशः...

टर्न–23/आजाद/01.08.2016

श्री नन्दकिशोर यादव : (क्रमशः) महोदय, मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया कि इस विधेयक के अन्दर जिस प्रकार के देशी और विदेशी शराब पर प्रतिबंध है, उनको पीने पर जिस प्रकार के कानून बने हैं, जो धारायें लगनी है, वही सारे कानून, वही सारी धारायें ताड़ी पीने वालों पर भी लगनी है और ताड़ का पेड़ छेदने पर भी वह धारा है महोदय । ताड़ी निकालने पर भी वह धारा है महोदय, हमलोगों ने पहले भी कहा था कि वह धारा ताड़ी पर प्रतिबंध कहीं से भी उचित नहीं है महोदय । चूँकि समाज महोदय इस देश के अन्दर परम्परागत रूप से काम करने की प्रवृत्ति रही है समाज के अलग–अलग वर्गों के अन्दर, जातियों के अन्दर । बढ़ई है लकड़ी का काम करते हैं, लोहार है तो लोहे का काम करते हैं, सोनार हैं तो सोना का काम करते हैं । यह एक परम्परा है महोदय, जाति के साथ पेशा जुड़ा है । पेशेगत जातियां अनेक प्रकार के देश के अन्दर हैं महोदय । उसमें एक पासी जाति भी है, जो ताड़ से ताड़ी उतारने का काम करती है महोदय । लगातार इस प्रदेश के अन्दर चर्चा हुई, आन्दोलन भी हुए और कई प्रकार के ब्यान आये और तथाकथित गठबंधन सरकार के घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्यान भी दिया, ताड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा । जो कानून हमने लाया था, वही कानून लागू होगा । हमने देखा माननीय मंत्री महोदय जो विधेयक पेश कर रहे थे, उनका भी विरोधाभासी बयान टेलीविजन पर देखा, अखबार में भी देखा, कभी हॉ, कभी ना, कभी हॉ और कभी ना के चक्कर में वे झूल रहे थे । दुविधा में थे, चिन्तित थे, परेशान थे कि क्या करें, ना करें, कुर्सी बचाये, जाने दें इस दुविधा में थे महोदय । मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, विधायक दल की बैठक का भी समाचार अखबारों में आया, भाई विरेन्द्र जी सदन के अन्दर है या नहीं, हैं तो बैठे हुए । भाई वीरेन्द्र जी ने बड़े जोरदार ढंग से अपनी आवाज उठाई, मैं नहीं जानता महोदय, मैं उस बैठक में था नहीं । लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने टेलीविजन और अखबारों में देखा है महोदय, यह दिखाई पड़ा कि इस महागठबंधन के घटक दल के बड़े सेक्शन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उस विरोध के बाद मुझे जो दिखा अखबारों और टेलीविजन में और यह कहा गया कि ताड़ी पर से प्रतिबंध नहीं रहेगा । बाद में माननीय श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय शिवचन्द्र राम जी और उत्पाद मंत्री महोदय, ये भी कुछ पार्टी के नेताओं के यहां गये, हमारे पार्टी के नेताओं के यहां भी गया और उसमें इसका भी जिक्र आया कि भॉग पर प्रतिबंध नहीं रहेगा । महोदय, सावन का महीना था, भगवान शंकर की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है श्रवण जी आपको याद है या नहीं है, जब माननीय नरेन्द्र भाई मोदी की बनारस जाने की बारी हो रही थी तब शंकर जी के बारे में कहा था आपके राष्ट्रीय

अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि शंकर तो पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के देवता हैं और शंकर जी सावन के महीनों में भाँग, धतुरा से शंकर जी का कैसा संबंध है, आप जानते हैं । आप परिचित हैं महोदय, आप इस्तेमाल भी करते होंगे महोदय, आप उसका पूजा भी करते होंगे शंकर जी का । भाँग महोदय आप जानते हैं कि भाँग की खेती होती नहीं है, ...

अध्यक्ष : माननीय नन्दकिशोर बाबू, आसन को तो यह जानकारी है कि भगवान शंकर बिना भाँग के भी प्रसन्न होते हैं, भाँग की आवश्यकता शंकर जी की तरफ से नहीं बताईए ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं । अचानक भाँग पर से भी प्रतिबंध हटाने की बात हो गई तो मुझे किसी ने कहा कि साहेब इस घटक दल में जो गठबंधन की सरकार है, उसके घटक दल के एक नेता भाँग खाने की आदि हैं, इसलिए भाँग पर से प्रतिबंध हटा । हटा है तो बढ़िया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ महोदय । लेकिन भाँग मैं इसलिए समर्थन करता हूँ कि भाँग की खेती नहीं होती है, भाँग अपने आप खेत में पैदा हो जाता है । इसमें आप किसको दोष देंगे, किसको दंडित करेंगे, किसको प्रताड़ित करेंगे आप ? इसलिए महोदय, मैं कह रहा था आपसे कि इसमें एक विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है इस सरकार में । आप डंडे के जोर पर इस प्रस्ताव का समर्थन, इस विधेयक का समर्थन एक अलग विषय हो सकता है महोदय, लेकिन अगर आप अनुमति दें, गुप्त मतदान करा लें .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : पटनासिटी में होता है भाँग क्या ?

श्री नन्दकिशोर यादव : यह तो आप ही न बताईयेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : पटनासिटी में होता है ?

श्री नन्दकिशोर यादव : चले गये माननीय मंत्री जी, उनके ही क्षेत्र में होता है । उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में और वही से आता है । गाँजा भी आता है वही से, श्याम रजक जी जानते हैं, उन लोगों के यहां जाते हैं बहुत, वे जानते हैं कहां से आता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : पता नहीं है, जानकारी नहीं है और बोल रहे हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं कह रहा था आपसे कि .....

अध्यक्ष : किन्हीं माननीय सदस्यों की जानकारी में होने की बात न की जाय, क्योंकि कानून कड़े बन रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, हम फंसाना चाह रहे थे, नहीं फंसे, धन्यवाद ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, इन सब बातों की चर्चा हमने सुनी है । टेलीविजन में देखा लेकिन महोदय, जब यह विधेयक आया तो उन्हीं लोगों को जो लोग बड़े जोर-शोर से ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं होगा, ताड़ी पीने की छूट होगी । हमने जो कानून बनाया 1991 का, वही कानून लागू होगा, कहीं उसकी झलक महोदय इस विधेयक में दिखाई नहीं पड़ रही है

और हो सकता है कि जिस प्रकार की दबाव की राजनीति करते रहे हैं, सिद्दिकी साहेब की पार्टी के लोग कर भी सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, उनके इशारे पर सरकार चलने के लिए मजबूर है महोदय । यह हो सकता है कि विधेयक के पास होने के बाद सरकार कोई सरकुलर जारी करे । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन के अन्दर अगर इस विधेयक के प्रति सच्ची निष्ठा है तो आप घोषणा करिए कि इस विधेयक के शब्दों को हु-ब-हु लागू करेंगे और अगर आपके मन के अन्दर यह भाव है कि जैसा कि आपके नेताओं ने कहा है अखबारों में कि हम ताड़ी पर से प्रतिबंध हटायेंगे, जिसका मैं समर्थक हूँ । इसलिए आज इस विधेयक को वापस लेना चाहिए और वैसे सारे प्रतिबंध जिनको आप हटाना चाहते हैं , इस विधेयक में जो संशोधन करना चाहते हैं, फिर से संशोधन करके आपको विधेयक लाना चाहिए, तब महोदय ठीक होगा । मजाक मत बनाईए सदन का, यह कानून बनाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है महोदय । रोज-रोज विधेयक नहीं बनता है । आज विधेयक बनाओ और फिर संशोधन कर दो । अगर आपने ठीक से विचार नहीं किया है, अगर कुर्सी के दबाव में सरकार के मुखिया इसको बदलना चाहते हैं इस कानून को, इसपर पहले विचार कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । बहुमत आपके पास है, आप ला सकते हैं, आप पास कर सकते हैं । लेकिन अगर आप मन के अन्दर यह भाव है कि संशोधन करना है, प्रस्ताव वापस कीजिए, विचार करके फिर से ले आईए, फिर सदन इसपर विचार करेगा । अगर आपके मन में विचार नहीं है तो सवाल खड़ा होता है कि आपके वादे का क्या होगा ? एक समाज, एक पूरा वर्ग जिन लोगों का ताड़ी पर पूरी जीविका चलती है, उनकी जीविका क्या होगा ? मैंने उप मुख्यमंत्री जी का भाषण देखा है, उन्होंने कहा है कि जब तक नीरा के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जायेगी तब तक ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं होगा । कहा इस कानून में बात कही गई है, कहां इस विधेयक में इस बात का जिक्र किया गया है कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं होगा । इस विधेयक के पास होने के बाद ताड़ी पर वही कानून लागू होगा जो कानून शराब पर पीने पर होता है । महोदय, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो कानून बनाया गया है, इसमें बार-बार संशोधन की बात होगी, फिर चेंज करने की बात होगी, मैं सिद्दिकी साहेब को भी याद करना चाहता हूँ, मेरे पुराने मित्र हैं महोदय, यहां बैठा करते थे महोदय और जब हम वहां बैठा करते थे, हम जब विधेयक लाते थे तो बार-बार एक ही बात कहते थे कि बिना विचार किये हुए विधेयक आ गया है । तुरंत संशोधन लाईयेगा सिद्दिकी साहेब, अब क्या होगा । अब वही काम करने जा रहे हैं । आप जब यहां बैठते थे तो आपकी बोली दूसरी थी और वहां जब बैठ गये हैं तो बोली बोलने पर कठिनाई हो रही है, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए । महोदय, आप इसपर गौर कीजिए, इस पूरे विधेयक में कई खंडों की चर्चा की गई है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इसमें देखा कि

बार-बार यह जिक्र किया जा रहा है कि कोई यदि पकड़ा जाय तो इसमें बेल नहीं हो । उसको बेल नहीं होना चाहिए, ऐन्टीसेपट्री बेल नहीं होना चाहिए । कई चीजों के सफाई के बारे में सरकार ने कहा है कि साहेब इसमें कानून में संशेधन इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का बेल हो जाता है । अभी 4 महीने के अन्दर 26-27 लोगों का बेल हो गया । बेल नहीं हो, इसके लिए कड़े कानून बना रहे हैं, यह सरकार की सोच है। मुझे आश्चर्य हो रहा है महोदय, अगर एक घूँट शराब हमने पी ली तो हमको बेल नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरे कानून को बदलना चाहती है लेकिन महोदय, इसी बिहार के अन्दर हजारों-करोड़ का घोटाला करने वाला बेल पर बिहार के अन्दर घूम रहा है, उसपर सरकार की नजर नहीं है । लेकिन कोई एक घूँट शराब अगर पी लेगा तो बेल नहीं हो, इसके लिए जी-जान लगाने का काम यह गठबंधन के लोग, ये सरकार के लोग करना चाहते हैं । यह तालिबानी कानून है, काला कानून है महोदय, बिहार के गरीबों के हितों के खिलाफ कानून है । मैं आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चले गये, वे सुन रहे होंगे । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिद मत करिए, ऐसे काला कानून लाकर आप लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते हैं । इसलिए जिद छोड़िए, इस कानून को वापस लीजिए और जो संशोधन करना है आपको, जो इसमें कानून सम्मत बात नहीं है, जो इसमें ठीक बात नहीं है जो लोगों को कष्ट देने वाला है, उनको वापस करके फिर से कानून लाने का काम करिए । नशाबंदी के खिलाफ यह पूरा सदन आपके साथ है। शराबंदी के साथ पूरा सदन आपके साथ है । पूरा सदन आपके साथ रहेगा लेकिन इस तालिबानी कानून के साथ हम आपके साथ नहीं रह सकते । इसलिए इसको वापस लेने का काम करिए, यही मैं आग्रह करता हूँ ।

श्री जीतन राम माँझी : अध्यक्ष महोदय, कल यानी 31 जुलाई को बिहार सरकार के कुछ माननीय मंत्री इस पहल के साथ नेता विरोधी दल सहित अन्य विरोधी दल के नेताओं से बात करने की पहल की थी तो मुझे उम्मीद बंधी थी कि सचमुच में माननीय नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार के नुमाईन्दा लोग इस मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 ला रहे हैं, उसपर कुछ विचार कर रहे हैं, नहीं तो चाहे पेपर हो, टी0वी0 हो, आकाशवाणी हो या जैसा कि नन्दकिशोर बाबू ने कहा है,

..... क्रमशः .....

टर्न-24/अंजनी/दि0 01.08.2016

श्री जीतन राम मांझी....क्रमशः.... माननीय विरोधी दल के वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण के मुखारविंद से यह बात आयी थी कि जो कठोर-से-कठोरतम कार्रवाई की बात आ रही है, उसमें कहीं-न-कहीं पुनर्विचार की बात आयेगी और इसलिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो, यह विधेयक पारित हो, ऐसा प्रयास कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी

और मन-ही-मन हम धन्यवाद दे रहे थे कि चलिए लेट से ही लेकिन इस रास्ते पर आ रहे हैं । अब इसी संदर्भ में माननीय लालू प्रसाद जी की ही बात को हमलोगों ने सुना, जलील मस्तान साहेब कल वहां गये थे और उन्होंने भी कहा कि ताड़ी का जहां तक सवाल है, ताड़ी पर विचार हो चुका है, उसपर प्रतिबंध हमलोग हटा देंगे । खुशी हुई कि कुछ तो सकारात्मक बात कर रहे हैं लेकिन आज इस सभा में हैं तो बहुत दु:ख हो रहा है, चोट पहुंच रही है ह्रदय पर कि आखिर क्यों और किस परिस्थिति में इतना कठोर होकर, एडमेंट होकर आज इसको पारित कराने के पक्ष में लोग हैं । हम इस संबंध में विशेष बात नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि जो कुछ बातें जिसकी चर्चायें हुईं कि किसी के घर में एक बोटल शराब ला दी गयी हो या खाली हो, उनको हम सजा देंगे । हमारा कहना है कि सजा का जो क्वांटम है, उसपर भी विचार करना चाहिए । एक लीटर, आधा लीटर शराब रखनेवालों को वही सजा और हजार लीटर रखनेवालों को भी वही सजा तो मत्स्य न्याय कहा जाय तो ज्यादे अच्छा है । दूसरी चीज हमने सुनी है कि कुछ धर्म के अवलंबियों को छूट दे दी गयी है, इसलिए कि धार्मिक अनुष्ठान में कुछ वाईन ये लोग प्रयोग करते हैं । हम कहना चाहते हैं कि हुजूर, हम भी शिडुल कास्ट, जिसे महादलित कहा जाय, उस परिवार से आते हैं । यह आसाढ़, सावन का महीना चल रहा है, हमलोग आसाढ़ी पूजा करते हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं अपने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं । एक तपावन शब्द है, तपावन लोग देते हैं, तपावन में शराब देते हैं अपने इष्टों को और जो बलि देते हैं उनके मुंह पर देते हैं तब तो वे देते रहेंगे तो वे दस वर्ष के सजावार होंगे लेकिन दूसरे धर्मावलम्बी के जो लोग हैं, उनको छूट दे दी गयी है । यह तो दोहरी राजनीति है हुजूर । दोहरी नीति लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए । हम इस बात पर आपका ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि मुझे जो कल कागज दिया गया था माननीय श्रवण बाबू जी के द्वारा, जिसमें कुछ मुख्य विन्दु थे, हम उन्हीं विन्दु को देख रहे हैं । उसी के आधार पर हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे आपने पांचवां प्वाइंट पर धारा-3 से संबंधित बात कही थी कि वह किसी भी पदार्थ दवा को अथवा मादक पदार्थ या घोषित बंदी के बाद कर सकेंगे, ऐसा इसलिए किया जायेगा कि पिछले तीन महीनों में शराबबंदी में लोग कफ सीरप का सेवन करते हैं । मेरा कहना है कि आपको सोचना चाहिए कि शराब किन-किन पदार्थों से चुआया जाता है सिर्फ यहां पर महुआ पर बात कर लीजियेगा कि महुआ से शराब बनती है । सिर्फ वही बात नहीं है, शराब चुलाने में जैसा कि नारियल के संबंध में हमारे साथियों ने कहा कि नारियल के फल से होता है तो ताड़ी के फल से भी रस निकलता है न कि ताड़ के पेड़ को छेदते हैं, खजूर के पेड़ को छेदते है, ताड़ के फल से रस आता है । उसके बाद ऊख है, जिसको केतारी कहते हैं, उससे जो रस निकलता है, गुड़ बनता है, उससे भी होता है और उसके बाद दक्षिण बिहार में चले जाइए, झारखंड में माड़ी शब्द का प्रयोग होता है । माड़ी

किस चीज से बनता है ? चावल से बनता है । यहां भी लोग चावल से माड़ी बनाते हैं फिर सेव है और सेव बड़ा ही उम्दा फल है, उससे भी शराब बनती है, फिर अंगूर है, किसमिस है, ये सारे पदार्थ आ जाते हैं जो आपकी धारा-3 में शामिल किया गया है । इसका मतलब सेव, अंगूर, नारियल, उख और चावल तो सब चीज को प्रतिबंधित किया जायेगा ? यह कहां की बात है ? हम समझते हैं कि इसपर विचार किया जाना चाहिए और इसे एमेंडेसी में नहीं लेना चाहिए, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रावधान को जरूर समाप्त किया जाना चाहिए । महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम तपावन के लिए अगर सौ मिली लिटर जिसको एम0एल0 कहा जाय, अगर हम सौ एम0एल0 रखते हैं तो हम भी दस वर्ष के सजावार हो जायेंगे और एक हजार, दो हजार, चार हजार, दस हजार रखते हैं उनको भी वही सजा । जिसकी चर्चा यहां हुई कि हम यहां पर बोटलिंग सिस्टम जारी रखेंगे इसलिए हम जारी रखेंगे कि जो हमारे यहां फैक्ट्रियां हैं, 14 फैक्ट्रियां हैं, उन लोगों को हम इसी तरह से प्रोवोकेट करेंगे और वे पैदा करेंगे शराब तो वे शराब को कहां ले जायेंगे, उसको कहां बेचियेगा, कहां ले जाइयेगा ? उन्हीं जगहों में ले जाइयेगा, जहां हम और आप कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए , शराब बहुत खराब चीज है तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे तो अपने यहां क्या कर रहे हैं, उसकी भी चिन्ता होनी चाहिए । इस संबंध में एक अपनी बात कहना चाहते हैं, वह आत्म प्रशंसा की बात नहीं है । आप जानते हैं कि हम अनुसूचित जाति में सबसे बिहार में जो गरीब, जैसा कहा जाय कि निचले पायदान पर रहनेवाली जाति जिसको मुशहर, भुईयां कहते हैं, हम उस परिवार से आते हैं । हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस 71 वर्ष की उम्र में हम एक बुंद शराब अपने मुंह में नहीं लगाया । हम जिस समय पढाई कर रहे थे, हमारे मॉ-पिताजी शराब चुलाते थे और बेचते थे, जब झगड़ा होता था दोनों में और खाना रात में जब नहीं मिलता था, तब हमको लगता था कि क्यों खाना नहीं मिला? मालूम होता था कि माता-पिता झगड़ गये हैं, माता का हाथ टूट गया है, पीठ में दर्द हो गया है, इसलिए खाना नहीं बना । हमने 11 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, अगर यह प्रक्रिया जारी रहेगी तो आप किसी का मजदूर हैं ही, जीतन मांझी जो आपका बेटा है, वह भी किसी का मजदूर हो जायेगा । धन्यवाद देते हैं, वे स्वर्ग में हैं, उन्होंने हमारी बात को मान लिया । आप जानते हैं कि हमने 1966 में ग्रेजुएशन किया, एम0ए0 कर रहे थे लेकिन अकाल के चलते नहीं कर सके लेकिन आप लोगों के आर्शीवाद के चलते यहां तक आ गये । तो हम एकदम कट्टर समर्थक हैं कि नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम गरीबों का शोषण करें । आज इस नीति से गरीबों का शोषण हो रहा है महोदय । इसलिए यह हो रहा है कि जो लत की बात हमारे साथियों ने कहा, कुछ लोग संभल जाते हैं, हम, आप समझदार आदमी हैं, छोड़ देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, शराब छोड़ देते हैं ।

शराब छूट सकता है लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी आदमी हैं, मर जायेंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ेंगे । इसलिए जो उनको दस, बीस, पच्चीस रूपया में शराब मिलती थी, आज वह दौ सौ, तीन सौ, चार सौ रूपये में मिल रहा है । जिसका नतीजा है कि क्या हो रहा है, वह पीने के लिए अब कौन उपाय कर रहे हैं, उतनी मजदूरी तो नहीं मिलती है । हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस सदन को कि वे गलत काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बैंक डकैती कर रहे हैं, रोबरी कर रहे हैं और माता-बहनों के चलते हुए कान का कनवाली और गला का सिकरी नोच रहे हैं, तो आज यह परिस्थिति आ गयी है । इसका मतलब है कि हम आज गरीबों को एक तरह से उन्माद दे रहे हैं कि तुम गलत काम करो । दूसरी चीज हम यह कहना चाहते हैं कि पुलिस को जितना ताकत दे दी गयी है, हम बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि पुलिस के साथ मेरा अपना रिश्ता है और पुलिस मेरा भाई है । आज मेरा भाई इन्पेक्टर नहीं रहा, यह एक अलग बात है लेकिन पुलिस के संबंध में जब बात आती है तो हम मर्माहत हो जाते हैं । पुलिस हमारा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा गोतिया है लेकिन आज हुजूर क्या हो रहा है ? वे बड़े लोग को नहीं पकड़ते हैं जब बड़े लोागों को अगर पकड़ने की बात हो जाये तो होटल में चले जायें, पोलिटेसियन के बारे में कहते हैं, बड़े-बड़े पदाधिकारी के बारे में कहते हैं, जो यंत्र है उसको यहां गेट पर लगाया जाय और देखा जाय कि शराब पीकर आते हैं कि नहीं आते है, वे ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वे नहीं पकड़ायेंगे । दर्द हमारा यही है, पकड़ाते हैं कौन ? जो गरीब तबके के लोग किसी कारण से आधा लीटर, पावभर शराब लेते हैं और पुलिस जाकर सीधे उनको पकड़ती है, चूंकि उनको कोटा बढ़ाना है और उनको जेल की सजा हो जाती है ।

...क्रमशः....

टर्न-25/शंभु/01.08.16

श्री जीतन राम मांझी : क्रमशः.....1991 का जो एक्साइज रूल आपका बना था उसमें प्रतिबंधित नहीं था। हमको तो आश्चर्य है कि जब वहां प्रतिबंधित नहीं था तो किस कानून के तहत ताड़ी बेचनेवाला, ताड़ी उतारनेवाला हजारों लोग आज जेल में गया हुआ है, 12-14 सौ केस उसपर इन्सटीच्यूट हुए हैं और कोई कानून नहीं था तो कैसे किया गया, यह कंट्राडिक्शन है। हम कहना चाहते हैं कि ताड़ी व्यवसाय से कम से कम 1 लाख, डेढ़ लाख परिवार आज उसपर लंबित हैं। मैं एक सच्ची बात बोलता हूँ कि महोदय कि कुछ ताड़ी बेचनेवाले समाज के यूथ लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, मेडिकल में पढ़ रहे थे और बिहार सरकार अभी हाल में छात्रवृत्ति के संबंध में उनका छात्रवृत्ति कम कर दी है, मात्र 15 हजार कर दी है जिसको कि हम पहले 1 लाख रूपया, सवा लाख रूपया दे रहे थे। वे पढ़ रहे थे, आसानी से पढ़ रहे थे, लेकिन जब 15 हजार हो गया तो उनकी पढ़ाई

छूटने की स्थिति में आयी थी, लेकिन कुछ लोग जो अपना पेशा करके मतलब ताड़ी का व्यवसाय करके बच्चों को पढ़ा रहे थे उनकी भी पढ़ाई खतम हो गयी, ये ताड़ी के व्यवसाय बंद होने से वे हमसे मिलकर कहते हैं कि हूजूर, अब हमलोगों को तो नेक्सलाइट ही न बनना पड़ेगा। माँ बाप पैसा दे नहीं सकते हैं, हम इंजीनियरिंग तो पढ़ नहीं सकते हैं, मेडिकल हम पढ़ नहीं सकते हैं तो निश्चित रूप से हमको नेक्सलाइट बनना पड़ेगा, बैंक लुटेरा बनना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ताड़ी पर प्रतिबंध करके समाज को क्या संदेश देना चाहती है यह सरकार। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। उसी प्रकार से महोदय हमने यह कहा कि ताड़ी सचमुच में अगर कहा जाय तो ताड़ी कोई शराब नहीं है, अल्कोहल नहीं है विशेष, अगर अल्कोहल की बात कहियेगा तो चावल, दाल, रोटी हमलोग खाते हैं उसमें भी अल्कोहल है और एक मात्रा भले आगे पीछे हो सकती है और वह अल्कोहल है तो हमलोग दाल भात खाना छोड़ दें तो उसी प्रकार से ताड़ी का भी सवाल है। हुजूर, ताड़ी के संबंध में एक संस्मरण है जब हम गरीब थे पढ़ाई लिखाई करते थे, 8वां,10 वां में एक ऐसी बीमारी हो गयी थी कि हम मरणासन्न स्थिति में हो गये थे- पता नहीं हमारे पिताजी को किसी ने कहा वे हमारे लिये दवा लाये- सुबह में कॉंच के गिलास में कोई तरल पदार्थ देते थे कि इसको पीयो, हम पीते थे, मीठा ऐसा लगता था। जब आठ दिन के बाद हमारी स्थिति ठीक हो गयी तो हमने पिताजी से पूछा कि कहां से यह इतनी अच्छी दवा आप लाए तो कहने लगे कि कुछ नहीं यह तो खजूर का ताड़ी है तो खजूर के ताड़ी में इस प्रकार का गुण है और ऐसी चीज को हम प्रतिबंधित कर देते हैं- ठीक है उसको पकाकर के बेचने में जो सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये हम समझते हैं कि सबों के लिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ- बहुत मर्माहत होकर यह बात कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे ताड़ी की व्यवस्था में एक तरफ लोगों का नियोजन खतम हो रहा है, व्यवसाय खतम हो रहा है और दूसरा हमलोगों को गरीबों के लिए.....

सुनिए मेरे भाईयों कि ताड़ी जिस प्रकार से है- एक डाक्टर सी0पी0सिन्हा हमारे यहां डाक्टर हुआ करते थे गया में, एम0आर0सी0पी0 थे, एम0आर0सी0पी0 फिजिशियन का बहुत बड़ा डिग्री है। वे कहते थे कि गरीबों के लिए तीन चीज है- एक मसूर, दूसरा मडुआ और तीसरा ताड़ी ये तीनों गरीब खाता है तो पुष्ट रहता है, उसकी लौंगविटी रहती है, स्वस्थ रहता है। आज ताड़ी हमसे छीना जा रहा है, ये गरीबों से छीना जा रहा है, ऐसा अन्याय नहीं होने दीजिए। यह हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में ये लाया गया ? अंत में यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हम बहुत खुश होंगे उस दिन जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, कम से कम हम खुश होंगे, लेकिन आज इस लाइन पर ऐसा करके आप खुश होइयेगा, बन जाइयेगा प्रधानमंत्री वह संभव नहीं है। आज कहते हैं कल श्रवण जी कह

रहे थे कि 75 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि नशाबन्दी हो। हम कहते हैं कि 100 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि नशाबंदी हो, लेकिन ऐसा कानून को लाने की बात आयी और पास कराने की बात आयी- 5 प्रतिशत भी इसके साथ नहीं है, 95 प्रतिशत इसके विरोध में है और इसका एक अलग मैसेज जायेगा और आपको संख्या बल है, आप पास कर लीजिएगा यहां तो यही स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह देंगे तो सारी बात हो जायेगी। आज लालू प्रसाद जी कहे उनकी बात को तो लोग तेलहंडे में डाल दिया। इसीलिए हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी भी सोचें इस चीज को। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिद को करने के लिए ऐसा किया गया है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपना जिद के आगे बिहार के लोगों को आप बलि मत दीजिए। हजारों लोगों को आप तकलीफ मत दीजिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री ललन पासवान, संक्षेप में ही रखियेगा अपनी बात।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आया है और विधेयक के सवाल पर अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा किया- सत्तापक्ष के सभी गठबंधन के साथी और हमको भी माननीय श्रवण कुमार जी का फोन आया था। हम इनके घर गये थे- ये कहे कि हम आपके घर आते हैं, हमने कहा कि नहीं आप बड़े भाई हैं हम ही आपके घर आते हैं। मैं क्षेत्र से इनके घर गया। माननीय उत्पाद मंत्री मस्तान जी भी वहां बैठे हुए थे।

अध्यक्ष : ललन जी, आप समय का ख्याल रखें।

श्री ललन पासवान : तो हमने कहा कि आप काम कर रहे हैं ताड़ी पर तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है। एक ऐसा समाज जिसकी पूरी रोटी, पेट की रोटी उसी से बुझाई जाती है। उसका कुछ नहीं है इस बिहार में पासी समाज उसकी जीविका, उसके समाज की पूरी जीविका उसी से जीवित पूरा बिहार और देश में जातीय आधार पर समाज में अलग-अलग काम के तरीके हैं उससे पौनिया जाति जो समाज है, कई तरह से चाहे लोहार है, कुम्हार है, उसी तरह से पासी समाज अपने पेट की आग बुझाने के लिए उतनी उंची पहाड़ों पर चढ़ता है और आयुर्वेद में उसको नीरा कहा है, आयुर्वेद उसको दवा के रूप में लेता है। उसपर प्रतिबंध लगाकर पूरे दलित समाज के पेट पर लात मारने का काम महागठबंधन की सरकार ने किया है। यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और उसका कोई रोजगार जिससे अपने बेटे को पढ़ाता, अपने पेट की आग बुझाता उसके पूरे शैक्षणिक सवाल, उसके बढ़ोत्तरी पर उसके सवाल पर आपने काला कानून लगाया है। दूसरी बात कहना चाहते हैं महोदय, आप सदन के आसन के मालिक हैं। हमलोग आपके संरक्षण में हैं और यह जो कानून लाया गया है कि जिसके घर में शराब मिलेगा, जिसके परिसर में शराब मिलेगा- आप कस्टोडियन हैं, आप सदन के पूरे सीमा का, पूरे विधान सभा के मालिक हैं, सदन के बाहर और सदन के

भीतर भारत के संविधान के अनुच्छेद को पढ़ लिया जाय। कहीं भी अगर यह कानून दुनिया में बनाये जा रहे हैं, सदन में यह दुनिया में ऐसा कानून नहीं बना कि जहां खाली बोतल और रखी बोतल के कस्टोडियन या मालिक होगा यानी इस सदन के परिसर में शराब की बोतल मिलेगी तो माननीय स्पीकर, आप अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी दोनों आदमी जेल जाने के लिए हकदार होंगे। ऐसा कानून बनाने की स्थिति आप इस सदन में पारित करा रहे हैं.....

श्री इलियास हुसैन : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। सदन की गरिमा है- अध्यक्ष जी को और सेक्रेटरी को इसमें इन्भोल्व करा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कानून बनाया है इसमें आपने लिखा है, आप पढ़िये इसको इलियास साहब।

अध्यक्ष : ललन जी, आप इधर देखकर अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

टर्न-26/ अशोक/ 01.08.2016

श्री ललन पासवान : क्रमशः हम यह कहना चाहते हैं कि यह पूरी तरह से तालीबानी कानून है, दलित विरोधी कानून है और ऐसा कानून है जो गलत नहीं करेगा, यह पुलिसीया राज, पूरी तरह सरकार बिहार के पुलिस के हाथ में यह सत्ता सौंपना चाहती है, यदि किसी दारोगा के खिलाफ अगर हम बोलेंगे, किसी एस.पी. के खिलाफ हम बोलेंगे, जो कोई एम.एल.ए. बोलेगा, जब मन करेगा दारोगा, जब मन करेगा सिपाही जब मन करेगा ले आकर एक बोतल शराब एम.एल.ए. के घर में, किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं घर में जाकर, आपको हथकड़ी लगाकर ले जायेगा और दस साल की सजा होगी, यह पुलिसीया राज स्थापित करने का आपने नया कानून बनाया है, हम कहना चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी से कि विचार करें, और शराब पाई जायेगी एक बोतल तो पूरा परिवार, मेरी मां, बहन, दादी, नानी सब जेल चले जायेंगे । इस पर इसमें संशोधन होना चाहिए, इस पर संशोधन होकर नया बिल पर प्रस्ताव लाना चाहिए- यही बता मैं कह कर समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ऐसा है,

अध्यक्ष : कैसा है ?

श्री महबूब आलम : ऐसा है हुजूर, कि कैसा नहीं, ऐसा है, सुना कीजिए । मजाक मत उड़इये ।

"नशा पिला कर गिराना तो सब को आता है, नशा पिला कर
गिराना तो सब को आता है, मजा तो तब है जब गिरते

को थाम लो शाकी"– एक शायर अलख अकबर ने कहा है ।

आज नशा के विरोध में, शराब के विरोध में हमलोग, हमारी पार्टी पूरी तरह सरकार से सहमत है लेकिन जरा सोचिए शराब पिलाई किसने, शराब की फैक्ट्री बनाई किसने, इनको प्रोत्साहन दिया किसने ? हमारी तहजीब को गंदा किसने की, हमारी आदत को फितरत में किसने तबदील कर दी, इसमें क्या मेरा इन्डीभ्यूजयल सिर्फ दोष है, हम तो गांव, गली में महोदय शराब विरोधी आंदोलन, अपनी जो पार्टी है हमारी माकपा (माले), जब से हम शामिल हुये तब से गरीबों की बस्ती में जाकर के, दलितों के बस्ती में जाकर के हम उन्हें समझा रहे हैं कि शराब मत पिओ, आप शराब पीते हैं और भरी जवानी में आप मर जाते हैं और पांच लाख की जमीन दस हजार में आप बेच देते हैं । हमने देखा है महोदय, हमारे कार्यक्षेत्र में दीघोर क्षेत्र है, वहां एक हाई स्कूल है, हमने उसको अभी मिडिल को हमने घेरवाया, उस टोले का नाम था मुशहर टोला, हम उस टोला का नाम पार्टी की तरफ से स्कूल टोला रखा, एक टोला का नाम था हरिजन टोला, हमने उसका नाम कचौरी टोला रखा, और सत्ता के बगैर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है यह भी बात है । हमने विशाल जन जागरण किया, हमने अभियान चलाया, महोदय नतीजा क्या हुआ ? एक चौकीदार, एक दारोगा शराब पीता हुआ पकड़ा गया लोगों ने पकड़ा उसे महोदय और मुझ पर इल्जाम लगा कि महबूब आलम शराब पी रहा था, हम लोग मना कर रहे थे तो हमलोगों की इसने पिटाई कर दी । बिल्कुल झूठ, मैंने जिन्दगी में कभी शराब पी नहीं और मेरा कोई नशा नहीं है लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूॅ कि मैं बहुत से अच्छे अच्छे लोगों की बचपन के दिनों में, मेरे जो मस्जिद के इमाम मुंशी मो. शकुन को ताड़ी पीते हुये देखा, मैंने कहा कि अरे भाई सुनिये आप, मैंने कहा चाचा ये क्या कर रहे हैं, यह तो गुनाह है, नहीं बेटा यह गुनाह नहीं है, यह दवा है और ताड़ी में नशा नहीं है, इससे मेरा जो कांस्टीपेशन है वह ठीक होता है, उसने बताया, सुनिये । भाई सुनिये आप, महोदय तो हम इसके पक्ष में नहीं लेकिन अचानक जो हम कहना चाहते थे कि शराब पिलाकर मदहोश कर दिया आपने आप लाठी मारते मारते उसे जान से मार सकते हैं लेकिन उसे खड़ा नहीं कर सकते । चीन में निरंकुश ताकत के खिलाफ जब स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन शुरू की तो पूरी चीन की जनता अफीम की हो गई थी तो स्वतंत्रा सेनानियों को अफीम के खिलाफ वार चलाना पड़ा था, वार एगेन्स्ट ओपियम । हमारे साथी लोग जानते हैं, इस तरह से हम झटके से नहीं बोल सकते, एक इन्डिभ्यूजएल क्राईम को हम कॉमन क्राईम में तबदील करने जा रहे हैं । धारा 107 में एक आदमी को अगर दस दिन तक जेल में रखा जाय तो उनकी तमाम हेकड़ी ठंठी होती है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री महबूब आलम : समाप्त कर रहे है महोदय, तो हम चाहते क्या है कि यह जो ड्रेकोनियन कानून है, राक्षसी कानून है, ये सिर्फ के खिलाफ यह इस्तेमाल होगा । मैं एक मिशाल देना चाहता हूँ, हमारा बलरामपुर थाना का थानेदार ससपेंड हो गया, क्यों ससपेंड हो गया? उनका एक ए.एस.आई. जाकर के बंगाल में दारू पीकर मदहोश हो गया, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की, नैतिकता है, बेइज्जती है, रिपोर्ट कर देंगे तो ससपेंड हो जायेगा, नौकरी चली जायेगी, आज तक जितने लोग और इसी इल्जाम में एक अच्छा थानादार बलरामपुर का एस.पी. ने ससपेंड कर दिया । अब तक जितने भी जेल में भेजे गये हैं ये तमाम गरीब लोग, सेंट परसेंट गरीब लोगों हैं इसलिए महोदय कानून में तबदीली कर, संशोधन करके इसको पेश किया जाय, व्यापक विचार विमर्श हो, इसे प्रतिष्ठा का विषय महोदय न बनाया जाय । हम सत्ता के साथ हैं, हमलोग माननीय मुख्यमंत्री के शराबबंदी के अभियान के साथ हैं ।

अध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष । आप भी अपनी राय रख चुके हैं और माननीय नंद किशोर जी भी राय रख चुके हैं । कुछ विशेष कहना है क्या आपको ?

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक,2016 जो आया है उसके संबंध में मेरी बात सुन लीजिए । आप चाहते हैं उनके इशारे पर, मेरी आवाज दबाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप बोल चुके हैं न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, जब बिहार में यही बिल चार महीना पहले महोदय आया था और बिल जब आया था और काफी, सभी दलों के लोगों ने सरकार को समर्थन देने का काम किया था । महोदय, शराबबंदी के चार महीने के बाद....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इनकी ओर से एक सीनियर बोल चुके है, ये क्या बोल रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : हम कई बातों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा नहीं की गई है, अध्यक्ष महोदय, बिजेन्द्र बाबू आपको गाईड करें यह बहुत दु:ख की बात है,

अध्यक्ष : गाईड करने की बात नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : हमारा अधिकार है, अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो बैठ जायेंगे, लेकिन मैं उनसे अनुमति लेकर बोल रहा हूँ । मेरा आग्रह है, आप वरिष्ठ मंत्री हैं ।

अध्यक्ष : आप दो मिनट में कह दीजिए और सरकार का सुन लीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमलोग की बात सुन लिया जाय । पिछले बार जब बिल लाया गया था उस बिल में बहुत सारी भ्रातियां पैदा हुई थी और कहा गया था कि अंग्रजी शराब बंद नहीं होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, महोदय कोई विधेयक लाने के पहले सरकार को संबंधित विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं, ऐसे अनुभवी लोग , समाजविद् लोग, समाज के क्षेत्र मे जो काम रहे हैं उनकी

राय ली जानी चाहिए थी, सरकार हड़बड़ी में कानून को लाने का काम किया और महोदय कम समय में आप 48 घंटे के अन्दर में विधेयक को सर्कुलेट करते हैं, इसके कारण सरकार द्वारा बार बार विधेयक को लाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने, एन.डी.ए. के माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव जो लाया है उस पर विमर्श ...

अध्यक्ष : विमर्श हो चुका है । आप सुनिये न सरकार की बात ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : मैं भी सुन रहा था महोदय । महोदय, लोगों में जो काफी उम्मीद जगी थी, और लोगों की अपेक्षा थी, आज महोदय, सरकार की विफलता है, हम शराबबंदी के पक्ष में आज भी है और कल भी थे, सरकार के एलान जब हुआ, तब महोदय सरकार में फैसला हुआ था हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एन.डी.ए. के सदस्यों ने समर्थन देने का काम किया था, आज खुलेआम महोदय, हमारा कहना है महोदय आज पड़ोसी राज्य क्रमशः

टर्न-27-ज्योति

01-08-2016

क्रमशः

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर बिहार में शराब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड से और बगल का पड़ोसी देश नेपाल से पिछले चार महीने में बड़े पैमाने पर आ रही है । महोदय, सरकार ने दावा किया था कि शराबबंदी के बाद अपराध रुकेगा लेकिन बिहार में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है । और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ कि...

अध्यक्ष : ठीक है, श्री राजू तिवारी उनको बोलने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : आप नहीं बोलने देंगे तो हमलोग बहिष्कार करते हैं ।

श्री राजू तिवारी : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सिर्फ रखना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 1 तारीख को शराब बंदी पर कानून- सर्व -सम्मति से निर्णय लिया गया था, मैं यही आपसे आग्रह करता हूं, संयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी है अगर कोई मेडिकल सायंस में है कि जितने भी सदस्य हैं सबका ब्लड टेस्ट के माध्यम से, इस कानून को किसने तोड़ा पहले यहीं से शुरुआत हो कि किन्होंने कानून तोड़ा है । अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, आग्रह करुंगा चूँकि पहले हमलोग अपने आप को सुधारें, हमलोग कसम खायें हैं सदन में कि न शराब पीयेंगे न पीने देंगे, इतना बड़ा कानून बनाने के पहले हमलोग अपना सब लोग कोई मेडिकल सायंस

से हो तो ऐसा एक सबका ब्लड टेस्ट ले करके एक बार पता कीजिये किसने कानून तोड़ा होना, यह होना चाहिए ।

(इस अवसर पर भाजपा एवं उनके सहयोगी दल के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद विधेयक, 2016 पर काफी देर से चर्चा चल रही है । जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3 बजे से पहले से ही चर्चा शुरु हो गयी है और लगभग ढाई घंटे से भी ज्यादा अवसर विपक्ष को मिला अपनी बात रखने का । और हम यहाँ बैठकर या अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर सुनते रहे सब की बात । एक ही बात को बार बार दुहराते रहे और एक ही बात को कई लोग बोलना चाहते हैं, एक दल विशेष के लोग । अब यह बात समझ में नहीं आती है जब आपकी बात आ गयी और हमलोगों ने सुन लिया इस पूरे पक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, बहुत धैर्य के साथ और शान्ति के साथ वोट भी करवा दिये- पहली बार पक्ष में 46 और विपक्ष में 150, दुबारा वोट कराया तो पक्ष में 45 और विपक्ष में 153 । उनकी संख्या घटती ही चली गयी, लेकिन फिर भी इसको बाधित करने के लिए अंत में जब स्वीकृति के प्रस्ताव पर सब लोग बोल गए और जब सरकार को अपना पक्ष रखने का समय आया तो सुनने का साहस है नहीं । चूँकि मैं देख रहा था जिस अंदाज में बोल रहे थे आज नंद किशोर जी मैं भी उनको जानता हूँ, बहुत ही उत्तेजित और आक्रोश में बोल रहे थे । आक्रोश में कब व्यक्ति बोलता है ? जब तर्क नहीं रहता है तो गुस्सा करके बोलेगा, एग्रेसिवली बोलेगा, तो इसका तो कोई अर्थ है नहीं लेकिन इस विधेयक के बारे में जो तरह तरह की भ्रान्तियाँ फैलायी गयीं मुख्यतः चार पाँच बातें, यही सदन है जिसने सर्वसम्मति से बजट सत्र में पारित किया था संशोधन विधेयक । सर्वसम्मति से पारित किया और यहाँ संकल्प लिया । यह भी उस संकल्प में उद्धृत था कि इस काम को लागू करने में सरकार के कदम के साथ हमलोग हैं, सरकार के साथ । आज चार महीना बीता है और इस बीच का जो अनुभव आया इसको लागू करने में, जो पहले का विधेयक है उसमें कुछ संशोधन किए गए । सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि संशोधन करके दंड के जो प्रावधान थे, वो दंड के प्रावधान वही हैं बल्कि इसमें कुछ दंड के प्रावधान कम किए गए हैं । मैं आपको बता दूँ कि पहले दंड के जो प्रावधान थे उसमें से कुछ चीजों में दंड के प्रावधान को घटाया गया । दंड के प्रावधान में कमी लायी गयी कुछ चीजों में तीन-तीन प्रावधान में लेकिन इसके साथ साथ एक ही जगह दंड के प्रावधान में वृद्धि की गयी और वह है अगर कोई किसी को फंसाने की नीयत से, तंग करने की नीयत से, अधिकारी एक्साईज विभाग का या पुलिस विभाग का कोई तंग करेगा तो वैसी स्थिति में दंड का जो पहले प्रावधान था तीन महीने का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना उसको बढ़ा

कर, कर दिया गया तीन साल का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना । तो दंड का प्रावधान कहॉ बढ़ाया गया जिसके बारे में लोग कह रहे हैं पुलिस राज हो जायेगा तो उसी को प्रीवेन्ट करने के लिए कहीं से कोई अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर क्या सजा होगी । उदाहरण बता दें कि अभी एक जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य मोहनिया में जो चेक पोस्ट है वहॉ पर किसी एक ट्रांसपोर्टर से पैसे की वसूली की । ये बात प्रकाश में आयी और अध्यक्ष महोदय, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक्साईज डिपार्टमेंट के जितने लोग डियूटी पर तैनात थे, सब्जेक्ट टु करेक्शन, शायद 7 लोग डियूटी पर तैनात थे सब लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया,डिसमिसल । कोई छोटी मोटी सजा नहीं, डिसमिसल की सजा । बाकी जो दंड के प्रावधानों के मुताबिक अन्य कार्रवाई होनी है वो सब तो चलती रहेगी लेकिन डिसमिस कर दिया गया तो इस तरह से कड़ाई से पेश आया जा रहा है कि कोई चाहे कि वह किसी को परेशान करेगा, कोई किसी को तंग करेगा अब तो उसका बढ़ा भी दिया गया । अब यही नहीं कि पुलिस अधिकारी या कोई इससे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी अगर किसी को तंग करने की नीयत से कोई काम करेगा तो नये कानून के प्रावधान के मुताबिक इस कानून के अंतर्गत उसे तीन साल की सजा देने का प्रावधान है ही लेकिन इसके अलावे सेवा से बर्खास्तगी होगी इसके अलावे आई0पी0सी0 के अंतर्गत उनपर कार्रवाई होगी और मुकदमा होगा और तीसरा प्रीवेंशन औफ करप्शन ऐक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, यानी एक गड़बड़ी के लिए चार प्रकार की सजा का प्रावधान है । ऐसा मत समझिये जैसा कि लोग बोल रहे हैं, मैं उसपर बाद में आऊंगा कि परिवार के सब लोग चले जायेंगे, यहॉ तो इस बात पर गौर करिये कि अगर कोई गलत ढंग से किसी को तंग करेगा , परेशान करेगा तो वैसी स्थिति में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है । इसलिए इस बात को लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई पुलिसिया राज हो जायेगा, अधिकारियों का राज हो जायेगा, एक्साईज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का राज हो जायेगा यह बात बिल्कुल ही आशंका निर्मूल है । अब आईये हमलोगों ने तो जो सजा का प्रावधान किया था वह सजा का प्रावधान रहा लेकिन जब शराबबंदी को लागू किया गया और इसमें कई तरह के औफेंस हैं तो यह पाया गया कि नये कानून, नये संशोधन तो कर दिए गए लेकिन जो पुराना कानून है इसके चलते बहुत सारे मामलों में कंट्राडिक्शन है और उसको रिलीफ मिल सकता है वैसी परिस्थिति में इस केस को डील करने वाले हमारे लीगल एक्सर्ट्स ने यह कहना शुरु किया कि और इसमें संशोधन कर देना पड़ेगा हमलोगों ने कहा कि हम इक्का दुक्का संशोधन नहीं करेंगे, अनुभव हो जाय, तीन चार महीने के अनुभव के बाद जहॉ जहॉ जो जरुरी है उसका न सिर्फ संशोधन करेंगे बल्कि पुराने कानून को रिपील करके नया कानून बनायेंगे और अब जबकि मद्य निषेध लागू हो गया इसलिए नये कानून का नाम है मद्य निषेध एवं उत्पाद विधेयक । मद्य निषेध का प्रोहीबीशन का लॉ और इस प्रोहीबीशन को लागू करने में क्या

क्या कठिनाई आयेगी अब बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, परिवार हो जायेगा पहले क्या हल्ला किया गया पहले हल्ला किया गया कि अगर कोई गड़बड़ करेगा , किसी के घर में गड़बड़ करेगा तो पड़ोस वाले भी दंडित होंगे देखिये यह सब बातें खूब परिचारित हुई मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं मैं मानता हूं कि लोकतंत्र है सब लोग इस कदम के साथ नहीं हैं चंद लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ है तो जो इसके खिलाफ हैं वे तरह तरह का भ्रान्ति और दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं- एक तो लीकर लॉबी और दूसरा फिर खुद भी जो उसके शौकीन हैं उस तरह के बहुत सारे लोग इस तरह के कामों में रहते हैं मुझको जानकारी हुई तो मैंने पहले दिन कहा कि भई पड़ोस के आदमी को दंडित करने का कहाँ से प्रावधान होगा ।

क्रमशः

टर्न-28/1.8.16/विजय।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः क्रमशः..... ऐसा हो ही नहीं सकता है । फिर दूसरा हल्ला किया गया कि भाई गांव में कुछ होगा तो मुखिया दंडित हो जायेंगे । हमने इसके बारे में जानकारी ली । तो पता चला कि पहले के कानून में यह प्रावधान है कि आपके यहां कोई गड़बड़ कारोबार हो रहा है गांव में, 1915 के कानून में है तो आपको सूचना देना है अधिकारियों को अगर आप नहीं देते हैं तो विलेज का हेडमैन और कई लोग हैं उसमें सब जिम्मेवार माने जायेंगे सब पर कार्रवाई होगी । पुराने कानून में है । अब विलेज हेडमैन तो कोई होता नहीं है, मुखिया है । इसलिए इस बार नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण का शिविर हो रहा था उस दिन उनको बताया कि यह दुष्प्रचार है । ऐसा कोई कानून पागल ही बनायेगा कि अगर कोई गांव में गड़बड़ी हो रही है तो निर्वाचित मुखिया उसके लिए दोषी हो जाएगा । भाई कैसे होगा, मुखिया को तो सब लोग वोट नहीं देते हैं उनके विरोधी भी हैं । वह कुछ गड़बड़ करेगा मुखिया जी फंसेंगे ? इस तरह का कानून बन कैसे सकता है । इसका बहुत प्रचार हुआ तो इसको क्लेरिफाई कर दिया गया। अब बात आयी परिवार पर । अच्छा बताइये साहब चार महीना बीत गया अब कहां शराब है ? ये सब लोग जो बात बोले फंडामेंटल क्वेशन पूछना चाहता हूं कि जब शराबबंदी लागू हो गयी तब कहां से शराब है ? यह तो कानून का प्रावधान किया गया है कि दो नंबर से अगर कोई रखेगा अब जिसके पास भी शराब था शराबबंदी लागू होने के पहले उन्होंने अपने शराब को डिस्ट्राय कर लिया । आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी । 31 मार्च के पहले किस तरह से रौलर चला कर के किस तरह से शराब को नष्ट किया गया । लोगों ने अपने शराब को नष्ट किया, अब कौन शराब रखे हुए है ? अब जो शराब रखे हुए है इसका मतलब सीधा सीधी कानून की धज्जी उड़ा रहा है । तो जो कानून की धज्जी उड़ा रहा है और शराब रखे हुए है उसको पूरा मर्सी दे दिया जाय हां

भइया रखो । तो भाई शराबबंदी मत लागू करिये । अगर शराबबंदी लागू करना है सर्वसम्मति से लागू किया और अगर मैं पढ़ूं संकल्प को सब लोगों ने क्या संकल्प लिया? आप याद करिये संकल्प जो लिये थे, आप ही ने अध्यक्ष महोदय संकल्प करवाया था । संकल्प लोग लिये हुए हैं-

''आज पूरे सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक को हमने सर्वसम्मति से पारित किया और हमने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि हम खुद शराब नहीं पीयेंगे जो सदन के बाहर पीने वाले लोग हैं उनको इस लत से अलग करने की हम पूरी ईमानदारी से भरपूर कोशिश करेंगे और सरकार की इस नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे ।''

यह तो संकल्प है । अंत में, लास्ट, अध्यक्ष महोदय का संकल्प है, आप कह रहे हैं -

''मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के हम सभी माननीय सदस्य संकल्प लेते हैं कि शराबबंदी के जिस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है आने वाले समय में हमारा आचरण के इसके अनुरूप होगा हम खुद तो शराब नहीं ही पीयेंगे दूसरों को भी इस नीति के अनुरूप शराब छोड़ने की सलाह देंगे उनको इस दिशा में प्रेरित करेंगे।''

आप बताइये जब संकल्प ले लिये हैं और अध्यक्ष महोदय ने सारे संकल्प के बाद कहा कि सरकार की इस नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे । अब सहयोग नहीं करियेगा तो असहयोग आज कर रहे हैं आप बताइये । इसका मतलब संकल्प गलती से ले लिया, धड़फड़ी में ले लिया । और उस समय की बात सुनिये सब लोगों का भाषण है । अभी नेता विरोधी दल हैं और सब लोग भाषण दे रहे थे । हमलोगों ने कहा था पूर्ण शराबबंदी की नीति हमारी है इसे लागू करेंगे चरणबद्ध ढंग से । पहले गांव में देशी विदेशी सब बंद होगा । जो कॉरपोरेशन और म्युनिसपिलिटी के टाउन हैं उसमें सिर्फ विदेशी शराब लिमिटेड दूकानों में उपलब्ध होगी । क्या पीछे से चल रहा था कि पूर्ण शराबबंदी लाइये, पूर्ण शराबबंदी लाइये । हम तो दूसरे सदन में कोट करेंगे । पूर्ण शराबबंदी लाइये एक एक मिनट पर लोग कोट कर रहे थे । कब लाइयेगा बताइये, किस दिन से लागू कीजियेगा ? हमने कहा आपसे बात कर लेंगे तो कहा कि हम तो कल ही के पक्ष में हैं । आप बताइये साहब जब वह पारित हुआ अगले दिन से जो दूकानें खुलनी थी अंग्रेजी शराब की शहरों में उसका भी विरोध होना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यह तो बहुत अच्छा माहौल बन गया लोग इसके खिलाफ हैं तो तत्काल 4 अप्रैल को सेसन खत्म हुआ और 5 अप्रैल से कैबिनेट की मीटिंग करके हमलोगों ने विदेशी शराब को भी बंद कर दिया । पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया । और बोल रहे थे पूरा लागू कीजिये, पूरा लागू किये । 1 अप्रैल से अगर देशी बंद हुआ 5 अप्रैल से पूरे बिहार में बंद हो गया विदेशी भी बंद हो गया, शहर में भी बंद हो गया । अब इसका इम्पैक्ट हुआ । गरीब की दुहाई देते हैं । गरीबों के जीवन में जो खुशी आयी है, जो आनंद आया है उसकी कल्पना

इनको नहीं है । ये गरीबों का नाम लेकर चंद निहित स्वार्थ के लोगों की हित की रक्षा करना चाहते हैं । अब इनको अफसोस हो रहा है कि हम ये क्यों कर दिये । आज बोल रहे थे कि भई क्यों शराब आ जा रहा है झारखंड से इसका जवाब आप ही दीजियेगा न। झारखंड में आप ही की तो सरकार है । सारा जो आ रहा है मैक्सीमम पकड़ा रहा है वहीं । हम बार बार गए, चिट्ठी लिखा और कहा सहयोग करिये । सहयोग करने की बात तो छोड़ दीजिये बोर्डरिंग एरिया पर दूकान खुलवा रहे हैं । कानून है बोर्डरिंग एरिया पर दो मील के अंदर नहीं खुलेगा। हम तो यही अपील कर रहे थे कि मत कीजिये । तरह तरह की सुविधा मिल रही है बोर्डरिंग एरिया में । एक जगह तो हमको पता चला एक दूसरे राज्य की बात है जहां शराब पिलाने के बाद लोग खटिया का भी इंतजाम कर दिया है कि थोड़ी देर सो लो । तो यह अनुभव आया है कि लोग बाहर से पीते हैं और जब उनको पकड़ता है तो कहता है कि कौन कानून है जरा बताइये तो हम बिहार में तो पीये नहीं हैं, झारखंड में तो बंद नहीं है शराब । हम वहां से पीकर आये हैं हम क्यों ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट करायेंगे, हम नहीं करायेंगे । कानूनन रूप से वह सही बोल रहा है। अगर ब्रेथ एनलाइजर से टेस्ट करियेगा उसके बाद ब्लड टेस्ट होगा कि दारू पीये हैं कि नहीं पीये हैं तो उसके लिए मना करता है कहता है कि क्यूं हम करायेंगे । ऐसे बहुत लोग हैं। तो भाई अनुभव आया । अनुभव आया कि घर में शराब है रखी हुई, पुलिस पकड़ रही है लेकिन पूछ रहा है कि कौन रखा है भाई तो पूरे घर में कोई दावा नहीं कर रहा है । कह रहा है कि ना ना हम नहीं जानते हैं कौन रखा है । भला बताइये घर में शराब की बोतल रखी हुई है और घर के किसी आदमी को पता ही नहीं है शराब की बोतल कैसे आयी ? यह सब हो रहा है । अब पुलिस किसको पकड़े । घर के मालिक को पकड़ता है तो बहुत सारे घर महिलाओं के नाम पर हैं, किराये का भी मकान लोग महिलाओं के नाम पर लिये हुए हैं । तो घर जिसके नाम से उसको पकड़िये तो बहुत सारे मामलों में महिलाएं पकड़ी जायेंगी । एक जगह तो उदाहरण बताया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि एक जगह जब शराब की बोतल बरामद हुई तो पूछा कैसे आया कौन रखा तो गार्जियन ने, बाप ने नाबालिग बेटी की तरफ इशारा कर दिया । भला बताइये कल्पना करिये नाबालिग बच्ची लायेगी शराब । लेकिन यह सब हो रहा है । तब ये अनुभव आ रहा है तो या तो कानून को इनफोर्स करिये या बैठ जाइये । कह दीजिये कि हमसे नहीं लागू होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं उनलोगों में से नहीं हूं जो मैं कह दूं कि मुझसे लागू नहीं होगा । हम को लागू करने के लिए इस सदन का मैनडेट है, हम तो एकदम बिल्कुल इसको लागू करेंगे । और बिहार में लागू है कुछ लोग तोड़वाना चाहते थे तो इसमें साजिश है । काहे झारखंड में इतना ज्यादा शराब बन रहा है ? हम तो जा जा कर, एक एक उदाहरण दिये हैं कि बोडरिंग एरिया में क्या हो रहा एक एक दूकान का जो बीड होता है उसका रेट कितना आया है । हमने बताया है इंटर जोनल काउंसिल की जो मिटिंग थी हमने उस मिटिंग में

भी कहा । वहां के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे थे उनको हमने आंकड़ा दिया कि आपको गलत बताया गया है । आप देख लीजिये ये आंकड़े हैं कितना प्रतिशत ज्यादा आपका शराब का आपने दिया मिनिमम गारंटी कोटा जो है एम.जी.क्यू. बढ़ा दिया है । हमारे जितने बोडरिंग एरिया हैं झारखंड के वहां मिनिमम गारंटी कोटा बढ़ा दिया है हमने कहा यह क्यों किया आपने क्यूं बढ़ाया मिनिमम गारंटी कोटा । आखिर इसकी नीयत क्या है ? अचानक किसी जिले में 50 प्रतिशत लोग ज्यादा पीयेंगें शराब? इसका मतलब साफ है कि बोर्डर से आप यहां भेजना चाहते हैं । तो एक तरफ तो इतनी बाधायें हैं ।

क्रमशः.....

टर्न-29/01.8.2016/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः क्रमशः तो एक तरफ तो इतनी बाधाएं हैं, एक तरफ तो इतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि शराब यहां कैसे है ? अरे कैसे है शराब, यह तो आप बताइए कि कैसे है शराब ? किस प्रकार से शराब आ रही है लेकिन आज देखिए किस प्रकार से छापा मारकर, निगरानी करके हर जगह शराब बरामद होती है और डिस्पोज हो रही है लेकिन बहुत लोग मजाक उड़ाने वाले हैं । पांच जगह अगर पकड़ाएगा तो कहेंगे कि अरे, यह तो फेल हो गया । यानी पास तब होगा जब हमलोग कुंडली मारकर यहां बैठ जाएं । कुछ न करें । शराबबंदी का कानून लागू किया है, कुछ नहीं करें ? ड्रैकुनियन काम है । क्या ड्रैकुनियन है इसमें ? कौन-सा नया प्रावधान है ? सारा प्रावधान वही है जिसको सर्वसम्मति से आपने पारित किया । अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान हमने कड़ा किया है । कौन-सा कानून है, कौन-सा प्रावधान है ? आज जो बात कर रहे हैं, रातो-रात लोग एक समुदाय के हितैशी हो गए हैं, ताड़ी का नाम ले रहे हैं । अरे, हम तो शुरू से बोल रहे हैं । क्या उस समाज के लोग जीवन भर ताड़ पर चढ़ कर ताड़ी उतारेंगे ? छाती में घट्ठा पड़ेगा, उनके घुटने में घट्ठा पड़ेगा, पैर में घट्ठा पड़ेगा । वो नहीं पढ़ेंगे ? उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे ? वो आगे नहीं बढ़ेंगे ? उनसे आप यही चाहते हैं ? तो सिर्फ और सिर्फ ताड़ पर चढ़े और ताड़ी उतारे ? हमने कहा है कि ताड़ी में नशा है । कौन यह सब फालतू बात बोलता है कि इसमें यह मेडिकल गुण है, वह मेडिकल गुण है । कहने के लिए तो लोग कह देंगे अलकोहल में भी मेडिकल गुण है । तब तो मत लगाइए अलकोहल पर बैन ! तब काहे का संविधान में लिखे हुए हैं धारा 47 में डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स और स्टेट पॉलिसी । कोई एक बार चुनौती हुई है क्या ? पिछली बार भी हमने कहा था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो-दो, तीन-तीन बार फैसला कर दिया है । न शराब पीना मौलिक अधिकार है, न शराब का व्यवसाय करना मौलिक अधिकार है । है ही नहीं । नशाबंदी करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है । यह राज्यों के लिए निदेशक सिद्धांत है । डायरेक्टिव प्रिंसिपुल ऑफ स्टेट पॉलिसी । तो अगर यह लागू कर दें तो तरह तरह की बात करेंगे । इतने तरह की बात

करेंगे, घेरेंगे, अरे भाई ! हम तो बार-बार कह रहे हैं कि ताड़ी की जगह नीरा उतारेगा और नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है । ताड़ी नहीं, ताड़ी में तो फरमेंटेशन हो जाता है। नीरा है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और उस द्रव्य से गुड़ निकलता है । जब हमने यह सोचा तो तुरत हमने पता किया कि कहां सबसे ज्यादा इस बात पर रिसर्च हुआ है । हमें मालूम हुआ कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में सबसे अधिक रिसर्च हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए, यहां ताड़ का पेड़ जितना है उससे कई गुणा ज्यादा है तमिलनाडु में । सबसे अधिक ताड़ का पेड़ तमिलनाडु में है और वहां पर इस बात पर अनुसंधान हुआ । उनके वैज्ञानिकों से वहां संपर्क किया गया । वो लोग खुशी-खुशी यहां आए । मेरे सामने उन्होंने प्रजेंटेशन दिया और बताया कि किस प्रकार से यह जो लवनी जिसमें ताड़ी उतार कर लोग चुलाते हैं, उस लवनी में अंदर से अगर चूने की कोटिंग की जाती है उसमें अगर उसका रस जमा होता है तो फरमेंटेशन नहीं करता है और उसको सवेरा होने से पहले उतारिए, सीधे नीरा के रूप में पीजिए और उसके बाद जो बचता है, डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर सेंटर होगा, उसको इकट्ठा करके उससे अन्य प्रोडक्ट बनेगी जिसमें गुड़ वगैरह भी है और यही नहीं, जो ताड़ का पेड़ है, हम सब लोगों को याद है अपने-अपने बचपन का, ताड़ का जो पत्ता रहता है उसका चटाई बनता है, उसका छोटा-छोटा टोकरी बनता है, क्या नहीं बनता है । एक-से-एक गुण है उसमें । एक-से-एक बहुत अच्छी चीजें बन सकती है । सब चीजों को एक साथ, नीरा उससे निकलने वाले दूसरे पदार्थ का निर्माण प्लस जो ताड़ का पेड़ है, उससे कई जो चीजें निकलती हैं उसके फल और उसके सब चीज से अलग-अलग चीजें बनेगी और आज जो ताड़ी उतारने से जितना पैसा एक ताड़ में आता है उससे दुगुना से भी ज्यादा पैसा जो नई नीति बनाई जा रही है, उससे लोगों को मिलेगी । जितने लोग आज उसके वकील बने हैं न, वकील नहीं है, खाली वह फेस है । अंदर मामला कुछ और है । वह कहीं का और कुछ चक्कर है । वह जो समुदाय है उसके लिए हमलोग जितना कंसर्न है उनकी आमदनी के लिए, उनके रोजगार के लिए हमलोग कंसर्न हैं और यह जब तक इसके लिए पूरी योजना बन रही है, बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं । इसके लिए हमलोगों ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 22 अप्रील, 2016 को उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग, सहकारिता विभाग तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव, सचिव एवं प्रबंध निदेशक, कम्फेड की समिति गठित की है । गठित समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए - कृषि विभाग द्वारा सभी ताड़ पेड़ों का सर्वेक्षण, एक-एक ताड़ पेड़ की गिनती होगी, कृषि विभाग कर रहा है यह काम । तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के बीच एम.ओ.यू. हुआ है ताकि वहां से जो टेक्नोलॉजी है, उसको ये कर सकें और अपने यहां उसको लागू कर सकें । जीविका के माध्यम से स्वयं

सहायता समूहों का गठन एवं गठित स्वयं सहायता समूहों का जिला एवं राज्य स्तर पर फेडरेशन का निर्माण एवं स्वयं सहायता समूह का प्रशिक्षण, ये जितने इसके प्रोडक्ट होंगे, इसको कलेक्ट करना, इसका प्रौसेसिंग करना, इसके प्रोडक्ट को निकालना और उसकी मार्केटिंग करना ताकि उनको आमदनी हो । एक दल का गठन जो टी.एम.ए.यू.तमिलनाडु एग्रीक्कल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर का भ्रमण कर नीरा निर्माण संबंधी विभिन्न फर्मों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । हमारे स्तर पर 26मई को तमिलनाडु की टीम आई । उन्होंने प्रजेंटेशन दिया और वह नालन्दा, गया, सब जगह गए और आकर उन्होंने बताया कि यहां पर बहुत अच्छी संभावना है और पटना के चार-पांच पेड़ से उन्होंने नीरा बनाया यहां, और आपको मालूम है एक दिन मिटिंग हो रही थी मेरे स्तर पर संवाद में, वहां पर सब लोगों को नीरा दिया गया पीने के लिए, हम नहीं पीए तो मेरे बारे में, हम छपा हुआ देखे, एक अंश में हम जानते हैं, उनलोगों की असहमति है, इसलिए मेरा मजाक हुआ । उनलोगों ने लिखा, खुद नहीं पीए और नीरा की वकालत कर रहे हैं । अरे भइया ! वह ठंढा था । हम ठंढी कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं । अगर ठंढा ग्रहण करेंगे तो मेरा गला बैठ जाएगा । यह मेडिकल रीजन है । सबको मालूम है । अगर नहीं मालूम है तो लिखते क्यों हैं भइया ? लिखने में बड़े होशियार हैं । दो मिनट में मजाक उड़ाते हैं तो हम तो सुनते रहते हैं । लोकतंत्र है । सब लोगों ने जो लिया कहा कि यह बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है । अरे भाई तो नीरा से बेहतर कीमत मिलेगी । यह ताड़ी, आप जरा गांव में जाइए न, गरीब की बात कर रहे हैं, जरा महिलाओं से पूछिए । महिलाओं को पूछिये । जैसे शराब के खिलाफ है वैसे ताड़ी के खिलाफ हैं । मुझे तो कभी कभी हास्यास्पद लगता है इन लोगों की बात । हास्यास्पद लगती है । और आपको बतायें, यह हमलोगों ने नहीं किया है यह तो रिटेन किया है 1915 का ।

अभी जो बोल रहे थे ने और तुरत एक सज्जन हैं भारत सरकार के सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत मेरे यहां आते जाते रहते थे, देखे उधर की ओर है तो चल दिये उधर । तो ये ड्रेकोनियन बता रहे थे हम सबलोगों को,एडुकेट कर रहे थे, धन्यवाद उनको । अब आप देखिये, ये है बिहार एक्साईज ऐक्ट 1915 । इसी में लिखा हुआ है आर्टिकल 14 है, लिकर का है, 15 मैनुफैक्चर इन फूट्स, पंचवई क्या है, प्लेस क्या है, एक्सप्रेशन रेफरिंग सेल क्या है, स्प्रिट क्या है, उसके बाद ताड़ी । 1915 का कानून है, उसी में लिखा हुआ है ताड़ी । ताड़ी में फरमेंटेड और अनफरमेंटेंड जूस, ड्रान फ्राम कोकोनट, पलमिरा, पलमिरा को ही ताड़ कहते हैं, कोकोनट हो गया आपका नारियल, डेट खजूर और अदर काइंड आफ पाम ट्री, ये हमलोगों की नहीं है परिभाषा, ये 1915 की परिभाषा है उसको रिटेन कर लिया है, 1915 का । आज हमलोगों को पर कह रहे हैं ड्रेकोनियन कानून बना रहे हैं । लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, बड़ा उपयोगी चीज है, अरे क्या उपयोगी चीज है, उपयोगी चीज है नीरा । उसका प्रचार करेंगे, इसके लिये आपको बताया । एक अच्छी

खासी योजना बनायी गयी है और विशेषज्ञों का भ्रमण हो गया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने काम शुरू कर दिया है और इसके द्वारा ताड़ के पेड़ से उत्पादित उत्पाद खाद्य पदार्थ नीरा, ताड़ गुड़, ताड़ चीनी, कैंडी, फ्रूट जैम, सीरप, चौकलेट, मिठाई, हलवा इत्यादि बनेगा। ये जो नीरा उतरेगा भोर के पहर में, सूर्योदय के पहले तो नीरा के रूप में जिसको पीना है पी लीजिये बाद में क्या क्या होगा, उसके लिये सेंटर बन रहा है, जहां सब कलेक्ट होगा उसके बाद प्रोसेसिंग का सेंटर होगा, क्या क्या बनेगा जान लीजिये गौर से । इतने प्रोडक्ट बनेंगे ।

टर्न–30/कृष्ण/01.08.2016

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमशः) नीरा के अलावे ताड़ गुड़, ताड़ चीनी, कैंडी, फ्रुट जैम सिरप, चौकलेट, मिठाई हलवा और खाद्य पदार्थ क्या बनेगा ? ताड़ का जो बाकी चीज है चटाई,मैट, ब्रुश, बासकेट, झाड़ू फाईवर के सजवाटी सामान एवं फेंसी सामान । यह सब उससे बनेगा । अब आप बताईये जो यह काम होगा ओर इसके लिये संगठित सब कुछ नीचे से ऊपर तक कलेक्ट करने से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग के लिये हमलोग इसके लिये संगठन खड़ा कर रहे हैं । उद्योग विभाग को जिम्मेवारी दी गयी है । सारा काम हो रहा है। आप कल्पना कीजिये, ताड़ी उतार करके निश्चिंत हो जाता था, कितना पैसा ताड़ी से मिलता था और यह सब मिला कर कितना पैसा मिलेगा ? तो ताड़ी उतारनेवाले समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं । आज केवल वही समुदाय नहीं और लोग भी उतारते हैं । उनको कितना लाभ होगा इससे और यह काम हमलोग करना चाहते हैं । ताड़ी के चक्कर में न पड़े, इतने चीजों का लाभ उनको मिलेगा और दूसरी बात है । यह कानून बना और इसी में खोद रहे थे । इसी कानून में एक्जम्पशन का क्लौज है । सरकार को अधिकार है तो अभी जो है 1915 के कानून में भी ताड़ी की वही स्थिति थी । लेकिन एक्जम्पशन दिया हुआ है । यह एक्जम्पशन कानून के पारित होने के बाद, तो अभी यहां से पारित होगा, दोनों सदनों से पारित होगा, महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जायेगा, उनका दस्तखत होगा तो कैबिनेट बैठ करके फिर उसको नोटिफाई करने का निर्णय लेगा कि फलां तारीख से नोटिफाई होगा, उस दिन से कानून लागू होगा और जिस दिन से कानून नोटिफाई होगा, उसी दिन से आज जो एक्जेम्पशन है ताड़ी का और पुनः एक्जेम्पशन उनके लिये दे दिया जायेगा तब तक जब तक हमलोग उनके लिये पूरा इंतजाम नहीं कर लेते । बगैर जाने,बगैर तथ्यों को जाने, बगैर शब्द को जाने अगर प्रचार करना है, दुष्प्रचार करना है तो मैं वैसे लोगों के बारे में क्या कहूं । दुष्प्रचार करते रहिये । कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा । कल हमने एक जगह यह भी पढ़ लिया, फुल्ली ड्राई

नहीं है स्टेट । अब बताईये । एक तरफ आप आलोचना कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि ताड़ी तो ड्रेकोनियन है । दूसरा तरफ लिख देते हो कि ड्राई नहीं है । वही है। आज जो है, वह कल भी रहेगा । इसके लिए पूरा संगठनात्मक और सब तरह से तैयारी की जा रही है और वह तैयारी मेरा लक्ष्य है । हो सकता है लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ और विलंब हो । क्योंकि करना तो हमको नहीं है, कराना पडता है । 10 तरह की समस्यायें आती हैं, लेकिन हमने टारगेट दिया है अगले वैशाख के पहले । ताड़ी तो वैशाख की चीज है न । वैशाख में न खूब होता है । यह किसको मालूम नहीं कि आजकल नहीं होता है, न के बराबर होता है, लेकिन वैशाख में जम कर होता है । पहले चाहेंगे कि सब चीज हो जाय और जब सब इंतजाम हो जायेगा तो आज जो ताड़ उतार रहे हैं, उनको तो प्रसन्नता होगी और ये लोग फिर बेरोजगार हो जायेंगे । अभी रोजगार तलाशने का यानी वोट के चक्कर में जो हैं कि वोटवा हमको मिल जाये, यह नहीं मिलनेवाला है । क्योंकि यहां सही इन्टेशन है । इनको तो भड़काना है । एक तरफ कहियेगा फुल शराबबंदी और दूसरी तरफ कहियेगा कि ताड़ी चले । हम तो बैठे-बैठे यहां से वहां तक सुनते रहे । इतनी बातों में कंट्राडिक्शन है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताईये भांग की बात है । यह तो सब पहले से है । यानी की भांग की खेती करके गांजा, भांग ये सब जो पैदा करेगा ड्रग्स, उस पर कार्रवाई की बात है । अगर मान लिया जाय पूरे मिथिला इलाके में या कहीं भी अपने आप जो हो जाता है, जंगली तौर पर विंड्स के तौर भांग हो जाता है तो किसी के खेत में विंड्स के तौर पर हो गया तो उसको पुलिस वाले पकड़ेगा ? नहीं पकड़ेगा, साफ-साफ दिशा निर्देश है । खेती करेगा तब न । खेती करेगा तो जुर्म होगा । लेकिन अगर ऐसे ही विंड्स के तौर पर आ गया है तो उसमें कोई बात नहीं है । अभी तो हम गये थे बीसा का समस्तीपुर पूसा में विजिट करने के लिये गये थे वौर लौक इन्स्टीच्यूट का, समस्तीपुर जिले के एक किसान ने अपनाया है, उनकी टेक्नोलॉजी को हम गये देखने के लिए तो उनके खेत में देखे कि भांग है तो उसने कहा कि भांग तो अपने से होता है। भाई, इतना सेंस है क्या चीज विंड्स के तौर पर होता है, क्या चीज जंगली होता है । ऐसा कोई कानून नहीं बनता है, लेकिन हां, कोई जान-बूझकर खेती करेगा, गेहूं और धान और मक्के की तरह करेगा तो स्वाभाविक है, आप दूसरा कारोबार कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जायेगा और सरकार के पास एक्जेम्पशन के पावर हैं। अब रही बात कि परिवार की बात करते हैं। अभी हमने बता दिया आपको, आप के बारे में कि क्या कह दिया तो अब रखा गया है कि भई, आपके यहां शराब पाया जाता है, जो अब कहां से पाया जायेगा ? शराब है ही नहीं तो, अब तो तभी न पाया जायेगा कि झारखण्ड से संपर्क है, लेकर रखा है । काहे इतना घबरा रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं ? यह इसी से पता चलता है कि कैसे समर्थक हैं । अब वो

किसी के पास है तो डिनाय कैसे करेगा, क्या प्रावधान है – प्रावधान में लिखा गया है परिवार की भी व्याख्या कर दी गयी है। मां, बाप मतलब पति–पत्नी और डिपेंडेट चिल्ड्रेन और इस मामले में क्या किया गया है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रेन में जो एडल्ट है और कहीं नौकरी कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं तो उसमें नहीं हैं और जो रह रहे हैं वहां, अगर कोई एडल्ट 18 साल का बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, उस पर लागू नहीं होगा । उसकी माँ वहां नहीं है बाहर में है, गांव में तो उस पर लागू नहीं होगा । आखिर कोई तो होगा, आसमान से टपक कर शराब की बोतल तो नहीं आ जायेगा । कोई तो रखेगा तो बोतल भी रखेगा और उसपर आप पकड़िये और इसमें है वह साबित कर देगा । बच्चा है दे देगा कि हम तो हॉस्टल में थे । कोई तो कहेगा । दूसरी बात इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट समझिए कि कौन देगा ? आप जो बोल रहे हैं, बच्चा जब स्वीकार करने लगेगा कि ये काम मत करो तो बाकी हिम्मत है, पत्नी जब बोलने लगेगी, बहुत इम्पावरमेंट हुआ है । ये लोग पता नहीं, अभी भी किस युग में जी रहे हैं ? हमको नहीं मालूम है ? बल्कि मैं तो पूछना चाहता हूँ कि किस युग में आप जी रहे हैं ? बड़े हिन्दुत्व की बात करते हैं । जरा हमको बता दीजिए कि हिन्दू धर्म की किस शाखा में शराब को कहा जाता है कि अच्छी चीज है ? किस शाखा में कहा गया शराब और मादक चीजों को सही कहा गया है, बताइये। दुनिया में कोई धर्म नहीं है, जो शराब को और नशा को प्रोत्साहित करता है, कोई समाज सुधार का आंदोलन नहीं है। संत रविदास से कबीर से लेकर आ जाइये अंबेडकर साहब, गांधी जी की तो बात ही कुछ और है । हमने एक काम भी किया है, पूज्य बापू का चम्पारण का सौंवा साल है, उस सौवें साल में हम पूर्ण नशाबन्दी को लागू कर देना चाहते हैं । वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कौन बताता है भई, आप अगर मगर लगाकर जो पक्ष ले रहे हैं, शराबबन्दी की जो मुहिम है, जबर्दस्त इसको आप झटका लगाना चाह रहे हैं । कौन है ? मैं तो पूछना चाहता हूँ, बहुत हिन्दू के प्रचारक हैं, हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ आदरणीय मोहन भागवत जी से, क्या स्टैंड है आर0एस0एस0 का शराब पर ? वह शराबबंदी चाहते हैं या इसी तरह से उनके पार्टी के लोग अगर मगर लगाकर के इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं । बिहार में शराबबंदी लागू होती है और झारखण्ड से शराब ठेलते हैं यहां । मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि शराबबंदी पर क्या रूख है ? मैं जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में शराबबंदी लागू है, गुजरात की स्थापना जब से हुई है तब से शराबबंदी लागू है । ये 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं उस दौरान भी शराबबंदी लागू थी।

क्रमशः.....

टर्न:-31/राजेश/1.8.16

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमश:- मैं तो मानकर चलता हूँ कि वे शराबबंदी के पक्षधर हैं, इसलिए गुजरात में लागू रहा वरना उठा सकते थे लेकिन उन्होंने जारी रखा, इसका मतलब है कि वे शराबबंदी के हिमायती हैं, अब वे बतायें कि हमलोगों ने हिम्मत करके, दृढ़संकल्प के साथ इस शराब को बंद किया है, नशामुक्त समाज बनाना चाहते हैं तो आपका क्या नजरिया है, आपके लोग शुरु में बोल देते हैं, पूर्ण शराबबंदी की बात और आज वकालत करने लगते हैं,भाई, पूर्ण शराबबंदी का मतलब है कि घर में बोतल पर बोतल रखिये शराब का,यही है शराबबंदी ? कौन सी शराबबंदी है यह मैं जानना चाहता हूँ इनसे ? आपकी शराबबंदी की व्याख्या क्या है ? क्या व्याख्या है बताइये ? शराब की क्या व्याख्या है, नशे की क्या व्याख्या है, इनको बताना चाहिए था और सामने रहते,मुझे तो और आनंद आता,बीच में कुछ कहते,हम उनको और उत्तर देते लेकिन यह जान बूझकर शराबबंदी की मुहिम कामयाब हो रही है और बात कर रहे हैं ये लोग, यानी कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, कुछ भी बोल सकते हैं,असत्य का सहारा लेते हैं,आप देख लीजिये अध्यक्ष महोदय बिहार में लागू शराबबंदी के क्या सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं, 1 अप्रैल से 25 जुलाई, 2016 तक के अपराध ऑकड़ों की तुलना अगर 1 अप्रैल से 25 जुलाई, 2015 के ऑकड़ों से की जाय तो इस अवधि में कुल संज्ञेय अपराधों में 12.7 प्रतिशत की कमी आयी है और जरा देख लीजिये संज्ञेय अपराध,चूंकि इसमें उत्पाद के मामलों का केस बहुत ही रजिस्टर्ड हुआ, 352 प्रतिशत बढ़ा है, इन-नॉरकोटिक्स एक्ट जो बाद,फिर भी संज्ञेय अपराधों की संख्या में 12.7 प्रतिशत की कमी आयी है । गंभीर अपराध जैसे हत्या में 33 प्रतिशत की कमी आयी है,डकैती में 31 प्रतिशत की कमी आयी है,लूट में 15 प्रतिशत की कमी आयी है,फिरौती हेतु अपहरण में 54 प्रतिशत की कमी आयी है,भीषण दंगा में 48 प्रतिशत की कमी आयी है,बलात्कार की घटना में 28 प्रतिशत की कमी आयी है,चोरी में 5 प्रतिशत की कमी आयी है,साधारण दंगा में 18 प्रतिशत की कमी आयी है,महिला उत्पीड़न में 19 प्रतिशत की कमी आयी है,अनुसूचित-जाति,अनुसूचित-जनजाति अत्याचार में 25 प्रतिशत की कमी आयी है,सड़क दुर्घटना में 22 प्रतिशत की कमी आयी है और सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु है,उसमें 19 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, बतायें यह है इसका फायदा । आज गॉव में चले जाइये, मैं तो सबको कहता हूँ देख लीजिये,जो हल्ला-गुल्ला,मार-पीट, कोलाहल, झगड़ा-झंझट का वातावरण था, आज पूरी तरह शांति है,सब लोग हैं शादी-ब्याह में जाते थे,कितना देर लगता था दरवाजा लगने में,200 मीटर ही दरवाजा लगने में आने में बारात को घंटो लगता

था, ले करके जो नाचता रहता था, घंटो लगता था, अभी हम हाल में गये थे झारखंड में,अपने पार्टी के अधयक्ष की लड़की की शादी थी,जब हम पहुंचे 9 बजे तो हमने कहा कि कितना देर लगेगा,तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही लगेगा,तो जानकारी लिये कि कितना दूर है बारात, तो पता चला कि 150-200 मीटर है, हम बैठे रहे, डेढ़ घंटा बीत गया लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं लगा,हमने कहा कि झारखंड में लागू कर दीजिये तो 10 मिनट में बारात लग जाती,वहॉ पर सारे पार्टी के लोग थे,यह तो हालत है,अब कहॉ ट्रैफिक जाम हो रहा है,पहले तो शादी-ब्याह निकलता था बारात तो इतना कि अब आप देख लीजिये,आप सबों का अनुभव है,कहॉ जाम है, अब शहर में भी कितनी शांति है,पहले क्या हालत रहता था,यह लहेरियाकट अब कितना हो रहा है,लहेरियाकट जो होता था,अब कितना हो रहा है बताइये ? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से और उनके पथ का अनुगमण करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ,इतना बड़ा परिवर्तन आया है,ये लोग गरीब की बात करते हैं, अरे भाई गरीब तो इतना प्रसन्न हैं, वह तो चाहता है कि हर हालत में लागू हो, महिलाएँ और पुरुष जो पीने वाले जो मेरी पहले आलोचना करते थे, आजकल प्रशंसा करने लगे हैं,आदत छूट गयी तो कहा बड़ा अच्छा हुआ, हमने 9 डिवीजनों में 9 जगह स्वयं सहायता समूह की दीदीयों का सम्मेलन हो गया,हर जगह आप बीती सुनाती थी दीदीयॉ,एक जगह सुनाया शराब पीकर आते थे पति, मार-पीट करते थे, बड़ा खराब लगता था चेहरा, आजकल शराब बंद हो गया,शाम में आते हैं,सब्जी लेकर आते हैं,बड़ा प्रेम से बात करते हैं, अब चेहरा भी अच्छा लग रहा है,यह सब उनकी आपबीती है जरा सुनिये, पेसेन्स रखिये, धैर्य के साथ सुनिये, सबेरे-सबेरे उलटा पुलटा जोक पढ़ करके मस्त मत होइये,मैं तो जानता हूँ कि मैंने जो काम किया है,यह इस प्रकार का काम है कि बहुत लोगों को दुश्मनी का भाव हुआ है, वो तो अन्य प्रकार से हमें नष्ट करेंगे, कर दीजिये नष्ट, मैं तैयार हूँ, नष्ट हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, चला जाऊं लेकिन इसपर कोई समझौता नहीं होगा और यह सख्ती से लागू होगा । कौन कहता है कि यह सिर्फ कानून से लागू होगा ? दोनों चीज की जरुरत होती है, कानून की कड़ाई और जनचेतना । मैंने पिछली बार कहा जनचेतना का तो यह आलम है कि एक करोड़ 19 लाख गार्जियन्स ने अपने बच्चों के माध्यम से संकल्प पत्र भेजा स्कूलों में कि हम शराब नहीं पीयेंगे,इससे बड़ी जनचेतना क्या हो सकती है, 9 लाख जगहों पर दीवाल पर लिखे हुए, 24, 25 हजार जगहों पर लोगों ने नुक्कड़,नाटक,मंचन और लोगों ने गीत खुद बनाया और यह सब काम हुआ,यह जनचेतना नहीं है तो और क्या चीज है,एक-एक महिला को हमलोगों ने आह्वान किया है और कहा है कि इसपर नजर रखिये,ऐसा न हो कि शराब छूट जाय और कोई दूसरा चीज का लत पकड़ लें, एक माहौल बनाये रखिये, वातावरण बनाइये, मैंने तो शुरु में सोचा था कि गॉव का वातावरण बन गया, गॉव में लागू करें, शहर का वातावरण बनेगा तो शहर में लागू करेंगे लेकिन सब लोग मांग कर रहे थे तो

शहर में वातावरण बन गया और उसको मैंने लागू कर दिया, आज यह लागू है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग हैं, जो लत वाली बात कर रहे थे, डि-इरिक्शन सेंटर पर जितने लोग इलाज कराने आये हैं,लत वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं और यहॉ कोई एक्जम्प्शन नहीं दिया गया है,अभी ये लोग चले गये, गुजरात में मेडिकल रिजन पर एक्जम्प्शन दिया गया तो जब एक्जम्प्शन दीजियेगा तो शराब की दूकान तो खोलनी ही पड़ेगी, जब शराब की दूकान खुल गयी तो शराब आने लगी और बॉये-दॉये जाने लगी, हमने कोई एक्जम्प्शन नहीं दिया,अगर एक्जम्प्शन देंगे, आयेगी और बॉये-दॉये जायेगी, तब होगा होम डिलिवरी और मैं तो कहूंगा, मैंने केन्द्र के एक मंत्री का बयान पढ़ा था, राज्यमंत्री का, वे मंत्री नहीं राज्यमंत्री हैं, तो मंत्री जितना काम देगा, उतना ही राज्यमंत्री का काम है,कोई राज्यमंत्री का ज्यादा काम नहीं रहता है केन्द्र सरकार में, तो कहा कि हमको मालूम है कि कहॉ-कहॉ बिक रही है, कैसे बिक रही है, तब तो भाई गलत काम कर रहे हैं,आपको तो बताना चाहिए,कानून के अनुसार तो इसका उल्लंघन कर रहे हैं,अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार आते रहते हैं,अगर है पता तो बताइये, होम डिलीवरी है तो बताइये,जो माननीय सदस्य बोले हैं होम डिलीवरी है तो बताइये, कहॉ है होम डिलीवरी,कौन है होम डिलीवरी करने वाला, बताइये, अगर नहीं बता रहे हैं तो होम डिलीवरी के चक्र में कहीं आप भी शामिल तो नहीं हैं । इसलिए बहाना बनाकर इसके खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी सब के कारण कानून को इस प्रकार कर दिया गया,अब आप बताइये कि अब कोई घर में शराब रखने देगा,इतना इम्पावर्ड विमेन का हो गया, पता है, अब महिला दो मिनट में इतना प्रोटेस्ट करेगी, बच्चा चिल्लायेगा, बेटी चिल्लायेगी, कहॉ से होगा, लोग कहेगा कि छोड़ो यार और ऐसा ही कोई लती है तो भाई चले जाओ, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, यहॉ तो गुंजाईश नहीं है और एक बात जान लीजिये,यह ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि और लोग भी नजर रख रहे हैं, अभी तो आये थे नोबेल पुरस्कार विजेता आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी ।

क्रमशः

टर्न-32/सत्येन्द्र/1-8-16

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री(क्रमशः): जो बच्चों के लिए काम करते हैं बचपन बचाओ आन्दोलन, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय पहचान हुई और वो नोबल पुरस्कार से नवाजे गये, आये थे विधान-परिषद के सभागार में, उनका भाषण था, हमने तो उनसे अनुरोध किया कि भाई आप अध्ययन कराईये कि जो शराबबंदी लागू की गयी है तो चाईल्ड लेबर में कमी आयी या अन्य प्रकार की सामाजिक कुरीतियों में कमी आयी ताकि इसे हमलोग भी जानेंगे, हमलोगों को रिपोर्ट तो पोजेटिव मिलता है लेकिन यह हमलोगों की रिपोर्ट है । जबतक

कोई निष्पक्ष संस्था इसका विश्लेषण नहीं करेगी तबतक इसको आधिकारिक नहीं माना जा सकता है । उन्होंने स्वीकार कर कहा कि 5-6 महीना और बढ़िया से चला लीजिये इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, बतलाईए कोई 3-4 महीना पर यकीन करेगा, चलाना तो पड़ेगा न, इसको पूरी मुस्तैदी से चलाईए । आजकल एक यह भी हल्ला हो रहा है कि इनको तो शराबबंदी का नशा हो गया है। कोई कहता है सत्ता का नशा है,बतलाईए कहीं कमिटमेंट को नशा कहा जाता है, अगर सामाजिक मुद्दे पर कमिटमेंट आपकी नजर में नशा है तो है नशा, हमें कोई ऐतराज नहीं है । ये कमिटमेंट की बात है, कहते हैं कि पहले पिलाये, तो आप भी तो थे साथ में, दुविधा तो थी कि लागू हो पायेगा कि नहीं, 1977 में लागू हुआ था, जननायक कपूर्री ठाकुर जी ने लागू किया था और यही महाप्रभु लोग कर्पूरी ठाकुर जी को हटवा दिये । कर्पूरी ठाकुर जी ने शराबबंदी लागू किया और यही लोग जनता पार्टी के अन्दर जो जनसंघ वाले लोग थे आजकल तो इनका नामकरण भाजपा हो गया, इनको कौन गिराया, कर्पूरी जी ने नशाबंदी लागू किया, आरक्षण लागू किया तो बदला ले लिये । तो ये सब काम किये हुए हैं, हमको मालूम है लेकिन आज आपकी ताकत हमको हटाने की नहीं है। कहते हैं महागठबंधन में दरार है, कहां दरार है भईया जरा बाईस्कोप से देख रहे हो दरार तो देखते रह जाओगे । बारहमासी गिरने की नहीं है आशा, नजर दौराये रहिये, कब लटकेगा, कब गिरेगा, कुछ नहीं होना है, हम महागठबंधन धर्म का पालन करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, महागठबंधन के दलों के अन्दर पहले विचार विमर्श होता है और यह तरीका है । आज हमने शराबबंदी लागू किया तो ये सिर्फ जनता दल (यू) का निर्णय नहीं है जनता दल (यू) आर0जे0डी0 और कांग्रेस सभी पार्टी का निर्णय है कानून आया है तो पहले सबसे परामर्श हुआ है और हमलोग इनलोगों से भी परामर्श करने गये थे अध्यक्ष महोदय,ये अनौपचारिक मुलाकात को भी सार्वजनिक करते हैं कुछ बचा ही नहीं,जब अनौपचारिक बातचीत कर के कंवींस करने की बात होती है तो उस पर भी पत्र लिखा जाता है, कोई मर्यादा नहीं, हमलोगों ने तो पूरा प्रयास किया हमारी सरकार के तीन मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री और अपने खेल मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, हमने तीनों आदमी को कहा कि आप सब उनलोगों से जाकर मिलिये और एक्सप्लेन कर दीजिये कि कोई भ्रम न रहे और सब लोग गये । हमलोगों ने तो प्रयास किया, सभी दलों के लोगों से बातचीत कर के सर्वानुमति पैदा करने का प्रयास किया लेकिन आप तो मन बनाये हुए हैं अगर मन बनाये हुए कि इसमें साथ नहीं देंगे तो मत दीजिये साथ, हम क्या करेंगे? आपके नहीं साथ देने से क्या शराबबंदी कमजोर हो जायेगा, मजबूती से यह लागू नहीं होगा? अगर साथ दिये रहते तो अपने वचन से डिग गये। संकल्प लिये थे सरकार के कदम का समर्थन करेंगे और यह कदम क्या है, किसी तरह का कंट्राडिक्शन कानून में नहीं रहे एक संशोधन का और फिर पुराने कानून में कई प्रकार के अंतरविरोध थे, विरोधाभास था उसको दूर करने के लिए और मैं तो कहूंगा

एक्साईज डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था पहले से इसको रिपिल कर के नया ऐक्ट बनाया जाय हमने देखा कि इसमें काफी वक्त लगेगा इसमें जरूरी संशोधन करके लागू कर दिया जाय और फिर आवश्यकतानुरूप नये कानून को बनाया जाय तो ये तब से तैयारी चल रही थी और नया कानून का तैयारी हो गया और लोगों का जो सपोर्ट मिला है इसको देखते हुए और कहीं भी कोई चार पांच बातों के बारे में मेरी समझ से मैंने इनके द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज थे उनको दूर करने की कोशिश की गयी है । हां एक बात और यहां बोले, उस समय बोले थे कि इससे जो अनइम्प्लायड होंगे उनको इम्प्लायमेंट के लिए करेंगे, दूध का बूथ खुलवायेंगे। सुधा का बूथ ऑफर किया गया कॉम्फेड की तरफ से, यहां अवधेश बाबू बैठे हुए हैं और इनका विभाग है, 1900 शराब बिक्रेता से दूध का बूथ खोलने हेतु सम्पर्क किया गया, कॉम्फेड ने सम्पर्क किया कि भई लेना है तो बोलिये, इसमें से 60 ने एग्रीमेंट किया, सम्पर्क किया गया सबसे कि बूथ लीजिये और हमलोग क्या करेंगे? जबरिया उसको थोंप देंगे कि बूथ ले ही लो, यह तो कर नहीं कर सकते हैं, कौन सा कानून में करेंगे? ऑफर दिया गया फिर भी नहीं लिये, 60 लोगों ने एग्रीमेंट किया और 34 लोगों ने दूध का बूथ प्रारम्भ किया तो सरकार का इरादा तो साफ है आपको वैकल्पिक रोजगार देना चाहती है लेकिन आप नहीं लेना चाहते तो दूसरा क्या कर सकता है और ताड़ी से जुड़े हुए समुदाय के बारे में जो चिन्ता कर रहे हैं उसकी चिन्ता छोड़ दीजिये, आपसे ज्यादा चिन्ता हमलोगों की है, हम उनके रोजगार के लिए भी चिन्तित है और उनके नई पीढ़ी के पढ़ाई लिखाई के लिए भी चिन्तित हैं कि वो आगे बढ़े मुझे इनलोगों के सलाह की जरूरत नहीं है सलाह मानने को तैयार होते, अगर इरादा ठीक रहता, साफ साफ कहा जा रहा है भई, बड़ा कंट्राडिक्ट्री बात बोल रहे हैं पहले ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं रहने की बात बोले फिर दूसरा बार में कह रहे कि ताड़ी पर आपको आया है तेजस्वी जी का बयान तो उनका बयान तो लालू जी का बयान तो मंत्री जी बयान बड़ा कंट्राडिक्ट्री है भई, आपको तो खुश होना चाहिए, आप कह रहे हैं ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं रहे तो इनलोगों ने कहा कि नहीं रहेगा तबतक जबतक की नीरा बनाने का इंतजाम न हो जाय या उसके व्यवसाय का पूरा प्रबंध न हो जाय तो इसमें कंट्राडिक्शन क्या देख रहे हैं तो आपकी बात मान ली गयी तबतक के लिए होगा अब तो भांग चढ़ा रहे हैं शिवजी पर, भई आपको जो जो करना है कर लीजिये आप तो इसके आदी है कभी भगवान राम को अपना सक्रिय सदस्य बनवा लेते हैं, आजकल शंकर भगवान को बनाने में लगे हुए हैं जब से हमलोग शराबबंदी लाये हैं लेकिन हमको बतला दीजिये कि हिन्दू धर्मशास्त्र में कहां है कौन से उपदेशक ने कहा है, कौन से धर्म प्रचारक ने कहा है, किस वेद में है किस शास्त्र में बतलाईए? इसलिए तो हमने कहा कि आर0एसएस0 प्रमुख जरा बतलायें कि आपका स्टैंड क्या है? बतलाईए बहुत हिन्दुत्व की बात कर रहे हैं, इनलोगों को करना क्या है, इन लोगों को कोई काम तो बचा नहीं है सुबह से बैठेंगे सब देखकर के एक ही

बात को तीन दिन तक बोलते रहेंगे। कभी एक बोलेंगे फिर दूसरे, देखें नहीं जब पार्टी की तरफ से पूरी बात बोल गये तो पता नहीं दूसरे नम्बर को लगा कि हम कहां रहेंगे, पता नहीं रेंटिग क्या गड़बड़ा जायेगा तो वो भी बक गये और पहले से तय होगा कि उठ कर भाग जाना है और हमने देखा कि नन्दकिशोर जी भी तुरंत चले गये। वो नहीं चाहते हैं कि प्रेम जी बोले। ये जो बोले काहे के लिए दूसरे आदमी को जायेगा नेता विरोधी दल है उनको भी मीडिया में जगह मिलेगी । अब तो यही न जगह मिलेगी कि भाग गये बाहर इसलिए देखिये हमलोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे संकल्प के साथ इस काम को कर रहे हैं और इस काम को करते हुए मैं स्पष्ट कर दूं, हां एक बात और इन्होंने कहीं जो बात कहना बहुत जरूरी है वह बात बार-बार बोल रहे हैं कि आप शराबबंदी कर रहे हैं और अपने यहां का शराब बेचवा रहे हैं, हम बेचवा रहे हैं शराब तो हमने कर दिया कि अब यहां कोई शराब का निर्माण नहीं होगा और इसका नये कानून में प्रोविजन भी कर दिया है, कोई वोटलिंग प्लांट कोई डिस्टलरी नया लगाने नहीं दिया जायेगा जिनको पहले से अनुमति मिली हई है जो पूंजी लगाये हुए हैं वो चाहें तो अपने उत्पाद को बाहर भेजें (क्रमशः)

टर्न-33/मधुप/01.08.16

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ...क्रमशः... लेकिन बाहर भेजने के लिये भी होलोग्राम यहॉ का लगाना पड़ेगा आपको ताकि गड़बड़ नहीं हो, इधर-उधर न बेच दीजिये । दूसरा चीज, जाइयेगा तो जी0पी0एस0 और डिजिटल लॉक युक्त वाहन पर जायेगा वह, एस्कोर्ट होगा । आप यहॉ से लेकर बिहार से बाहर जाइयेगा तो जी0पी0एस0 युक्त वाहन, डिजिटल लॉक होगा और एस्कोर्ट होगा । बाहर ले जाइये, बेचिये । हमको क्या दिक्कत है ? बिहार में बंद है, नहीं है दूसरे जगह बंद । बंद करवा दीजिये, काहे नहीं बंद करवाते हैं ? अभी भी यू0पी0 का चुनाव होने वाला है, घोषणा करें बी0जे0पी0 के लोग कि हमलोग सत्ता में आयेंगे तो शराब बंद कर देंगे । कुछ भी तो करिये । लेकिन ये कहॉ से करेंगे ? यह सब हमलोग करवा रहे हैं । जो पहले से हैं, यहॉ बेचने की इजाजत नहीं है तो धीरे-धीरे बंद ही न होगा, मोकामा वाला बंद ही न हुआ ! ऐसे ही धीरे-धीरे बंद कर लेगा । हम काहे के लिये कहने जायं ! यहॉ बिकेगा नहीं और बाहर ले जाना है तो इन सबके साथ ले जाओ। थोड़ा दिन के बाद देखेगा कि भाई, बड़ा मुश्किल है तो बंद करे । हम क्या करें ! हम कहेंगे बंद करने तो कल होकर एक केस दर्ज करेगा कि हमको तो इतना कंपनसेशन चाहिये । बढ़िया हिसाब है ? बड़े गरीब के हिमायती हैं ? गरीब राज्य का पैसा इधर-उधर आप फंसवाना चाहते हैं ? यहॉ बेचने की इजाजत नहीं है, आगे से किसी नये

को बनाने की इजाजत नहीं है, पुराना लोग जो यहाँ बना रहे हैं, जाइये बाहर बेचिये । दूसरी बात है कि अब तो डिस्टलरी में मोलासेस से स्पिरिट नहीं बनेगा । हमलोगों ने चीनी मिलों को और अन्य लोगों को कह दिया है कि अब बनेगा इथनॉल । इथनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है । अगर कोई इथनॉल बनायेगा छोआ से तो उसको इजाजत देना है । इथनॉल तो पर्यावरण के हित में है । पेट्रोल में 10 प्रतिशत उसको मिलाया जाना है भारत सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक । हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं होता था, अब उतना उत्पादन हो रहा है तो मिलाया जायेगा । बचेगा तो इथनॉल को एक्सपोर्ट कर सकता है, इथनॉल की माँग सब जगह है ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मीनमेख निकालना, कुतर्क देना । हाँ, कुतर्क चल भी जाता है, चूंकि हमलोगों का जो व्यू प्वायंट्स है उसमें बहुत सारे कंट्राडीक्शन दिखाये जायेंगे और उनका जो व्यू प्वायंट है वह तो बड़ा भारी एकदम आइडियल के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा । इसमें तो हमारा नियंत्रण है नहीं । हमारा नियंत्रण अपने आप पर है, हमारा नियंत्रण सरकार की नीतियों पर है, हमारा नियंत्रण सरकार की नीतियों को लागू करने पर है । वह हम पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ लागू करेंगे चाहे जिसको जितना मजाक उड़ाना हो । मैं जानता हूँ, झेलना पड़ता है । इतने मौलिक और बड़े काम को करने के लिये बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है । मैं तो हर चीज के लिये तैयार हूँ । मुझे मालूम है कितने बड़े बिर्नी के छत्ता में हमने हाथ डाला है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है । हो जाय लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आज तक मेरा स्वभाव नहीं है । सोच-समझकर लिया गया निर्णय है । एक बार जब महिलाओं ने कहा कि बंद करिये, मेरे मन का सारा द्वंद्व मिट गया और हमने आकर 9 जुलाई को श्रीकृष्ण मोमोरियल हॉल में कह दिया कि अगली बार आयेंगे तो लागू करेंगे । लोगों ने फिर से भेज दिया, महागठबंधन ने निर्णय लिया, हमलोगों ने लागू किया और इसको और सख्ती से लागू करेंगे । कहीं-कहीं अगर कोई त्रुटि रहेगी, जो भी कहीं कोई कमी या खामी रहेगी उसको हमलोग गौर करेंगे और किसी को भी पुलिसिया राज या लोगों को बेवजह तंग नहीं करने देंगे । चिन्ता मत करिये । हमलोग देखेंगे, अगर तंग और परेशान करेगा तो वह चार प्रकार से दंडित होगा ।

वे लोग तो हैं ही नहीं, गायब हो गये नहीं तो मैं अनुरोध करने वाला था कि पिछली बार की तरह इसको इस बार भी सर्वसम्मति से पारित करिये, अच्छा संदेश जायेगा। अब तो संदेश इन्हीं के बारे में खिलाफ जायेगा । अब तो संदेश इनके खिलाफ जायेगा कि ये लोग तो नशा के पक्ष में हैं, हमलोग तो नशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। लत भी छुड़वाना चाहते हैं, सब कुछ करने के लिये संकल्प चाहिये और किसी भी काम को करने के लिये कानून भी चाहिये, जन सहयोग भी चाहिये । मैं पूरे बिहार के लोगों से सहयोग की कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और अपील करता हूँ कि शराबबंदी इतना

बड़ा काम है, इसने बिहार की छवि को फिर से बहुत उंचाइयों पर पहुँचाया है । हमारा अतीत गौरवशाली था, हम फिर से गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चले हैं, इसलिये आइये ! हम सब मिलकर ऐसे भ्रम पैदा करने वालों को नजरअंदाज करिये और चलते रहिये सीधे, बिहार को नशामुक्त करते हुये सम्पूर्ण देश को हमलोग नशामुक्त करेंगे । अब ये लोग बतायेंगे अपना स्टैंड लेकर कि क्या करेंगे - नशाखोरी को बढ़ावा देंगे या नशामुक्ति को । अब तो डिवाइड दो ही होगा इस विषय पर । नशाखोरी या नशामुक्ति, कौन किसके साथ है, जनता सब देख रही है और सबसे अधिक लाभान्वित गरीब जनता हुई है ।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से यही दरख्वास्त करूंगा, मैंने तो बीच में कहा, अभी तो माननीय मंत्री जी आग्रह करेंगे, इसको एक मजबूती के साथ बगैर किसी भ्रम के इसको लागू करना चाहिये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 राज्य सरकार द्वारा मद्यनिषेध लागू करने का नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या- 3893 दिनांक 21.12.2015 द्वारा नई उत्पाद नीति, 2015 अधिसूचित किया गया है । उक्त नीति के आलोक में बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की कतिपय धाराओं का बिहार उत्पादन (संशोधन) अधिनियम, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अवैध शराब का निर्माण बिक्री पर रोक लगाने तथा मद्यपान को प्रतिबंधित करने हेतु दंड के प्रावधान को सख्त किये गये हैं । इस संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में सघन छापेमारी जारी हैं और अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अभियुक्तों पर दण्ड अधिरोपित किये जा रहे हैं । राज्य में लागू मद्य निषेध की समीक्षा के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि सजा के प्रावधानों को और दृढ़ करते हुये सभी दण्ड को गैर-जमानती बनाया जाए । उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया जाना समीचीन हो गया है ताकि तुरन्त निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके ।

राज्य में 1 अप्रैल, 2016 के बाद से पूर्ण शराब बंदी से प्राप्त हुए विविध अनुभव के आधार पर यह विचार बना कि वर्त्तमान अधिनियम को पूर्णतया नया रूप देना होगा और नया अधिनियम ही इसका स्थायी समाधान होगा । प्रस्तावित अधिनियम प्राप्त अनुभवों तथा सुझावों के आधार पर मद्य निषेध के बदले परिवेश में ही तैयार किया गया है । इसलिए अब नये अधिनियम का नाम ''बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम'' दिया गया है जिसके प्रस्तावना में भी मद्य निषेध का जिक्र है । साथ ही, शराब के खुदरा एवं थोक बिक्री के लाइसेंस एवं प्रावधानों को ही हटा दिया गया है । अतः मूल रूप से यह एक मद्य निषेध से संबंधित अधिनियम होगा । इसके साथ ही बिहार उत्पाद

अधिनियम, 1915 तथा बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 1938 को भी निरसित किया जाएगा।

अत: मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01 अगस्त, 2016 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 16 (सोलह) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 02 अगस्त, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यगण, आप इस बात से अवगत होंगे कि राज्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) से लागू किया गया था। अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें 2006–07 के आरम्भ से राजस्व घाटा की स्थिति होने पर, राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति वर्ष आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 0.1 प्रतिशत कमी करनी थी और वित्तीय वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा समाप्त कर देना था। इसके पश्चात राजस्व अधिशेष (बचत) बनाये रखना था। वित्तीय वर्ष 2006–07 के आरंभ से राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3 प्रतिशत से अधिक होने पर इस अनुपात में प्रतिवर्ष कम से कम 0.3 प्रतिशत की कमी लानी थी और वर्ष 2008–09 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाया जाना था।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य में संशोधन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 3, 2009) से किया गया था जिसमें वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2010–11 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखना था। पुनः बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 2, 2010) से संशोधन करते हुए वर्ष 2008–09 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2009–10 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने का नियम बनाया गया था। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 25, 2010) से यह संशोधन हुआ था कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तक होना था और वर्ष 2011–12 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना है।

बिहार राज्य में राजस्व बचत की स्थिति 2004–05 से लगातार रही है। राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2008–09 में 3.5 प्रतिशत की अधिसीमा के विरूद्ध 1.76 प्रतिशत, वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत के विरूद्ध 3.24 प्रतिशत, 2010–11 में 3.5 के विरूद्ध 1.95 प्रतिशत एवं वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक 3 प्रतिशत के विरूद्ध क्रमशः 2011–12 में 2.43 प्रतिशत, 2012–13 में 2.23 प्रतिशत, 2013–14 में 2.43 प्रतिशत, 2014–15 में 2.78 प्रतिशत एवं 2015–16 में 2.48 प्रतिशत की अधिसीमा में रहा है। स्पष्ट है कि राज्य में राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ है।

माननीय सदस्य अवगत होंगे कि राजकोषीय घाटे की सीमा तक की ऋण उगाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। ऋण उगाही की अधिसीमा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद को देखते हुए उसका 3 प्रतिशत तक राज्य को निवल ऋण अनुमान्य किया जाता है। ऋण की राशि अधिक प्राप्त होने से राज्य में पूंजीगत व्यय में और वृद्धि की जा सकती है।

14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक की अवधि में राज्यों के राजकोषीय परिवेश एवं राजकोषीय समेकन रोडमैप के अध्याय में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत की वार्षिक अधिसीमा को कुछ शर्तों के साथ अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक वृद्धि करने की अनुशंसा की गयी है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस–1 डिविजन) के पत्र संख्या–40(6)पी.एफ.–1/2009 वोल०–II दिनांक–17 मई 2016 से यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से वृद्धि कर 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। 0.50 प्रतिशत की जो वृद्धि अनुमान्य की गयी है उसके लिए दो आधार दिये हैं– (i) वृद्धि में 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता का आधार ऋण/ जी०एस०डी०पी० अनुपात पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है।

(ii)वृद्धि में 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता का आधार ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है।

राजकोषीय घाटे की अधिसीमा तक राज्य की ऋण अधिसीमा निर्धारित होती है जिसके लिए भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित है कि जिस वर्ष के लिए उधार सीमाऐं निर्धारित की जानी है उस वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। राज्य को यह सुविधा लेने के लिए अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाना होगा।

वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत की वार्षिक अधिसीमा को अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक वृद्धि करने के उद्देश्य से बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया है। 0.5 प्रतिशत की जो वृद्धि होगी उससे बिहार राज्य वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 की अवधि में अतिरिक्त ऋण की उगाही कर सकेगा। प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश देने के लिए उपयोग करेगा और जिससे विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2016 को ध्वनिमत से पारित करने की कृपा की जाय।

********** –:जय हिन्द:– **********